खण्ड-348, अंक-6
बुधवार, 15 माघ, शक संवत् 1902
(4 फरवरी, 1981 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 348 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1981

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे।

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये।

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थित सदस्य ..	.. 851–854
प्रश्नोत्तर ..	.. 855–888
खीरी तथा पीलीभीत जिलों में नरभक्षी शेरों के आतंक के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	.. 888
गन्ना विकास मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह के देवरिया के दौरे पर साथ जा रहे अधिकारियों की जीप दुर्घटनाग्रस्त होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	.. 888–889
मथुरा जिले के कतिपय क्षेत्रों में कत्ल तथा डकैती की घटनाओं के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	.. 889
ग्राम जाख, जिला मैनपुरी में डाकू महाबीर सिंह व अनार सिंह के गिरोह द्वारा लूटपाट, हत्या एवं आगजनी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	.. 889–890
गोरखपुर जनपद के कतिपय ग्रामों में ओलावृष्टि से क्षति एवं सहायता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	.. 890–891
संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, परिवहन विभाग के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ..	891–892
विद्युत् मंत्री के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ..	.. 892–894
गढ़की विश्वविद्यालय को सीनेट में कार्य करने हेतु विधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	.. 894
श्री यदुनाथ द्वारा उनके विरुद्ध सी० आई० डी० जांच का मामला उठाने का प्रयास ..	.. 894–895
कार्य–स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं ..	.. 896–899
आय–व्ययक की चर्चा के मध्य मुख्य मंत्री, वरिष्ठ मंत्रियों तथा विभागाध्यक्षों की अनुपस्थिति के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ..	899–903
1981–82 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा (जारी)	.. 903–946
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें ..	.. 946

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 4 फरवरी, 1981

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री श्रीपति मिश्र की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—350

अकबर अहमद, श्री (नैनीताल)
अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अकबाल हुसैन, श्री (गोंडा)
अजहर ईमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री (मेरठ)
अनवार खां, श्री (अलीगढ़)
अबुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री (कानपुर)
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह) (फतेहपुर)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अलमेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
अशफाक अहमद अन्सारी, श्री (बरेली)
आजाद कुमार कर्दम, श्री (आगरा)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (ललू) (बहराइच)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए० सी० ग्राइस, श्री (नाँम निवशित आंग्ल भारतीय)
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री (आगरा)
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री (ललितपुर)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला सा नी, श्रीमती (बस्ती)
कल्यान सिंह, श्री (बरेली)
काशीनाथ मिश्र, श्री (बलिया)
किरनपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई)
कुबेर भन्डारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्ण प्रकाश तिवारी, श्री (इलाहाबाद)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर (आगरा)
केदार सिंह, श्री (आजमगढ़)
केदारनाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश चन्द्र, श्री (एटा)
कैलाश टन्डन, श्री (वाराणसी)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुदादीन अन्सारी, श्री (देवरिया)
खुर्शीद अहमद अन्सारी, श्री (मुरादाबाद)
खुर्शेद अहमद, श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह रांगड़, श्री (टिहरी-गढ़वाल)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
ख्वाजा हलीम, श्री (अलीगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुलाब सिंह, श्री (देहरादून)
गुलाब सेहरा, श्री (आगरा)
गुलाम नबी, श्री (आगरा)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपी नाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
चन्दन सिंह, श्री (मथुरा)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, श्री (बांदा)
चन्द्रबली ब्रह्मचारी, श्री (आजमगढ़)

चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चारु चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
छत्तर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
छेदी लाल, श्री (गोंडा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जटाशंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
जफर अली नकवी, श्री (खीरी)
जमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
जयदीप सिंह, श्री (बरेली)
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जियाराम शुक्ल, 'विकल साकेती', श्री (फैजाबाद)
जीराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जैराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
झग्गड़ सिंह, श्री (मेरठ)
झिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री (खीरी)
तेज बहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
त्रिवेनी, श्री (आजमगढ़)
थम्मन सिंह गहलौत, श्री (बिजनौर)
दयाल कृष्ण, श्री (मथुरा)
दलगंजन सिंह, श्री (जालौन)
दल सिंगार, श्री (आजमगढ़)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री (बस्ती)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीपक कुमार, श्री (मुजफ्फरनगर)
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री (आजमगढ़)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र पान्डेय, श्री (सुल्तानपुर)
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ धवन, श्री (देहरादून)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धरमपाल, श्री (बहराइच)
धर्मपाल, डाक्टर (अलीगढ़)
धर्मवीर सिंह, श्री (मेरठ)
धर्मवीर सिंह त्यागी (मुजफ्फरनगर)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
ध्रुप राय, श्री (देवरिया)
मत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री (हरदोई)
नाजिर अली, श्री (शाहजहांपुर)
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू) (बलिया)
निर्मल कुमार, श्री (फैजाबाद)
नेत्रपाल सिंह, श्री (एटा)
पंचानन, श्री (आजमगढ़)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपूर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री (बुलन्दशहर)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पुरुषोत्तम, श्री (मिर्जापुर)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती, श्रीमती (बदायूं)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फखरे आलम, श्री (बदायूं)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर, श्री (रामपुर)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बच्चा पाठक, श्री (बलिया)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बब्बन सिंह, श्री (बलिया)
बलराम सिंह यादव, श्री (इटावा)
बलवीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तर काशी)
बाबूराम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बाबू सिंह, श्री (अलीगढ़)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)

बिहारी लाल दोहरे, श्री (फर्रुखाबाद)
बृज किशोर मिश्र, डाक्टर (देवरिया)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
ब्रह्म दत्त, श्री (देहरादून)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झांसी)
भास्कर पान्डेय, श्री (देवरिया)
भीखा लाल, श्री (उन्नाव)
भूषर नारायन मिश्र, श्री (कानपुर)
भूपसिंह केन, श्री (गाजियाबाद)
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
भोला पान्डेय, श्री (बलिया)
मंगलदेव, श्री (गोंडा)
मन्डलेश्वर सिंह, श्री (आगरा)
मथुरा प्रसाद पान्डेय, श्री (बस्ती)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
मशरूर जाफरी, श्री (गोंडा)
महाबीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेश उपाध्याय, श्री (आगरा)
महेश चन्द्र, श्री (मेरठ)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
मान्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मारकन्डेय चन्द्र, श्री (गोरखपुर)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुख्तार अनीस, श्री (सीतापुर)
मुन्शी लाल, श्री (मैनपुरी)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद उमर, डाक्टर (गोंडा)
मोहम्मद नबी, श्री (बस्ती)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद वसीम, हाजी (रायबरेली)
मोहम्मद शफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
यदुनाथ, श्री (मिर्जापुर)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
यशपाल सिंह, श्री (सहारनपुर)
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ ललन जी) (गोरखपुर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
योगेश चन्द्र, श्री (वाराणसी)
रईसउद्दीन बारसी, श्री (मुरादाबाद)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रघुवीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रती राम, श्री (बिजनौर)
रमेश चन्द्र, श्री (रायबरेली)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजमंगल पान्डेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र सिंह, श्री (अलीगढ़)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधेश्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम कृष्ण उपाध्याय, डाक्टर (जौनपुर)
राम कृष्ण माहेश्वरी, श्री (मुरादाबाद)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
रामजी राम, श्री (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नरायन, श्री (गाजीपुर)
राम नरेश शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
राम नारायण पाठक, श्री (कानपुर)
रामपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राम प्यारे पान्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)

राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह खन्ना, श्री (बरेली)
राम सिंह रावत, श्री (एटा)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम स्वरूप निम, श्री सहारमपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री (बाराबंकी)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रुल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
लटूरी सिंह, श्री (एटा)
लल्लू सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकमणि शर्मा, श्री (मथुरा)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय पाल सिंह, श्री (गाजियाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह, श्री (मिर्जापुर)
विजय सिंह राना, श्री (आगरा)
विद्या भूषण, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्या सागर नौटियाल, श्री (टिहरी गढ़वाल)
विनोद कुमार तिवारी, डाक्टर (पीलीभीत)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विमला राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीर बहादुर सिंह, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
वीरेन्द्र सिंह ढामा, कुंवर (गाजियाबाद)
वृद्धि नारायन सिंह, श्री (वाराणसी)
शम्भूनाथ, श्री (आजमगढ़)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर (कानपुर)
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिव बालक, श्री (रायबरेली)
शिवमंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर (पौड़ी–गढ़वाल)
शर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
शौनाथ सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम नारायन तिवारी, श्री (गोरखपुर)
श्याम लाल बाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्रीकृष्ण गोयल, श्री (बदायूं)
श्रीपति मिश्र, श्री (सुल्तानपुर)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
संजय सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
सच्चिदानन्द, श्री (उन्नाव)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
सन्त बक्स रावत, श्री (लखनऊ)
सन्तोष कुमारी, श्रीमती (बदायूं)
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री (प्रतापगढ़)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुनीता चौहान, श्रीमती (रायबरेली)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमन लता दीक्षित, कुमारी (कानपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सहारनपुर)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सुरेश दत्त पालीवाल, श्री (जालौन)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूरजभान, पंडित (अलीगढ़)
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री, (जौनपुर)
सोमांश प्रकाश, श्री (मुजफ्फरनगर)
स्वरूप कुमारी बख्शी श्रीमती (लखनऊ)
स्वामी नेपाल, श्री (बुलन्दशहर)
हंसराज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हर गोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरवंश प्रसाद पान्डेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पान्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद, श्री (उन्नाव)
हरिवंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री (कानपुर)
हरीशंकर, श्री (हरदोई)
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री (मुरादाबाद)
हुकम सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
हेमचन्द निमेष, श्री (मेरठ)

नोट—मुख्य मंत्री, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह तथा श्रम मन्त्री, श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित भी सदन में उपस्थित थे।

बुधवार, 4 फरवरी, 1981

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जमरानी बांध के निर्माण पर व्यय

*1--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

क्या सिचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जमरानी बांध के लिये कितना धन आवंटित किया गया था, इसमें कितना खर्च हुआ हैं, कितना कार्य हो चुका हैं, कितना बाकी हैं, कब तक योजनाएं पूर्ण हो जाने की सम्भावना है?

सिंचाई मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

जमरानी बांध के लिए अलग से कोई आबंटन नहीं होता। पूर्ण जमरानी बांध परियोजना के लिए वर्ष 1980-81 में 322 लाख रु0 का आबंटन है। जमरानी बांध के निर्माण पर अभी कोई व्यय नहीं किया गया। केवल जमरानी बांध के प्रवेश मार्ग, अनुसंधान व सर्वेक्षण कार्यों पर अब तक लगभग 129.79 लाख रु0 का व्यय हुआ है।

कार्य आरम्भ होने के बाद योजना पूर्ण होने में लगभग सात वर्ष का समय लगने की सम्भावना है।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में जो प्रयत्न किया है, क्या पूर्व में भी आपको कोई शिकायत की गयी थीं और वहां पर इस सम्बन्ध में कोई आन्दोलन वगैरह भी हुए थे और माननीय प्रधान मन्त्री जी को भी इसकी जांच के बारे में कुछ लिखा गया था ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, ऐसे आन्दोलन की कोई बात नहीं हुई।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि बांध, जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि इसमें अब तक 129 करोड़ 79 लाख रु0 का व्यय हुआ है और माननीय मन्त्री जी ने यह भी बताया है कि कार्य आरम्भ होने के बाद योजना पूर्ण होने में लगभग सात वर्ष का समय लगने की सम्भावना है। इससे पूर्व मन्त्री जी ने कहा है कि जमरानी बांध के निर्माण पर अभी कोई व्यय नहीं किया गया है, तो यह जो व्यय किया गया है 129 करोड़ 79 लाख रु0 का, यह किस कार्य में व्यय किया गया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, यह जमरानी बांध परियोजना है। इस परियोजना के दो चरण हैं--प्रथम चरण और द्वितीय चरण। प्रथम चरण में जो बांध बनना था, बन गया।

काम भी शुरू हो गया, सिंचाई भी हो रही है । द्वितीय चरण के बारे में माननीय सदस्य जानना चाहते हैं, जमरानी बांध के बारे में । द्वितीय चरण में इस बाँध के प्रवेश मार्ग, अनुसंधान और सर्वेक्षण कार्यों पर पैसा खर्च किया गया, रोड बनायी गयी और इसमें 129.79 लाख रु0 का व्यय हुआ है ।

श्री रियासत हुसैन--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उसकी ओरीजनल स्कीम में कितने का एस्टीमेट है और उस ओरीजनल स्कीम में कितना रुपया खर्च हुआ है और कितने परसेन्ट काम हो चुका है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, ओरीजनल स्कीम में इसकी लागत 61.25 करोड़ रुपये है । 5 करोड़ 95 लाख रु0 प्रथम चरण में खर्च हो गया है । 100 कि0 मी0 लम्बी नई नहरों एवं 100 कि0 मी0 लम्बी गूलों का निर्माण हुआ है। गोला का बैराज उद्घाटन भी हो गया है, सिंचाई भी हो रही है । जो माननीय सदस्य ने जमरानी बांध के बारे में जानकारी करनी चाही है तो इस पर 129.79 लाख रुपये खर्च हुआ है ।

श्री विद्यासागर नौटियाल--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने अपने जवाब में यह बात कही है कि जमरानी बांध के लिए अलग से कोई धन आबंटित नहीं किया जाता है, तो यह जो 129.79 लाख रु0 खर्च हो गया, यह कहां से आया था और यह किस योजना का था और जो अब खर्च होगा, वह किस योजना के नाम से खर्च होगा ।

श्री अध्यक्ष--

इसका उत्तर तो दिया गया है, पूरी परियोजना के लिए जो धन था उसमें से खर्च हुआ है ।

श्री विद्यासागर नौटियाल--

उन्होंने जवाब में लिखा है कि अलग से कोई धन आबंटित नहीं किया जाता ।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

मान्यवर, मंत्री जी ने यह बताया कि गोला बैराज अलग से परियोजना है उससे नहर बनी है और सिंचाई भी हो रही है । मैंने दोनों चीजों को देखा है, गोला बैराज को देखा है और जमरानी बांध परियोजना को, जो मंत्री जी के नेतृत्व में बन रही है । जो सिंचाई होने की बात मंत्री जी ने कही है तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि उससे कोई सिंचाई नहीं हो रही है । नहर में एक बूंद पानी नहीं है । इसके अतिरिक्त वहां की जनता ने बराबर मंत्री जी को, प्रधान मंत्री को, मुख्य मंत्री जी को इसकी जांच करने के लिए लिखा है । 30 हजार कट्टे सीमेंट वहां पर ब्लेक किये गये हैं ।

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न करें ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

तो मैं यह चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी वचन द सदन में कि इसमें एक कमेटी बनायेंगे और इसका जांच करायेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने एक बार जांच के लिए दिया था उसकी जांच करायी गयी है। जांच रिपोर्ट में पाया गया कि शिकायतें निराधार हैं। अगर कोई गड़बड़ी और भी इसमें है तो जांच करा ली जायगी ।

[दिनांक 4 फरवरी, 1981 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

बांसी ब्रांच को आधार लाइन की स्वीकृति

*1--श्री कुबेर भंडारी, श्री रामकरन तथा श्री राम धनी--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंग कि बस्ती जनपद में सरजू नहर परियोजना के बांसी ब्रांच के अन्तर्गत कि0 मी0 59 से 64 के बीच में किन-किन नम्बरों से होकर आधार लाइन की स्वीकृति अतिरिक्त मुख्य अभियंता (श्री गौरी कान्त मिश्र) ने दी है और उसका सर्वे करके अवर अभियंता ने मौके पर पत्थर लगा दिया था ? यदि हां, तो अधिशासी अभियंता सिंचाई निर्माण खंड, बस्ती पुनः सर्वे किस कारण से करा रहे हैं ?

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी)--

ग्राम भैंसामाफी के 185 व 603, खरौनिया करहना के 303, नारायनपुर के 303, कहरिया के 442 तथा नन्दौर के 429 नम्बरों से होकर बांसी ब्रांच की आधार लाइन की स्वीकृति फरवरी, 1980 में दी गयी थी। मौके पर अन्तिम रूप से नहर का समरेखन करने पर यह जानकारी में आया कि अनुमोदित समरेखन ग्राम भैंसामाफी के शमशान एवं ग्राम करहना के बाहरी मार्ग में बने मकानों से होकर जाता है। अतः नहर के समरेखन पर पुनः विचार करना आवश्यक हो गया ।

श्री कुबेर भंडारी--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो सर्वे हुआ तो शमशान घाट नहीं था और आज भी नहीं है। तो क्या इसको उसी लाइन पर, उसी रास्ते पर ले जाया जायगा ?

श्री बीर बहादुर सिंह--

जिस समय बनी थी उस समय शमशान घाट नोटिस में नहीं आया था लेकिन बाद में पता चला कि भैंसामाफी में शमशान घाट बना हुआ है। वहां पर शिकायतें भी आयीं कि वहां लाइन न बनायी जाय। इसका फिर से सर्वे कराया जा रहा है ।

श्री हुकम सिंह—

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हुं कि जब प्रथम बार सर्वे सिचाई विभाग ने किया तो क्या उस दौरान रेवेन्यू रिकार्ड्स और दूसरे कागजों का परीक्षण नहीं किया कि बीच में शमशान घाट आ रहा है। यह रेवेन्यू रिकार्ड्स के आधार पर बता रहे हैं या मौके की जांच के आधार पर जानकारी मिली उसको बता रहे हैं। शमशान घाट की जानकारी आपको कब मिली ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

रेवेन्यू रिकार्ड्स में भी भंसामाफी में शमशान घाट नं0 185 व 603 के बीच में है। यह पहले के नम्बर हैं लेकिन चकबन्दी के बाद नम्बर बदल गए हैं और अब वह 137 और 130 के बीच में पड़ता है। रेकार्ड में भी है। लोगों ने शिकायत किया था कि यहां पर नहर न बनायी जाय, इसलिए दुबारा सर्वे किया गया।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसा कि प्रश्न में है और मंत्री जी ने मूल प्रश्न में स्वीकार किया है कि सर्वे हुआ है और अतिरिक्त मुख्य अभियंता के आदेश के अनुसार पत्थर भी लग गए थे तो पहले सर्वे किस समय पर किया गया और पत्थर लगाने का काम कब समाप्त हुआ और शमशान घाट की बात आयी तो इसकी जानकारी शासन को कब हुई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

डेट तो नहीं मालूम है लेकिन इसकी जानकारी करा लेंगे किन्तु सर्वे के बाद पत्थर लगा दिए गए और बाद में नोटिस दिया कि यहां पर शमशान घाट है इसलिए यहां नहर नहीं बननी चाहिए। तो एतराज लोगों ने किया था इसलिए जाहिर है कि जांच की जाय और जांच में पाया गया कि शमशान घाट ह तो लाइन बदलने के लिए हुआ और सर्वेक्षण किया गया।

श्री कुबेर भंडारी--

पहले सर्वे में कितना खर्च हुआ है और क्या सरकार की नीति है कि जहां शमशान घाट है वहां पर कोई सरकारी काम नहीं होगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, सर्वे हुआ है तो यह तो सरकारी काम है और बड़ी योजना है इसलिए कितना सर्वे में खर्च हुआ है इसको हम दिखवा लेंगे।

श्री कुबेर भंडारी--

मंत्री जी ने नीति के बारे में नहीं बताया ।

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, नीति है कि जहां कोई मन्दिर, मस्जिद, गिरिजा घर और शमशान घाट हों वहां पर उस जगह को छोड़ते हैं ।

*2--श्री राम आसरे वर्मा--

[28-1-81 को तारांकित प्रश्न संख्या 8 द्वारा उत्तरित] ।

खेलकूद निदेशक के पद पर नियुक्ति तथा निदेशालय में व्याप्त आतंक की जांच

*3--श्री श्याम लाल बाजपेयी--

क्या खेलकूद मंत्री इस बात पर विचार करेंगे कि खेलकूद निदेशक पद पर यदि कोई खेलकूद विशेषज्ञ न मिल पाए तो किसी आई० ए० एस० अधिकारी को निदेशक नियुक्त किया जाय ? क्या यह सत्य है कि वर्तमान खेलकूद निदेशक, उप निदेशक और क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी के अधिकारी के कार्य कलापों से सम्पूर्ण निदेशालय में आतंक फैला है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इसकी जांच किसी उच्च अधिकार प्राप्त समिति के द्वारा करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खेलकूद मंत्री (श्री विद्या भूषण)--

खेलकूद निदेशक के पद पर उपयुक्त व्यक्ति की नियुक्ति पर शासन विचार कर रहा है । लखनऊ स्टेडियम के चौकीदार श्री भगवत ने क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी लखनऊ द्वारा पिटाई किए जाने की शिकायत शासन में की थी जिसकी जांच उप निदेशक (प्रशासन) द्वारा कराई गई । इस जांच रिपोर्ट में आरोप सिद्ध नहीं पाए गए हैं लेकिन फिर भी जिला मजिस्ट्रेट लखनऊ के माध्यम से पुनः जांच करायी जा रही है ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि पिछले बजट सत्र में जब खेलकूद मंत्री ने घोषणा किया था कि उप निदेशक को हटाया जायेगा। क्योंकि एक परिवहन विभाग का अधिकारी इस समय प्रदेश के खेलकूद का संचालन कर रहा है, तो इस सम्बन्ध में मंत्री जी अपनी स्थिति स्पष्ट करें ?

श्री विद्या भूषण--

अभी मैंने आपको बताया श्रीमन्, इसके विषय में इसकी नियुक्ति पर खेलकूद निदेशक के पद के लिये शासन विचार कर रहा है, उपयुक्त व्यक्ति का चयन शीघ्र किया जायेगा ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मान्यवर, विचार चल रहा है शब्द पिछले सत्र से चला आ रहा है। तमाम आफिसर्स टहल रहे हैं, किसी को नियुक्त नहीं किया जा रहा है और एक आर0 टी0 ओ0 के व्यक्ति को निदेशक बना दिया है। मान्यवर, विचार चल रहा है, कब तक चलेगा ? परिवहन विभाग के अलावा कोई और अधिकारी ही नहीं है जिसको नियुक्त वहां पर सरकार करे। मान्यवर, इस सम्बन्ध में जो दूसरी बात मैंने कही है कि निदेशक, उप निदेशक श्री छमन लाल शर्मा और क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी, श्री निर्मल सिंह इत्यादि तीन लोगों का गैंग है स्टडियम म। मेरी यह पक्की जानकारी है क्योंकि मेरा खेलकूद से लगाव है और वहां की एक कोठरी में मैं रहता हूं। जिस कोठरी में मैं रहता हूं जिसमें 1970 से बिजली बत्ती कुछ नहीं है, बिल्कुल अन्धेरा रहता है उसी में चपरासियों को लात घूसे तथा डंडे से मारा। मैं सदस्य के रूप में यह बात कह रहा हूं मैंने स्वयं वहां यह सब देखा है परन्तु सदन में झूठी रिपोर्ट पढ़ कर सदन को गुमराह किया जाता है।

श्री विद्या भूषण--

इसकी जाँच जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा कराई जा रही है, उसकी रिपोर्ट आ जाने पर बतायेंगे।

श्री रियासत हुसैन--

यह देखा जा रहा है कि जो परिवहन विभाग के अधिकारी हैं उनके स्वास्थ्य की चिन्ता परिवहन विभाग के मंत्री खुद ही कर रहे हैं। क्या कारण है कि वह परिवहन विभाग के अधिकारी को नहीं वहां से हटा सके और उचित व्यक्ति को खेल कूद के डाइरेक्टर के पद पर नहीं नियुक्त कर सके ?

श्री विद्या भूषण--

इसके लिये शीघ्र कार्यवाही की जा रही है। एक चयन समिति ने आठ-दस आदमियों को काल किया था, उसमें कोई आदमी उपयुक्त नहीं पाया गया।

श्री ऊदल--

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि एक जो परिवहन विभाग के अधिकारी हैं, वह खेलकूद के निदेशक हैं और तीन पी0 सी0 एस0 के अधिकारी हैं जो वहां काम कर रहे हैं जिनका खेल कूद से कोई मतलब नहीं है इसके अतिरिक्त एक चौथे सज्जन हैं जो बराबर चक्कर लगा रहे हैं वहां पहुंचने के लिये अभी दिसम्बर, 1979 में प्रार्थना पत्र मांगे गये हैं। क्या उन प्रार्थना-पत्रों को मंत्री जी ने या उनके मंत्रालय ने देखा है या उनके विभाग ने देखा है ?

श्री विद्या भूषण--

उसमें कोई उपयुक्त आदमी नहीं मिला था। अब शीघ्र ही फिर सेलेक्शन किया जायेगा।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मान्यवर, क्या वह बतायेंगे कि वर्तमान खेलकूद निदेशक एक भूतपूर्व मंत्री जी के रिश्तेदार हैं ?

श्री विद्या भूषण--

इसकी जानकारी करके बतायेंगे ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

आप स्पष्ट बात बतायें, सारा खुला खेल है, मैं जानता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

जब आप जानते हैं तो क्यों पूछ रहे हैं ?

*4- श्री सन्त बख्श रावत--

[28-1-81 के तारांकित प्रश्न संख्या 6 द्वारा उत्तरित ।]

*5--श्रीमती गौरी देवी--

[12वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 17 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी द्वारा स्वीकृत छात्रवृत्तियां

*6--श्री गंगा सागर शंखवार (अनुपस्थित)--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि अक्तूबर, 80 के दूसरे सप्ताह में निदेशक हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग को सूचना प्राप्त हुई है कि जौनपुर जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी ने वर्ष 1978-79 में पिछड़ी जाति, मोमिन असार, विमुक्ति जाति के दशमोत्तर कक्षाओं के छात्रों की छात्रवृत्ति को फरजी मार्कशीट लगा-लगा कर स्वीकृत की एवं पूर्व दशम के हरिजन, पिछड़ी, विमुक्त जाति के छात्रों को सन् 1979-80 की छात्रवृत्तियां, प्राप्त आवेदन-पत्रों को न स्वीकृत कर अपनी इच्छानुसार पहले छात्रवृत्ति स्वीकार कर इनके आवेदन-पत्रों को रजिस्टर पर चढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में कौन सी कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्री छेदा लाल चौधरी)--

जी नहीं । फर्जी मार्कशीट लगाकर कोई भी छात्रवृत्ति स्वीकृत नहीं की गयी है । अक्तूबर, 1980 के बाद दशमोत्तर कक्षा में पिछड़ी जाति, मोमिन अंसार, विमुक्त जाति के छात्रों की कोई भी छात्रवृत्ति वर्ष 1978-79 के मद से जिला स्तर पर स्वीकृति नहीं की गयी है । जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी जौनपुर द्वारा इच्छानुसार छात्रवृत्तियां स्वीकृत नहीं की गयी है । समस्त छात्रवृत्तियां उन्हीं छात्रों को दी गयी हैं जिनके प्रार्थना-पत्र विद्यालय से प्राप्त हुए थे स्वीकृतियां नियमानुसार तथा योग्यता के आधार पर स्वीकृत की गयीं । सभी प्रार्थना-पत्र रजिस्टर पर चढ़े थे ।

अधिशासी अभियन्ता सिंचाई विभाग द्वारा किये गये स्थानान्तरण तथा आदेशों की अवहेलना

*7--श्री विद्यासागर नौटियाल--

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रमुख अभियंता सिंचाई विभाग के आदेश संख्या सी0 379-ई-1 रबी/171/विविध 80/लखनऊ, दिनांक 18 जून, 1980 के अनुसार समस्त विभागीय अभियन्ताओं को निर्देश दिये गये थे कि वे जिन अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण आदेश निर्गत किये जा चुके हैं किन्तु रिलीव नहीं हुए हैं उन्हें अग्रिम आदेशों तक के लिये यथास्थान रहने दिया

जाय ? क्या यह सही है कि जिला लखीमपुर खीरी सिंचाई खंड प्रथम के अधिशासी अभियन्ता (श्री ओ० पी० बैश्य) ने उक्त आदेश की अवहेलना कर दिनांक 12-7-80 को अपने अधीनस्थ 33 सींचपाल राजस्व कर्मचारियों के स्थानान्तरण कर दिये थे ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सच है कि इन स्थानान्तरित कर्मचारियों को खीरी जनपद में आये हुए केवल तीन माह हुए थे ?

श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी--

जी हां, अधिशासी अभियन्ता ने प्रश्नगत स्थानान्तरण नियमानुसार आदेशित किये थे किन्तु 18 जून, 1980 के आदेशों के अनुसार अग्रिम आदेशों तक यह स्थानान्तरण नहीं किये जाने चाहिए थे । अधिशासी अभियन्ता को इस सम्बन्ध में निदर्शित कर दिया गया है कि वह भविष्य म ऐसी गलती न करें यह सही नही है कि इन स्थानान्तरित कर्मचारियों को खीरी जनपद में आये हुए केवल तीन-तीन माह हुए थे ।

श्री विद्यासागर नौटियाल--

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहूंगा कि भविष्य के लिए तो यह निर्देशित कर दिया गया लेकिन जो पिछले उन्होंने काम किये हैं सरकार के आदेशों की अवहेलना कर के उनके लिए क्या मन्त्री जी उस अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही करने पर विचार कर रहे हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, इसीलिए चेतावनी दी गई कि अधिकारी भविष्य में इस तरह का काम न करें । चेतावनी दी गई चेतावनी पनिशमेंट होती है ।

श्री विद्यासागर नौटियाल--

क्या उन के सी० आर० में रिकार्ड होगा ? दूसरी बात मैं यह पुछना चाहता हूं कि मेरे प्रश्न किये जाने के बाद आप ने चेतावनी दी या उसके पहले कोई कार्यवाही की अवहेलना की जा रही थी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जब यह सरकार के नोटिस में आया तो चेतावनी दी गई ।

श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, यह एक दो कर्मचारियों का प्रश्न नहीं है । 33 सींचपालों को स्थानान्तरित किया गया और अभी जो मन्त्री जी ने बताया कि कोई भी ऐसा कर्मचारी नहीं है जो तीन महीने के अन्दर आता है मैं पूछना चाहता हूं तीन महीने के अन्दर नहीं होगा वह यह बतायें कि कितनी अवधि से वह उस जनपद में थे और इतनी कम अवधि में क्यों स्थानान्तरण किया गया ? स्थानान्तरण 3 साल, 5 साल में होता है ।

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, जैसा ट्रान्सफर का नियम है, 32 किलो मीटर की कम दूरी पर जो थे उनका ट्रान्सफर किया गया और बहुत से चार वर्ष, तीन वर्ष से थे उनका ट्रान्सफर किया गया । कोई बहुत दूर भी उनको नहीं भेज दिया गया । 32 किलो मीटर दूरी के अनुसार ही किया गया ।

*8--श्री रियासत हुसैन तथा श्री राम गोविन्द--

[28 जनवरी, 1981 के तारांकित प्रश्न संख्या 13 द्वारा उत्तरित ।]

*9--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

[21वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 15 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

*10--श्री ऊदल--

[28 जनवरी, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 115 द्वारा उत्तरित ।]

विकास क्षेत्र जलालपुर, ग्राम कुकुढ़ीपुर तथा असबरनपुर में नलकूपों की अव्यवस्था

*11--श्री प्रभु नारायण सिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र जलालपुर के अन्तर्गत ग्राम कुकुढ़ीपुर का नलकूप गत कई महीनों से बेकार पड़ा हुआ है और उस क्षेत्र के किसानों को बड़ी असुविधायें हो रही हैं ? क्या यह भी सत्य है कि इसी क्षेत्र के ग्राम असबरनपुर में वर्षों पूर्व नलकूप लगान हेतु बोरिंग की गई थी, परन्तु उस स्थान पर आज तक नलकूप नहीं लगाया गया ? क्या इन नलकूपों को ठीक कराकर शीघ्र कृषकों की सिंचाई हेतु पानी देने की व्यवस्था की जायेगी ?

श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी--

जी हां । जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र जलालपुर के ग्राम कुकुढ़ीपुर में स्थित राजकीय नलकूप पम्पिंग सेट गिर जाने के कारण मई, 1980 से बन्द है ।

ग्राम असबरनपुर में वर्ष 1972-73 में एक नलकूप लगाने हेतु बोरिंग की गई थी । इस नलकूप ने दिनांक 6 फरवरी, 1974 से जनवरी, 1980 तक सिंचाई की है । जनवरी, 1980 से यह राजकीय नलकूप बोर में बालू भर जाने के कारण बन्द है ।

इन दोनों राजकीय नलकूपों को ठीक करा कर चलाने की कार्यवाही की जा रही है ।

श्री प्रभु नारायण सिंह--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित । माननीय मन्त्री जी ने यह बताया कि विकास क्षेत्र जलालपुर, ग्राम कुकुढ़ीपुर का बोरिंग नलकूप, उसका पम्पिंग सैट, मई, 1980 में गिर गया है उसके नाते वह बन्द है । श्रीमन, इस पम्पिंग सैट के गिरने का उत्तरदायित्व किस पर है और उस उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, इसकी जांच कराई जा रही है और जो इसमें जिम्मेदार पाया जायेगा उसके ऊपर कार्यवाही की जायेगी । लेकिन किसान का नुकसान न हो, जल्दी से जल्दी इसकी सफाई करने के लिए कहा गया है । इसके बावजूद भी अगर नलकूप चलने लायक नहीं होता तो उसी के बगल में दूसरा नलकूप लगा दिया जायेगा जो 31 मार्च तक पूरा किया जायेगा ताकि सिंचाई की असुविधा न हो ।

श्री भगवती सिंह विशारद--

क्या माननीय सिंचाई मन्त्री जी अपने उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि जब कभी नलकूप खराब होने की बात होती है तो शासन की ओर से सदैव यह उत्तर दिया जाता है कि यह रिग डिविजन के सुपुर्द किया जाता है। रिग डिविजन को सक्षम बनाया गया है ताकि वह नलकूपों को समय से ठीक कर सके ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जो डिविजन बनाया गया है वह समय से काम करने के लिए ही बनाया गया है। जो लापरवाही या किसी प्रकार की असुविधा बरतेगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री प्रभु नारायण सिंह--

मान्यवर, उत्तर में यह कहा गया है कि उन नलकूपों को ठीक कराकर चलाने की कार्यवाही की जा रही है तो मैं चाहता हूं कि वह कौन सी निश्चित अवधि होगी जब तक वह चालू कर दिए जायेंगे और इस अवधि में किसानों की जो रवी की फसल सूख गई क्या इसलिए उनको कोई विशेष राहत पहुंचाई जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

राहत देने का प्रोवीजन नहीं है लेकिन जैसा कि मैंने कहा है 31 मार्च से पहले उसको साफ करने से यदि वह ठीक हो सकता है तो ठीक है अन्यथा वहां पर नया ट्यूबवेल लगा दिया जायेगा ताकि वहां पर सिंचाई की सुविधा दी जा सके।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, प्रश्न केवल जौनपुर का ही नहीं है। प्रदेश के अन्य जिलों में भी इसी तरह की स्थिति है। क्या माननीय मन्त्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि महीने, दो महीने चार या छः महीने में प्रदेश का कोई नलकूप ऐसा नहीं होगा जो कार्य न करता रहे ?

श्री अध्यक्ष--

इसके लिए आप अलग से प्रश्न कर सकते हैं।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, मन्त्री जी ने उसके खराब होने के दो कारण बताये एक तो मोटर के गिरने के कारण और दूसरे रेत आ जाने के कारण वह ट्यूबवेल फेल हो गया। मोटर के गिरने के कारण के लिए तो मन्त्री जी ने बताया कि उसकी जांच करा ली जायेगी लेकिन दूसरा जो कारण है कि उसमें रेत भर जाने से और बजरी न डालने से वह खराब हो गया तो क्या आप इस कारण की भी जांच करवायेंगे कि किस तरह से उसमें रेत आ गई और ट्यूबवेल खराब हो गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मैंने उसके लिए भी कहा जो लोग भी नलकूप लगाये हैं और उसमें असावधानी बरते हैं उसकी भी जांच कराई जायेगी और दोषी व्यक्तियों के ऊपर कार्यवाही की जायेगी।

श्री श्यामसूरत उपाध्याय--

जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा यह नलकूप मई, 1979 से खराब हैं और अब मार्च, 1981 तक ठीक हो जायेगा । मैं यह जानना चाहता हूं कि दो वर्ष का समय गुजर गया अभी तक ठीक नहीं हो पाया तो जिन व्यक्तियों ने लापरवाही बरती है उनके विरुद्ध भी कार्यवाही आप करेंगे ?

श्री बीर बहादुर सिंह--

मैंने निवेदन किया कि इसकी जांच की जायेगी और जिनकी जिम्मेदारी पायी जायेगी, उनके ऊपर अवश्य कार्यवाही की जायेगी ।

श्री मेंहदी असगर--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अन्दर नलकूप तो बन गये हैं लेकिन उनके लिये नालियां नहीं बनी हैं जिस कारण वे नलकूप बेकार पड़े हुये हैं और रेत आदि की वजह से पानी नहीं चल पाता है । तो इस बात का भी माननीय मंत्री जी आश्वासन देंगे.....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

यह तो आपका दूसरा प्रश्न है । कृपया अलग से दूसरा प्रश्न कर लें ।

विकलांगों का सरकारी नौकरियों में अरक्षण

*12--श्री सोमांश प्रकाश--

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में विकलांगों का आरक्षण समाप्त किया गया है ? यदि हां, तो क्यों तथा सरकार उनके आरक्षण के विषय में पुनर्विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री छेदा लाल चौधरी--

जी नहीं । विकलांगों का आरक्षण समाप्त नहीं किया गया है । सरकारी नौकरियों में वर्ग 1, 2, 3 व 4 की सेवाओं में समाज के अक्षम व्यक्तियों (फिजीकली हैण्डीकैप्ड) के लिये 2 प्रतिशत पद पहले से ही आरक्षित है ।

श्री सोमांश प्रकाश--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह केवल सरकारी नौकरियों के लिये ही आरक्षण है अथवा शिक्षा संस्थाओं और अध्यापकों तथा ट्रेनिंग कालेजों और टेक्निकल स्कूलों के लिये भी रिजर्वेशन है ? अगर नहीं है, तो क्यों ?

श्री छेदालाल चौधरी--

सबके लिये है ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि नौकरियों में आरक्षण है तो क्या इस बात को भी आप बतायेंगे कि ऐसे कुछ विकलांग हैं जो चल फिर नहीं सकते हैं, पढ़े-लिखे नहीं हैं उनके चलने-फिरने के लिये कोई व्यवस्था की जाय जैसे उनके लिये साइकिल अथवा ट्राईसाइकिल टाइप की दी जाय ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य, आप तो पढ़े लिखे हैं, आप तो दूसरा प्रश्न कर रहे हैं ।

मूक बधिर विद्यालय, ऐशबाग, लखनऊ में हरिजन छात्र व छात्राओं को स्वीकृत छात्रवृत्तियां

*13--श्री भीखा लाल--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मूक बधिर विद्यालय, ऐशबाग, लखनऊ में वर्ष 1978-79 में कितने हरिजन बालक व बालिकाएं पढ़ती थीं ? और उनमें से कितनों की छात्रवृत्ति हरिजन समाज कल्याण विभाग से स्वीकृत हुई थी और उनमें से कितने विद्यार्थियों को कितने-कितने महीनों की छात्रवृत्ति दी गई ? क्या यह भी सही है कि दो महीनों की छात्रवृत्ति देना अभी तक अवशेष है ? यदि हां, तो इसे न देने का क्या कारण है ?

श्री छेदा लाल चौधरी--

वर्ष 1978-79 में मूक बधिर विद्यालय, ऐशबाग, लखनऊ में कुल 5 हरिजन बालक व बालिकायें पढती थीं और इनमें से 3 हरिजन बालक व बालिकाओं को 20 रु0 प्रति मास की दर से जुलाई, 1978 से अप्रैल, 1979 तक हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा छात्रवृत्ति स्वीकृति की गई थी । जुलाई, 1978 से फरवरी, 1979 तक की छात्रवत्ति का भुगतान कर दिया गया । विद्यालय के प्रधानाचार्य ने कोषागार से छात्रवृत्ति का 1520 रु0 का बिल जिसमें मार्च तथा अप्रैल अर्थात 1979 की 2 महीने की छात्रवृत्ति की 120 रु0 की धनराशि भी शामिल थी, पास करवा कर इलाहाबाद बैंक, अमीनाबाद, लखनऊ को 30 मार्च, 1980 को स्टेट बैंक से भुगतान प्राप्त करने के लिए जमा किया किन्तु बैंक ने समय से इसका भुगतान स्टेट बैंक से प्राप्त नहीं किया । अतएव 1520 रु0 के मआविजे के लिए संबंधित संस्था द्वारा बैंक से पत्र व्यवहार हो रहा है और धनराशि प्राप्त होते ही संबंधित बालक व बालिकाओं को स्वीकृत धनराशि का भुगतान संस्था द्वारा किया जायेगा ।

श्री भीखालाल--

माननीय मंत्री जी से दो प्रश्न पूछना चाहता हूं पहला तो यह कि यह मार्च/अप्रैल, 1979 की छात्रवृत्ति है और दूसरा इसका बिल बैंक में 30 मार्च, 1980 को यानी एक वर्ष बाद भेजा गया । तो क्या इस सिलसिले में विलम्ब के कारणों का पता लगायेंगे और जिस व्यक्ति ने इसमें असावधानी बरती है उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री छेदा लाल चौधरी--

अवश्य कार्यवाही करेंगे ।

श्री भीखालाल--

माननीय मंत्री जी ने कहा कि 30 मार्च, 1980 को बिल बैंक में भेजा गया लेकिन उसका भुगतान आज तक नहीं हुआ । इससे संदेह होता है कि उत्तर ही है अथवा क्या वह इस बात का पता लगायेंगे कि क्या वाकयी बिल भेजा गया या नहीं और अगर गलत सूचना दी गयी है उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ? अभी तक भुगतान न होने का क्या कारण है ?

श्री छेदा लाल चौधरी—

मान्यवर, यह स्वैच्छिक संस्था है। इसका जरूर पता लगायेंगे क्यों यह हुआ ?

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, यह रुपया 1979-80 का है और मंत्री जी ने कहा 30-3-1980 को रुपया बैंक में जमा हो गया। मेरा स्पष्ट प्रश्न यह है कि इतनी सारी बातों के बाद अभी तक पैसा नहीं मिला तो क्या इस बात का पता लगायेंगे कि इसमें मिस-एप्रोप्रियेशन नहीं हुआ है और कौन इसके लिए जिम्मेदार है उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री छेदा लाल चौधरी—

मान्यवर, यह स्वैच्छिक संस्था है। संस्था और बैंक के बीच में पत्र-व्यवहार चल रहा है और शीघ्र ही इसमें जो बात होगी उस पर पूरी कार्यवाही हो जायेगी।

श्री प्रियदर्शी जैतली—

मंत्री जी के उत्तर से संबंधित। क्या वह इस बात की जांच मेरी सूचना पर करायेंगे कि फैजाबाद जनपद में हरिजन छात्रों से अधिकांश विद्यालयों में जबरदस्ती दस्तखत करा लिया जाता है और पूरा रुपया नहीं दिया जाता है, वह चाहेंगे तो मैं विद्यालयों के नाम भी दे सकता हूं। क्या वह इस बात की जांच करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह अलग प्रश्न है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मन्त्री जी ने बताया कि जांच चल रही है। मैं उनसे जानना चाहता हूं प्रश्न कर्त्ता ने नवम्बर में यह प्रश्न किया और यह फरवरी का महीना है और यह मामला भी लखनऊ का ही है कहीं से सूचना एकत्रित कराने की आवश्यकता नहीं है। यह निश्चित है कि इसमें घपला किया गया है। तो क्या वह आश्वासन देंगे कि जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

जांच कराने का आश्वासन उन्होंने दिया है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, जांच तो 6 महीने और साल भर तक चलती रहेगी जो प्रश्नोत्तर हुए हैं उनसे स्पष्ट है कि इसमें कोई न कोई दोषी है तो उस पर कौन सी कार्यवाही मन्त्री जी कर रहे हैं ?

श्री छेदा लाल चौधरी—

इस मामले को हम देखवा लेंगे।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

यह क्या देखवा लेंगे ? मन्त्री जी का उत्तर अपने में साबित करता है कि कोई न कोई अधिकारी या कर्मचारी इसमें दोषी है और जब दोषी है तो उसके खिलाफ उन्हें स्पष्ट कार्यवाही का आश्वासन देना चाहिये ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मंत्री जी ने अभी कहा कि सन्दर्भित संस्था में 5 बालक–बालिकाएं पढ़ते थे और इनमें से तीन को ही छात्रवृत्ति दी गई है। शासन के निदेश हैं कि सभी हरिजन बच्चों को छात्रवृति दी जाय, तो मैं जानना चाहता हूं कि शेष दो छात्रों को छात्रवृत्ति क्यों नहीं दी गई ? और क्या यह सही है कि इन्होंने भी छात्रवृति के लिए फार्म भरा था, लेकिन प्रधानाचार्य ने उनको अग्रसारित नहीं किया ?

श्री छेदा लाल चौधरी—

जिन्होंने अप्लाई किया था, उन्हीं को मिला है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मैं जानना चाहता हूं कि मन्त्री जी की इस जानकारी का आधार क्या है ? और यदि उनके पास सही जानकारी का आधार है तो क्या वह यह बतायेंगे कि जिन तीन ने अप्लाई किया और जिन दो ने अप्लाई नहीं किया, उनके अलग–अलग नाम क्या हैं ?

श्री अध्यक्ष—

आपको नाम इनके मालूम हो तो बता दें ?

श्री छेदा लाल चौधरी—

मान्यवर, वर्ष 1978–79 में अनुसूचित जाति के निम्नलिखित छात्र पढ़ते थे—श्री प्यारे लाल, श्री अजय कुमार, श्री धर्मेन्द्र, कु० ऊषा और वृज लाल। अब इनमें से तीन बालक–बालिकाओं को छात्रवृत्ति मिली है। मैं अब देखवा लूंगा कि किन दो ने अप्लाई नहीं किया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मन्त्री जी ने यह कहकर सदन को गुमराह किया है कि उन दो ने अप्लाई नहीं किया, जबकि इनको उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, उनके नाम, पता नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष—

क्या आप बता सकते हैं कि किन दो को नहीं दी जा रही है ?

श्री छेदालाल चौधरी—

इसके लिए सूचना की आवश्यकता है, इसे दिखवाना पड़ेगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मन्त्री जी ने कहा है कि दो ने अप्लाई नहीं किया, तो इस जानकारी का उनके पास आधार क्या है? मालूम पड़ता है कि इनका यह उत्तर काल्पनिक है

और इन्होंने जानबूझ कर यह उत्तर दिया है कि कुछ न कुछ उत्तर दे ही देन चाहिये। ऐसा सोचकर मन्त्री जी ने उत्तर ऐसा दे दिया है। इनको जनहित के नाम पर सेल्टर प्राप्त है, इसलिए इन्होंने सदन को गुमराह किया है। तो क्या आप इसके लिए मन्त्री जी की शास्ति करने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

इसको आप बता सकेंगे कि किस को नहीं मिला है ?

श्री छेदालाल चौधरी--

हमें इसकी जांच करवानी पड़ेगी।

श्री हुकम सिंह--

क्या मन्त्री जी को यह सुनिश्चित जानकारी है कि केवल तीन ने ही अप्लाई किया था ? 2 ने अप्लाई नहीं किया था। जिन 2 ने अप्लाई नहीं किया था क्या माननीय मन्त्री जी उनके नाम बताने की कृपा करेंगे ?

श्री छेदा लाल चौधरी--

मैं देखकर बता दूंगा।

श्री अध्यक्ष--

माननीय हुकम सिंह जी, मामला केवल 3-5 का है।

*14--श्री राज कुमार राय--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

जनपद देवरिया के ग्राम गायघाट एवं नगवा का राप्ती नदी से कटाव

*15--श्री नन्दकिशोर सिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि देवरिया जिले में राप्ती नदी के कटाव से गायघाट, भेड़ी एवं नगवा ग्राम कट रहा है ? यदि हां, तो शासन द्वारा बचाव की कौन सी कार्यवाही की जा रही है ?

श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी--

जनपद देवरिया के ग्राम गायघाट एवं नगवा को राप्ती नदी से कटान हो रहा है। भेड़ी ग्राम में कटान रोकने के लिए कटाव निरोधक कार्य बने हुए हैं जिनसे कटान रुका हुआ है।

गायघाट ग्राम में कटान रोकने की 4.15 लाख रुपये लागत की योजना स्वीकृत हो चुकी है। इस पर कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है।

नगवा ग्राम की सुरक्षा के लिए योजना बनाई जा रही है तत्पश्चात् अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

श्री नन्द किशोर सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि गायघाट के लिए कौनसी योजना बनाई गई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

गायघाट के बचाव के लिये शासन द्वारा स्टिपर बनाये जाने की योजना है। इस पर 4.15 लाख रुपया के व्यय का अनुमान है ।

श्री नन्द किशोर सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि राप्ती नदी का जो कटाव हो रहा है, उसके बगल में क्या कंटोरिया गांव में भी कटाव हो रहा है ? यदि हां, तो क्या उसके बचाव की कोई योजना नहीं है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

माननीय सदस्य ने इसको पहले से नहीं पूछा है, इसको दिखवा लूंगा ।

श्री हरिबंश सहाय—

गायघाट में स्टिपर लगाने की बात क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, स्टिपर लगान का काम हो रहा है ।

*16—श्री जंगबहादुर—

[5वें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 10 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

रोडवेज बसों के किराए में वृद्धि

*17—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र० राजकीय सड़क परिवहन निगम द्वारा हाल में ही शासन को इस आशय का सुझाव प्राप्त हुआ है कि रोडवेज के यात्री किराए में 40 प्रतिशत अथवा 60 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी कर दी जाय ? यदि हां, तो सुझाव का विवरण क्या है तथा शासन का उस सुझाव पर दृष्टिकोण क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

परिवहन निगम ने चेसिस, टायर, बैट्री, डीजल, पेट्रोल, स्प्रिंगलीफ, स्पेयर पार्ट्स एवं एल्यूम्यूनियम इत्यादि के मूल्यों एवं कर्मचारियों के भत्ते आदि में होने वाली वृद्धियों के फलस्वरूप संचालन व्यय में वृद्धि को देखते हुए यात्री बसों के किराए में वृद्धि किए जाने का अनुरोध किया था । सम्यक् विचारोपरान्त शासन ने दिनांक 12 जनवरी, 1981 से यात्री बसों के किराए की दरों में संलग्न †अधिसूचना के अनुसार वृद्धि कर दी है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या माननीय मंत्री जी अपने सम्यक् विचारोपरान्त यह बताने की कृपा करेंगे कि जब निगम का प्रपोजल आया तो क्या शासन ने इस पहलू पर भी विचार किया कि बसों की जो आपरेशनल इफिसिएन्सी है, उसे बढ़ाया जाय, बसें ठीक

†छापी नहीं गई ।

समय पर नहीं चलती है, खिड़की पड़ी रहती हैं। घटे का मुख्य कारण यह है कि और एस्टीमेट कमेटी ने भी इस पर अपनी टिप्पणी दी है क्या शासन ने इस बात पर विचार किया कि इनकी जो आपरेशनल इफिसिएन्सी है, उसको ठीक किया जाय ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, माननीय सदस्य का यह कहना कि यह जो आपरेशनल इफिसिएन्सी है, इसको ठीक किया जाय। मान्यवर, इसके सम्बन्ध में काफी कार्यवाही की गई है और यह जो बसों का किराया बढ़ाया गया है उससे एक करोड़ पर मंथ की आमदनी कारपोरेशन की बढ़ गई है।

लेकिन हमें जितना घाटा हो रहा है, इससे पूरा नहीं कर सकते हैं। बाजार में हर चीज के भाव जिस रेशियों से बढ़े हैं उसे ध्यान में रखकर किराया बढ़ाना आवश्यक था। पिछली बार बसों का किराया वर्ष 1975 में बढ़ा था। इस समय चेसिस जो 95,000 रुपए में मिलता था वह अब 1 लाख 28 हजार में मिल रहा है। लेलैंड चेसिस की कीमत 102 लाख थी जो अब बढ़कर 144 लाख हो गई है। इसी प्रकार टायर के दामों में 44 प्रतिशत की वृद्धि हो गई है। इस्पात का दाम 66 प्रतिशत, सी० आर० शीट का दाम 45.68 प्रतिशत, बैटरीज का दाम 60.48 प्रतिशत, डीजल प्रति हजार लीटर का दाम 110 प्रतिशत वर्ष 1975 के बाद बढ़ोत्तरी हुई है। इस प्रकार से ओपेरेशन कास्ट 60 प्रतिशत बढ़ गई है। तो निगम को चलाने, जनता को सुविधायें देने के लिए यह आवश्यक हो गया था। प्राइवेट ओपरेटर्स ने तो 100 प्रतिशत किराए में वृद्धि की मांग की थी लेकिन सरकार ने सब बातों को ध्यान में रखकर केवल 25 प्रतिशत ही किराया बढ़ाया है, जो कि निगम, जनता और प्रदेश के हित में है।

श्री मित्र सेन--

माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि निगम में सामान की जो चोरी होती है, उसका कोई आंकलन उनके पास है। निगम में जितनी भी प्राइवेट बसेज हैं, जो मुनाफे पर चल रही हैं तो ऐसी स्थिति में राजकीय बसों के किराए में बढ़ोत्तरी करने का क्या औचित्य है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

निगम की बसों की संख्या 5700 है जिनमें से लगभग 1500 बसें सड़क पर चलने लायक नहीं हैं। बसों की बहुत कमी है। जितनी बसें हमें मिलने वाली थीं वे नहीं मिलीं। तो जनता को सुविधा देने के लिए उनकी मरम्मत करके चलाना पड़ रहा है। यही वजह है कि इन पर ज्यादा खर्चा पड़ जाता है। हम चाहते हैं कि पूरे निगम की एफिशियेंशी हो। अगर ज्यादा बस निगम में हो जायं तो उनका ओपरेशन ठीक ढंग से होगा तो जो इस समय घाटा निगम को होता है वह रुके। पार्ट्स की चोरी को भी रोकने के लिए कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। इससे भी निगम की 1 करोड़ रुपए की आमदनी बढ़ गई है लेकिन उससे भी हम घाटा पूरा नहीं कर सकते हैं।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि निगम हर वर्ष घाटे पर चलता है और इनकी वर्कशाप्स में यह हो रहा है कि जहां 4 रुपए के सामान

की आवश्यकता हो वहां पर 14 रुपए का सामान लग जाता है। तो क्या सरकार ने उसकी रोकथाम के लिए कोई व्यवस्था की है या केवल बसों का किराया बढ़ा कर अधिकारियों का पेट भरना चाहते हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मैंने पहले ही बता दिया है कि अब हमने आदेश दे रखे हैं कि बसों में जैनुइन पार्ट्स ही यानी ओरिजिनल पार्ट्स ही लगाए जाएं । हमने पार्ट्स खरीदने के लिए भी मिडिल मैन जो एजेन्ट होता था उसको खत्म कर दिया है । इससे भी निगम को 5-6 करोड़ रुपए का फायदा होगा । इसके अलावा जो दोषी अधिकारी होगा उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी । इसके लिए भी जांच-पड़ताल की जा रही है ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

जिन वर्कशाप्स में आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं कि जिस पार्ट का दाम 4 आने होता है उसके लिए 1 रुपया लगाया जाता है तो क्या इस मरम्मत के काम को सरकार प्राइवेट कारखानों को देने की कृपा करेंगे ?

श्री बीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, यह सम्भव नहीं है । हम तो चाहते हैं कि पब्लिक अन्डरटेकिंग में अन्डरटेकिंग को बढ़ावा मिले । लेकिन हम प्राइवेट वाला कोई काम नहीं करना चाहते हैं ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि इनइफिसियंसी की वजह से किराया बढ़ा है, चीजों की तेजी की वजह से किराया नहीं बढ़ा है क्योंकि 40 प्रतिशत तो पहले ही किराया बढ़ा दिया था । क्या माननीय मंत्री जी इस प्रदेश के यात्रियों को सस्ते में चलने के लिए प्राइवेट बसों को यह आदेश देंगे कि आकर वह इसी किराए पर चलावें ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, जब निगम का किराया बढ़ेगा, तो प्राइवेट का भी बढ़ेगा । लेकिन हम निगम के जूरिस्डिक्शन में प्राइवेट बसों को नहीं करते हैं ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

मान्यवर, यह प्रश्न साफ नहीं हुआ है । 25 प्रतिशत जो किराया बढ़ाया, उसको हटा कर पुराने किराए की दर पर क्या माननीय मंत्री जी बसों को चलाने के लिए तैयार हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, मान्यवर, इन प्राइवेट को आप जानते हैं कि निगम और प्राइवेट में कितना अन्तर है। प्राइवेट बसें जो हैं, कितनी चोरी करते हैं, निगम में ऐसी बात नहीं है । कंडक्टर की चोरी को तो हर सभी लोग जानते हैं, उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है ।

श्री भगवती सिंह विशारद--

मान्यवर, अभी हरियाणा सरकार ने यह घोषणा की है कि वह अपने परिवहन में यात्रियों का जो किराया है, किसी तरह की उसमें वृद्धि नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने यह संस्तुति की है कि 40 से 60 प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाय । क्या माननीय मंत्री जी उन कारणों की जांच कराने की कृपा करेंगे कि दूसरे प्रदेशों में क्यों किराया नहीं बढ़ाया जा रहा है और उत्तर प्रदेश में बढ़ाया जा रहा है ?

श्री बीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, ऐसा नहीं है, बहुत से प्रदेशों में किराया बढ़ाया जा चुका है । हरियाणा में क्या बात है उसको दिखवा लिया जायगा । पैसेन्जर को हर तरह से राहत देना है, तो मान्यवर, उसके लिए हर तरह से देखना होगा ।

श्री कुंवर सिंह नेगी--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि गत वर्ष कितनी बसें सड़क पर चलती रहीं और कितनी खड़ी रहीं ?

श्री बीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, आज जो हमारा रेशियो है 12 प्रतिशत है । लेकिन हम उसको 5 प्रतिशत जो जनरल होना चाहिए, मैं 5 प्रतिशत पर लाना चाहता हूं । इफिसियेंसी बढ़ाने के लिए हर तरह से प्रयास हो रहा है ।

श्री ऊदल--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित । अभी माननीय मंत्री जी ने 12 प्रतिशत खराब बसों का रेशियो बताया । मान्यवर, आजमगढ़ में अभी गया था, वहां पर करीब 100 बसें खड़ी हैं । इसी तरह से अन्य जगहों पर भी बहुत सी बसें खराब खड़ी हुई हैं । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इन खराब बसों को नीलाम करने के लिए शासन ने क्या कार्यवाही की ? और दूसरी बात यह है कि निगम की कार्य-प्रणाली जो दूषित है उसमें और व्यापक सुधार करने के लिए क्या कोई कमेटी या कोई आयोग के गठन पर माननीय मंत्री जी विचार करेंगे ?

श्री बीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, निगम की कार्य-प्रणाली में सुधार करने के लिए बहुत से उपाय हो रहे हैं । लेकिन कोई आयोग बैठाने की आवश्यकता नहीं होगी । उसकी क्षमता बढ़ाने के लिए हर प्रकार के प्रयास किये जा रहे हैं ।

श्री लल्लू सिंह चौहान--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि उन्होंने अपने उत्तर में कहा है कि चोरी रोकने के लिये जो पार्ट्स और पुरजे की चोरी होती थी, उसके लिए कठोर कदम उठाये गये हैं । तो मैं जानना चाहता हूं कि कितना स्टाफ टर्मिनेट और सस्पेंड किया गया ? कठोर कदम के मायने क्या हैं ?

श्री बीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य को बता दूं कि जिन चीजों की वजह से चोरी होती थी, उनको खत्म कर दिया गया है । पहले बाजार से पार्ट्स खरीद लेते थे और इसमें घपला करते थे अब यह कर दिया है कि सीधे कम्पनी से खरीदेंगे और सीधे डिपो को भेजा जायेगा और वहां पार्ट्स लगेंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने एफीसियेंसी बढ़ाने की बात कही । तो क्या वह जो एक रुपया प्रति माह और कुल मिलाकर 12 करोड़ रुपया साल की आमदनी है और वह दूसरी जो 6 करोड़ पार्ट्स के खरीदने के कारण आमदनी बढ़ी तो यह 18 करोड़ की आमदनी बढ़ गयी । उसमें कुछ टायर और चेचिस की कीमत हुयी । तो क्या इससे एफीसियेन्सी पूरी नहीं कर सकते ? दूसरे, मान्यवर, यह जो रेट्स बढ़ाये गये हैं, पूरे प्रदेश में एक सा नहीं है। बहुत से स्थानों के रूट्स को एग्जेम्ट कर दिया गया है । जिन रूट्स को एग्जेम्ट कर दिया गया है, उसमें शासन की मन्शा यही रही होगी कि ये पिछड़े इलाके हैं या पहाड़ के इलाके हैं । तो मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या इस बढ़ी हुयी महंगायी और किसानों की गरीबी और कंगाली व निरीह अवस्था को ध्यान में रखते हुये जो रूट्स गांव को जाते हैं क्या उनको भी बढ़े हुये दर से एग्जेम्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, ऐसी बात नहीं । यह 25 प्रतिशत हर जगह बढ़ाया गया है । केवल शहरों में कम बढ़ाया गया है । उसमें जहां पर 25 पैसे था, वह 30 पैसे हो गया है और जहां पर 50 पैसे था, वह 60 पैसे हो गया है । तो कहीं पर 15 प्रतिशत और कहीं पर 20 प्रतिशत बढ़ा है लेकिन ऐसा नहीं कि कोई जगह छोड़ दी गयी हो ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मुझे दुख है कि मंत्री जी पत्रावली भी देखकर नहीं आते । जो मुझे उत्तर दिया गया है, उसमें लिखा गया है । आप, मान्यवर, दबाव नहीं डाल सकते कि उत्तर दो, लेकिन इस संदर्भ में कुछ तो कर सकते हैं । जरा, मान्यवर, उसमें देखिये । यह निश्चित रूप से लिख रखा है, साफ लिख रखा है । दो श्रेणियों के मार्गों को छोड़ कर । मान्यवर, साफ लिखा हुआ है । पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चमोली, उत्तर काशी, देहरादून और काठगोदाम । यह सभी उसमें दिया हुआ है । आप भी, मान्यवर, देख लें । लेकिन उसके बारे में माननीय मंत्री जी ने कृपा नहीं की कि पढ़ लें । तो मैं फिर से कहना चाहता हूं कि पूरी-पूरी रूट्स को एग्जेम्ट किया है तो इस बात को ध्यान में रखते हुये कि बहुत से रूट्स को एग्जेम्ट कर दिया है, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हमारे गांव के लोग जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, कंगाल हैं, उन पर बहुत बोझ इससे बढ़ जायेगा तो क्या उन मार्गों को जो गांव के बीच होकर जाते हैं, उनको भी जो सूची दी गयी है, उसमें बढ़ाने की कृपा करेंगे ? दूसरे प्रश्न का तो उत्तर दिया है । 'जो नहीं' जिसमें कि मैंने पूछा था कि 18 करोड़ की आमदनी बढ़ गयी तो रेट बढ़ाने की क्या जरूरत है । लेकिन मेरे उसी प्रश्न का उत्तर माननीय मंत्री जी दे दें ।

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, जो 25 प्रतिशत लगा दिया गया है, उनमें कुछ संशोधन करने का विचार नहीं है ।]

श्री किरन पाल सिंह--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जो से पूंछना चाहता हूं कि आज सभी लोगों ने अखबारों में पढ़ा होगा कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस (आई) के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने 5 बसों और अनेकों ट्रकों को फूंक दिया । इस वजह से कि क्योंकि वहां की मार्कसंवादी सरकार ने मामूली सा भाड़े में वृद्धि कर दी थी ? तो मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं कि श्रीमती इंदिरा गांधी ही उस दल की अध्यक्षा हैं जो अन्दोलन करा रही हैं, तो अपने कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस प्रदेश में भी भाड़ा वृद्धि वापस करने की कृपा यह सरकार करेंगी ?

*18--श्री मोहम्मद नबी--

[5वें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 11 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

*19--श्री गोवरधन--

[मंत्रि परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

*20--श्री बदन सिंह--

[8वें शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 14 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत कार्य तथा मजदूरी का भुगतान

**1--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्रम के बदले खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत चल रहे कार्य बन्द कर दिये गए हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

पंचायती राज मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

जी हां । श्रम के बदले खाद्यान्न योजना के स्थान पर अब राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना चलायी गई है । इस नयी योजना के अन्तर्गत मजदूरी का भुगतान केवल खाद्यान्न के रूप में न होकर अंशतः खाद्यान्न तथा अंशतः नगद धनराशि में किया जाना है अतः इस योजना के अन्तर्गत निर्माण सम्बन्धी केवल उन्हीं कार्यों को कराया जा सकता है जिसके लिए किसी विभाग के आय-व्ययक में प्राविधान उपलब्ध हों । अर्थात् ऐसे कार्य जिसके लिए किसी विभाग के बजट में कोई धनराशि उपलब्ध नहीं है इस योजना के अन्तर्गत नहीं कराए जा सकते ।

इसके अतिरिक्त श्रम के बदले खाद्यान्न योजना के कार्यों को 30 नवम्बर, 1980 से इसलिए बन्द करना पड़ा कि गत वर्ष में समय-समय पर विभिन्न विभागों तथा जनपदों में खाद्यान्न का स्थानान्तरण किया गया था किन्तु भारतीय खाद्य निगम

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या 17 के उपरान्त तारांकित प्रश्नों का समय समाप्त हो गया ।

की खाद्यान्न देने के जटिल नियमों एवं प्रणाली के कारण विभिन्न जनपदों एवं विभागों को स्थानान्तरित खाद्यान्न उपलब्ध न हो सका । इस खाद्यान्न का लेखा-जोखा सही करने के लिए भी उक्त योजना के अन्तर्गत कार्य रोकना पड़ा। अब जिन जनपदों का खाद्यान्न का लेखा-जोखा ठीक हो गया है तथा यदि उन्हें अपने यहां उक्त योजना में अवशेष मजदूरी भुगतान हेतु किसी खाद्यान्न की आवश्यकता है उसका आवंटन कर दिया गया है जिन जनपदों का लेखा-जोखा अभी ठीक नहीं हुआ है उसे शीघ्र ठीक कराने के प्रयास जारी हैं तथा आवश्यकतानुसार उन्हें भी अवशेष मजदूरी भुगतान हेतु खाद्यान्न का आवंटन कर दिया जायगा ।

अब ग्रामीण क्षेत्र में जो भी नये निर्माण कार्य कराये जाने हैं वह राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत ही कराना संभव हो सकेगा।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, आजादी के 30 साल बाद यह पहली बार योजना चली थी कि प्रत्येक गांवों को सड़कों से जोड़ा जायेगा और उसके लिए अतिरिक्त खाद्या आवंटित हुआ था बजट के अतिरिक्त । तो मैं जानना चाहता हूं कि वह योजनन्न चाहे किसी भी सरकार ने चलायी हो, जिसका लक्ष्य मात्र इतना था कि हर गांवों को सड़कों से जोड़ा जाय । जो आपने बजट आवंटन की बात की है चाहे पी० डब्लू० डी० हो, इरीगेशन यह काम इससे हो नहीं सकता । तो क्या आप स्पष्ट घोषण० करेंगे कि खाद्यान्न योजना का नाम भले ही आप बदल दें, राष्ट्रीय रोजगार योजना कर दें, लेकिन उसे किसी विभाग के बजट पर निर्भर न करके जैसे काम चल रहा है, उसी तरह से चलाने का आश्वासन देंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

खाद्यान्न योजना 8 अगस्त, 1977 को शुरू की गई थी इसमें श्रीमती इंदिरा गांधी के निर्देशन में एक पत्र आया था ...।

श्री मोहन सिंह--

8 अगस्त, 1977 को आप नहीं थे ।

श्री अम्मार रिजवी--

8 दिसम्बर, 1977 को जब कांग्रेस सरकार थी...।

श्री मोहन सिंह--

8 दिसम्बर, 1977 को यह स्वयं पराजित होकर गायब हो गये थे मान्यवर, इनके जैसे योग्य मंत्री इस तरह की जब अयोग्यता प्रदर्शित करेंगे तो इस सरकार का क्या हाल होगा ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, उस पत्र की तिथि मेरे पास इस समय नहीं है बाद में बतला दूंगा । (व्यवधान) इसी साल इसमें 34 हजार किलोमीटर सड़कों का निर्माण कार्य हुआ । 34 हजार किलोमीटर सड़कों को बनाने के लिए काफी धनराशि की आवश्यकता है । यह सम्भव नहीं हो सकता कि अभी सड़कों का और ज्यादा निर्माण कराया जाता । पिछली सड़कें जो हैं उन पर किसी प्रकार का खरन्जा

नहीं लगा । लिहाजा यह निश्चय किया गया कि उन पर खरन्जा लगाने के लिए कुछ सामान खरीदने के लिए एक ऐसी योजना तैयार की जाय जिससे यह कार्य जो शुरू हुआ उसे पूरा किया जा सके । इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें सामान भी खरीदा जा सकता है और उस सामान को खरीदने में जो पिछले दिनों में शुरुवात की गयी उसे पूरा करा दिया जायगा ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

कोई भी सरकार जब ऐसी योजना चलाती है जिसमें सड़कों को गांव से जोड़ा जा सके उसके लिए अतिरिक्त अनुदान का आवंटन करने के लिए क्या यह सरकार आश्वासन देगी और जो काम शुरू हुआ था चाहे किसी भी नाम से शुरू हुआ हो उस काम को न रोकने का भी आश्वासन यह सरकार देगी ?

श्री अम्मार रिजवी --

काम कोई रुका नहीं है । प्रारूप बदल गया है । यह कार्य 34 हजार किलोमीटर का एक दम से नहीं लिया जा सकता । लिंक रोड्स हैं उन पर खरन्जा लगाने का कार्य किया जा रहा है । इस कार्य को रोके जाने का कोई सवाल नहीं है ।

श्री सूबेदार सिंह--

क्या सरकार के पास ऐसे कोई आंकड़े हैं कि पिछले दिनों में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत जो कार्य किया गया था उसका कोई रुपया शेष है ? मौजूदा बजट में उसकी अदायगी का कोई प्राविधान नहीं है तो उसकी अदायगी के लिए सरकार क्या कर रही है ?

श्री अम्मार रिजवी--

इसमें कोई रुपया शेष होने का सवाल पैदा नहीं होता खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत जो कार्य कराया गया उसमें 100 करोड़ रु0 के फूडग्रेन्स को बांटा गया था और जिन जिलों में वह फूडग्रेन नहीं पहुचा है और जहां की मजदूरी बाकी है वहां पर खाद्यान्न पहुंचाया जा रहा है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

क्या सरकार बतलायेगी कि खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में जो सम्पर्क स्थापित करना प्रस्तावित था और जिसके लिए शासन द्वारा स्वीकृति मिल गई थी तो क्या उसे शीघ्र कार्यान्वित कराने का आश्वासन देगी ?

श्री अम्मार रिजवी--

जितना धन उपलब्ध है उसका सुदृढ़ीकरण कैसे हो और कैसे वह ड्यूरे बिल हो इसका प्रयास किया जा रहा है । इसके अलावा स्थिति यह है कि जहां बाढ़ इत्यादि आ गयी है तो इस काम को लीफ काम के बतौर किया जा सकता है। वैसे पहले उन सड़कों को ही लिया जायगा जहां वे पहले खाद्यान्न योजना में बन चुकी हैं ।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

कोई तीन किलोमीटर बनी है कोई चार किलोमीटर बनी है क्या यह अधूरी सड़कों को पूरा कराने का आश्वासन माननीय मन्त्री जी देंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

जो सड़क पिछले उसमें शुरू हुई थी उन सड़कों को आगे चल कर जब इन सड़कों का काम पूरा हो जायेगा जो अभी कच्चा काम है उसको इस वजह से रोक दिया गया है। यह काम पूरा हो जाने के बाद जो यह 34 हजार किलोमीटर सड़कें बनी हैं अगर इनको बाकी रखना है तो इस पर पहले वरीयता देना होगा उसके बाद इसको करेंगे।

श्री विजय सिंह राना--

माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि पूरे प्रदेश में काम चल रहा है मैं जानकारी दूंगा कि मेरे जिले में कोई काम नहीं चल रहा है। मैं जानना चाहता हूं अगर यह काम चल रहा है तो पूरे प्रदेश में लोकदल सरकार के जाने के बाद कितनी सड़कें आज तक बनी और कितनी पर काम चल रहा है ?

श्री अम्मार रिजवी--

जिस वक्त लोकदल की सरकार गई उस समय सड़कों का जो निर्माण कराया था वह करीब-करीब 23/24 हजार किलोमीटर हुआ था उसके बाद 34 हजार किलोमीटर है। उसके बाद 10 हजार किलोमीटर सड़कें बनी हैं। इस सम्बन्ध में संशोधन करना चाहूंगा जो पत्र मैंने पढ़ा था उसका नम्बर है एम 13013/(2)/76-आर0 एम0 ई0 दिनांक 11 मार्च, 1977। मुझे खेद है कि मैं तारीख सही नहीं पढ़ सका था।

श्री भीखा लाल--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि 34 हजार किलोमीटर जो सड़क बनी थी पिछले खाद्यान योजना के अन्तर्गत उसमें से इस वित्तीय वर्ष में कितनी को कच्ची सड़क को पोख्ता कराने की योजना है और कितनी को अगले वित्तीय वर्ष में ?

श्री अम्मार रिजवी--

इस वित्तीय वर्ष में केवल 17 सौ किलोमीटर ले सके हैं।

प्रदेश के सोलह दुग्ध संघों को नेशनल डेवलपमेन्ट डेरी बोर्ड के सुपुर्द किये जाने का विचार

**2--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या पशुपालन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ सहित प्रदेश के सोलह दुग्ध संघों को नेशनल डेवलपमेंट डेरी बोर्ड के सुपुर्द किये जाने का शासन ने कोई निर्णय अभी हाल में लिया है ? यदि हां, तो शर्तें क्या हैं तथा इस समय उनमें कार्यरत कर्मचारियों के बारे में क्या समझौता हुआ ?

पशुधन राज्य मंत्री (श्री निर्भय नारायण सिंह)--

लखनऊ सहित प्रदेश के सोलह दुग्ध संघों को नेशनल डेरी डेवलपमेन्ट बोर्ड के सुपुर्द किये जाने का शासन ने कोई निर्णय नहीं लिया है। आपरेशन फलड-2 योजना के अन्तर्गत प्रदेश के बाईस जिलों को चयनित करने का निर्णय लिया गया है। कार्यरत कर्मचारियों के विषय में शासन स्तर पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

श्री राम आसरे वर्मा—

माननीय मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित। क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि यह आपरेशन फ्लड योजना (1) क्या है और जिन जिलों को चयनित किया गया है वह जिले कौन हैं और चयनित किये जाने का आधार क्या है ?

कृषि एवं पशुधन मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)—

आपरेशन फ्लड योजना (1) कम्पलीट हो गई है और उसमें मेरठ और बनारस की डेरी आपरेशन फ्लड योजना (1) के अन्तर्गत स्थापित किये गये हैं। आपरेशन फ्लड योजना (2) गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया की स्कीम है। इसमें प्रदेश के 22 जिले चयनित किये गये हैं। वह 22 जिले ये हैं ....
(1) सहारनपुर, (2) मुजफ्फरनगर, (3) मेरठ, (4) गाजियाबाद, (5) बुलन्दशहर, (6) मुरादाबाद, (7) आगरा, (8) मथुरा, (9) लखनऊ, (10) उन्नाव, (11) कानपुर, (12) फतेहपुर, (13) बाराबंकी, (14) सीतापुर, (15) इटावा, (16) फर्रुखाबाद, (17) इलाहाबाद, (18) जौनपुर, (19) बलिया, (20) गाजीपुर, (21) वाराणसी, (22) मिर्जापुर।

श्री रियासत हुसेन—

यह देखते हुए कि यह डेयरी फेडरेशन के अन्तर्गत चलने वाली डेरियों में घाटा हो रहा है और उनको भिन्न-भिन्न प्रकार की स्कीमों के नाम पर समय-समय पर रुपया दिया जाता है जिसकी बरबादी हो जाती है। मिसाल के तौर पर दलपतपुर जिले में 1 करोड़ 55 लाख का घाटा हुआ तो क्या इन चीजों को देखते हुए सरकार कोई आल्टरनेट संगठन बनाने पर विचार कर रही है ? क्योंकि इसका सम्बन्ध सीधे किसान से है।

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, इसको डेयरी डेवलपमेन्ट बोर्ड को देने का प्रश्न नहीं है, जो डेरियां हैं, उनको सुदृढ़ करने के लिए सरकार विचार कर रही है और मैं समझता हूं कि बहुत शीघ्र ही हम इनको सुदृढ़ करने में कामयाब हो जायेंगे।

श्री मित्र सेन—

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि फैजाबाद जनपद को इस योजना के अन्दर न शामिल किये जाने का क्या कारण है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, एक सर्वे कराया गया और जिसमें हमारे आफीसर्स थे इस विभाग के और भारत सरकार के अधिकारी थे, इन लोगों ने मिलकर जिन जिलों को चयनित किया है, वे जिले हैं, जिन्हें मैं प्रस्तुत कर चुका हूं।

श्री खैरुल बशर—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि गोरखपुर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, बनारस, फैजाबाद यह सारे जिले हैं और उसमें आजमगढ़ जिला छोड़ दिया गया है।

श्री अध्यक्ष--

इसका उत्तर आ गया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मा0 मन्त्री जी ने बताया कि जो डेरियां गड़बड़ चल रही हैं उनको सुदृढ़ करने के लिए ये प्रयास करेंगे तो सीतापुर डेयरी लगातार घाटे में चल रही है । सीतापुर डेयरी के विषय में क्या-क्या किया जायेगा ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, यह जो डेरियां हैं इनको सुदृढ़ करने के लिए प्रारम्भ में प्रारम्भिक दुग्ध समितियां गठित की जाती हैं, तो हमें यह देखना होगा कि आपके जिले में प्रारम्भिक दुग्ध समितियां गठित हैं या नहीं और उनकी क्या स्थिति है । इसको दिखवा लिया जायेगा और सरकार का यह पूरा प्रयास है कि जो दुग्ध संघ हैं, जिनकी स्थिति खराब है, उसमें सबसे पहले यह काम करना होगा । दुग्ध समितियों को गठित करना होगा और इसमें स्थिति ठीक करनी होगी । इसकी आर्थिक स्थिति अगर खराब होगी तो फाइनेन्सियल असिस्टेन्स हम देंगे और उनको मजबूत करेंगे ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मा0 मन्त्री जी ने यह बताया है कि जितने दुग्ध संघों में गड़बड़ियां हैं, घाटा चल रहा है, उन दुग्ध संघों को सुदृढ़ करेंगे और पुनर्गठित करेंगे । मैं समझता हूं कि आपरेशन फलड-2 योजना भी इसी तरह की है तो मैं यह जानना चाहूंगा कि आपरेशन फलड-2 योजना के अन्तर्गत जो कर्मचारी विभिन्न दुग्ध संघों में इस समय कार्यरत हैं, उनकी क्या स्थिति होगी ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, उन कर्मचारियों को हटाने का कोई प्रश्न नहीं है, उन कर्मचारियों को रखा जायेगा ।

अतारांकित प्रश्न

पर्वतीय क्षेत्र में जंगली बादाम के विकास हेतु कार्यवाही

1--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र में जंगली बादाम के विकास के लिए क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी)--

जंगली बादाम, बादाम के ग्राफ्टेड पौधे तैयार करने के लिए रूट स्टाक के रूप में चौबटिया व डुण्डा (उत्तरकाशी) में विकसित किए जाते हैं ।

2--श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

[4थे बुधवार के लिए स्थगित] ।

नोट:--अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

सिचाई विभाग, उत्तर प्रदेश में कार्यरत जिलेदार तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति का कोटा

3—श्री हरदेव तथा श्री मुन्शीलाल—

क्या सिचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस समय उत्तर प्रदेश में कितने जिलेदार पदों पर कार्यरत हैं और उसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का 18 प्रतिशत कोटा पूरा है ? अगर नही, तो कब पूरा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिह—

सिचाई विभाग, उत्तर प्रदेश में 523 जिलेदार कार्यरत हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का 18 प्रतिशत का कोटा पूरा नहीं है। जिलेदार पद हेतु अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण सींच पर्यवेक्षकों के उपलब्ध होने पर जिलेदार सेवा नियमावली, 1963 के प्राविधानों के अनुसार चयन करके प्रोन्नति की जायेगी।

4—श्री राम औतार दीक्षित—

[4थे बुधवार के लिए स्थगित।]

5—श्री राम औतार दीक्षित—

[4थे बुधवार के लिए स्थगित।]

6—श्री राम औतार दीक्षित—

[4थे बुधवार के लिए स्थगित।]

7—श्री राम नरायन—

[4थे बुधवार के लिए स्थगित।]

8—श्री विजय सिह राना—

[4थे बुधवार के लिए स्थगित।]

प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, लखनऊ को स्वीकृत अनुदान तथा प्रबन्ध समिति द्वारा पालन किए गए शिक्षा संहिता नियम

9—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के बालकों के शैक्षिक विकास हेतु अखिल भारतीय अपराध निरोधक समिति के तत्वावधान में संचालित प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, लखनऊ को सरकार द्वारा शत-प्रतिशत अनुदान स्वीकृत किया जाता है ? यदि हां, तो क्या उक्त स्कूल पर उत्तर प्रदेश शिक्षा संहिता के नियम लागू होते हैं और उनका पालन सम्बन्धित समिति द्वारा किया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री छेदा लाल चौधरी—

जी हां।

जी हां। नियम लागू होते ह परन्तु इसको प्रबन्ध समिति द्वारा शिक्षा संहिता का सामान्यतया पालन किया जाता है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

10--श्री गोपी नाथ वर्मा--

[4थे बुधवार के लिए स्थगित।]

सिंचाई विभाग में कार्यरत अनुसूचित जाति के अधीक्षण अभियन्ता

11--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस प्रदेश में सिंचाई विभाग में कार्यरत समस्त अधीक्षण अभियंताओं में अनुसूचित वर्ग के कितने हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

इस प्रदेश में सिंचाई विभाग में कार्यरत अधीक्षण अभियंताओं में अनुसूचित वर्ग का कोई अधिकारी नहीं है।

सिंचाई विभाग में कार्यरत सहायक अभियन्ताओं की ज्येष्ठता सूची तथ पदोन्नति

12--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बालेश्वर दास बनाम उत्तर प्रदेश सरकार (सिविल अपील नं0 1317/18/76 समादेश याचिका संख्या 864/79 तथा 251/1960) का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय दिनांक 22-8-80 हाल में ही शासन को प्राप्त हो गया है जिसमें कि सिंचाई विभाग में कार्यरत सहायक अभियन्ताओं की ज्येष्ठता सूची के निर्धारण के बारे में निर्णय दिया है ? यदि हां, तो क्या निर्णय के संदर्भ में ज्येष्ठता सूची संशोधित कर दी गई है ? यदि हां, तो संशोधित सूची क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा कब तक संशोधित कर दी जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां। श्री बालेश्वर दास आदि बनाम राज्य सरकार तथा अन्य सिविल अपील संख्या 1317-18/76, रिटपीटिशन संख्या 864/79 तथा 251/1980 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिंचाई विभाग के सहायक अभियन्ताओं (सिविल) की ज्येष्टता सूची पुनः निर्धारित करने के लिये दिनांक 19-8-80 को निर्णय दिया है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों के आधार पर नई ज्येष्ठता सूची बनाई जा रही है, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों तथा उस पर दी गई विधिक राय पर आधारित है।

ज्येष्ठता सूची प्राथमिकता के आधार पर तैयार की जा रही है।

13—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि उक्त प्रश्न में उल्लिखित निर्णय शासन को प्राप्त होने की तिथि के बाद भी अधीक्षण अभियन्ताओं के पद पर कुछ प्रोन्नतियां की गई हैं ? यदि हां, तो निर्णय के संदर्भ में बिना ज्येष्ठता सूची संशोधित किये हुए प्रोन्नतियां करने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां । माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद कतिपय अधिशासी अभियन्ताओं को अधीक्षण अभियन्ता पद पर तदर्थ रूप से प्रोन्नति जनहित तथा शासकीय कार्यों के संचालन हेतु उस ज्येष्ठता सूची से की गई है जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से प्रभावित नहीं है ।

राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा अनुबन्धित बसों में कमी का विचार

14—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम अपने अन्दर चल रही अनुबन्धित बसों को हटाने जा रही है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

परिवहन निगम अनुबन्धित बसों की संख्या में क्रमशः कमी करना चाहता है । जैसे-जैसे निगम अपनी बसों की व्यवस्था कर लेगा उसी क्रम में अनुबन्धित बसें हटाई जायेंगी । ऐसा निगम के हित में किया जा रहा है ।

15—श्रीमती गौरी देवी—

[3रे सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 14 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

16—श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

[28-1-81 को अतारांकित प्रश्न संख्या 18 द्वारा उत्तरित ।]

कानपुर से बिल्हौर तथा बिल्हौर से ककवन तक परिवहन विभाग की बसें चलाने का विचार

17—श्री मोती लाल देहलवी—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनता पार्टी के शासन काल में परिवहन विभाग की जो बस कानपुर से बिल्हौर होते हुए ककवन तक चलाई गई थी, उसे बन्द कर देने का क्या कारण है ? क्या सरकार जनता के कष्ट को देखते हुए उसे पुनः चलाने का विचार करेगी ? यदि हां, तो वह बस कब तक चला दी जाएगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

कानपुर से बिल्हौर तक राष्ट्रीयकृत मार्ग है और बिल्हौर से ककवन तक का मार्ग अराष्ट्रीकृत है । दिनांक 28-11-79 से 27-3-80 तक चार माह के अस्थायी परमिट लेकर इस पूरे मार्ग पर निगम की बसें चलायी गयीं । उक्त अवधि के बाद परमिट न मिलने के कारण बसें नहीं चलाई जा रही हैं । परमिट का प्रश्न संभागीय परिवहन प्राधिकरण के विचाराधीन है ।

18-20--श्री उमेश्वर प्रताप सिंह--

[4थे बुधवार के लिये स्थगित ।]

रोडवेज डिपो, गोंडा में टायर, ट्यूब व गैस की आपूर्ति

21--श्री उमेश्वर प्रताप सिंह--

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा रोडवेज डिपो में नियमतः टायर, ट्यूब, कोयला व गैस पूर्ति 79-80 के वर्षों में दी गयी है ? यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

इस डिपो में 1979-80 में टायर, ट्यूब व गैस की आपूर्ति नियमित रूप से निर्धारित मात्रा में उपलब्धि की कमी के कारण नहीं की जा सकी । कोयले की इकट्ठी आपूर्ति आवश्यकतानुसार कर दी गई है । दो वर्ष के लिए कोयले की आवश्यकता 24 कुन्तल थी जबकि इस डिपो को 30.75 कुन्तल कोयले की आपूर्ति की गई है । ट्यूब व टायर की आवश्यकता लगभग 600 नग (प्रति वस्तु) है । लेकिन आपूर्ति क्रमशः 481 व 513 की जा सकी । 24 गैस सिलेन्डरों के स्थान पर 13 ही सिलेन्डर दिए गए ।

रोडवेज डिपो में मरम्मत का कार्य

22--श्री उमेश्वर प्रताप सिंह--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रोडवेज डिपो में जहां-जहां 1 लाख रुपए तक का मरम्मत कार्य होता था, बन्द करके डिवीजनल क्षेत्र में कर दिया गया है जिसके कारण जिलों के डिपो में गाड़ियों के रख-रखाव में देरी तथा अन्य अव्यवस्था पैदा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार कोई नई व्यवस्था लागू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं ।

एक लाख रुपए तक की मरम्मत का कार्य निगम के डिपो या क्षेत्र में नहीं किया जाता था । अब भी नहीं होता । अतः इस विषय में कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं है ।

23--श्री पंचानन--

[4थे बुधवार के लिए स्थगित ।]

महुला-गढ़वाल बांध, जनपद आजमगढ़ में श्रमिकों को देय कम मजदूरी

24--श्री पंचानन--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में स्थित महुला-गढ़वाल बांध पर कार्य करने वाले श्रमिकों को कम मजदूरी देने और उन्हें अनियमित तरीके से हटाए जाने से सम्बन्धित प्रार्थनपत्र दिनांक 1-11-80 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में 15-11-80 तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

25--श्री पंचानन--

[4थे बुधवार के लिए स्थगित ।]

26--श्री पंचानन--

[4थे बुधवार के लिए स्थगित ।]

टांडा, जनपद फैजाबाद में मया-महबूबगंज, टांडा-हसवरे मार्ग तक बस चलाने सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

27--श्री गोपी नाथ वर्मा--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टांडा जनपद फैजाबाद में मया-महबूबगंज, टांडा-हसवर तक परिवहन निगम द्वारा बस चलाए जान के सम्बन्ध में क्षेत्रीय प्रतिनिधि द्वारा 10-10-80 को पत्र लिखकर मांग की गयी थी । यदि हां, तो उपरोक्त सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहो, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

28--श्री मोती लाल देहलवी--

[उरे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 14 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

ग्राम अरौल में बस स्टेशन का निर्माण

29--श्री मोती लाल देहलवी--

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर के अन्तर्गत गांव अरौल में बस स्टेशन बनाने के लिए कितना धन स्वीकार किया गया था और अब तक स्वीकृत धनराशि में से कितना धन व्यय करके कितना निर्माण कार्य किया गया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

ग्राम अरौल में एक छोटा बस स्टेशन बनाने के लिए रुपए 15,225 की स्वीकृति दी गयी थी । इस बस स्टेशन के निर्माण पर लगभग 15,500 रुपया व्यय किया गया है । बस स्टेशन भवन का निर्माण कराया जा चुका है ।

यू0 पी0 जेल कर्मचारियों द्वारा प्रदेश व्यापी आन्दोलन तथा मांगें

30--श्री शंकर सिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि यू0 पी0 जेल कर्मचारियों द्वारा जो प्रदेश व्यापी आन्दोलन तथा अशन नवम्बर के अन्तिम सप्ताह से चलाया जा रहा है उसके क्या कारण हैं ? जेल कर्मचारियों की मांगे क्या है ? क्या सरकार उनकी मांगों को पूरा करने की सोच रही है ?

कारागार मंत्री (श्री राम सिंह खन्ना)--

निम्नलिखित 14 सूत्री मांगों की पूर्ति के उद्देश्य से यू0 पी0 जेल एसोसियेशन द्वारा नवम्बर, 1980 के अन्तिम सप्ताह से क्रमिक अनशन आदि चलाया गया था :--

1--पुलिस कर्मियों के समान वेतनमान दिया जाना ।

2--पुलिस कर्मियों के समान एक माह का अतिरिक्त वेतन दिया जाना ।

3--पुलिस कर्मियों के समान वर्दी धुलाई भत्ता दिया जाना ।

4--आवास की व्यवस्था किया जाना ।

5--कतिपय स्थानों पर बच्चों की पढ़ाई के लिए बसों का प्रबन्ध किया जाना ।

6--सहायक/उप जेलर के पद सृजित किया जाना ।

7--रिवाल्वर तथा निःशुल्क लाइसेंस दिलाये जाने की व्यवस्था का किया जाना ।

8--पुलिस कर्मियों की भांति बीमा की सीमा का बढ़ाया जाना ।

9--अर्थ दंड का समाप्त किया जाना ।

10--वार्डर तथा टेक्निकल स्टाफ के लिए सहायक जेलर के पद पर प्रोन्नति की व्यवस्था किया जाना ।

11--गैर प्रशासनिक पदधारकों से जमानत न लिया जाना ।

12--लोक रिजर्व वार्डरों को वर्दी दिया जाना ।

13--जेल आयोग का गठन किया जाना ।

14--परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाना ।

जहां तक जेल एसोसियेशन की मांगों को पूरा करने का प्रश्न है । 12-12-80 को हुई वार्ता के अनुसार कार्यवाही की जा रही है ।

ग्राम जियामऊ, जिला लखनऊ के निवासियों को मुआवजे पर दी गई जमीनें

31--श्री सोमांश प्रकाश--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम जियामऊ, जिला लखनऊ के निवासियों की जमीनें मुआवजे पर शहर बचाओ बांध निर्माण हेतु सन् 1973-74 में ली गई थी और शेष जमीनों पर शासन द्वारा कंकड़ के ढेर लगवा दिए गए। क्या इस विषय में शासन को कोई प्रार्थना-पत्र 30-9-80 व 1-10-80 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

राष्ट्रीय महिला संस्थान रिवर बैंक कालोनी, लखनऊ द्वारा संचालित निराश्रित बालकों हेतु स्कूल तथा उक्त स्कूल का स्थानान्तरण

32--श्री सोमांश प्रकाश--

क्या हरिजन समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम दौलतपुर पोस्ट-पहाड़पुर, जिला लखनऊ में जो सरकार द्वारा दिए धन से निराश्रित बच्चों के लिए स्कूल चलाया जा रहा है वह जिसके द्वारा चलाया जा रहा है तथा उसमें कितने शिक्षक हैं व कितने निराश्रित बच्चे इस समय शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं ?

श्री छेदा लाल चौधरी--

निराश्रित बालकों की सुरक्षा एवं देखभाल की योजना के अन्तर्गत ग्राम दौलतपुर, पो0-पहाड़पुर, जिला लखनऊ में 25 निराश्रित बालकों का एक गृह राष्ट्रीय महिला संस्थान रिवर बैंक कालोनी, लखनऊ द्वारा चलाया जा रहा है। योजना के अन्तर्गत शिक्षक की व्यवस्था नहीं है। वर्तमान समय में उक्त गृह में 25 निराश्रित बच्चों का रख-रखाव किया जा रहा है।

33--श्री सोमांश प्रकाश--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक 6 दिसम्बर, 1980 से ग्राम दौलतपुर के निराश्रित बच्चों का स्कूल किसी अन्य जगह स्थानान्तरित कर दिया गया ? यदि हां, तो किन परिस्थितियों में किया गया ? क्या सरकार इसकी जांच सतर्कता विभाग द्वारा कराने का कष्ट करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री छेदा लाल चौधरी--

जी हां, स्थानाभाव के कारण दिनांक 6 दिसम्बर, 1980 से नहीं बल्कि 15 दिसम्बर, 1980 से उक्त गृह को समीप के ग्राम बिन्थौरा में स्थानान्तरित कर दिया गया है। भवन स्थानान्तरण के मामले में सतर्कता विभाग द्वारा जांच कराये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

34--श्री नन्द किशोर सिंह--

[4थे बुधवार के लिए स्थगित।]

35--श्रीमती गौरी देवी--

[4थे बुधवार के लिए स्थगित।]

नलकूप चालकों का वेतन निर्धारण

36--श्री राम आसरे वर्मा--

सप्तम् विधान सभा प्रथम सत्र 1980 के पहले बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 48 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करगे कि 280 नलकूप चालकों का वेतन निर्धारण अभी तक क्यों नहीं किया गया है ? क्या सरकार उनका वेतन निर्धारण अविलम्ब कराने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही हैं ।

37—श्री राम आसरे वर्मा—

[4थे बुधवार के लिए स्थगित ।]

(अपराह्न 12 बजकर 20 मिनट)

खीरी तथा पीलीभीत जिलों में नरभक्षी शेरों के आतंक के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

आज नियम 301 के अन्तर्गत 16 सूचनायें प्राप्त हुयी थीं, जिनमें से 5 स्वीकार की गयी हैं ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से आदरणीय सदन तथा शासन के संज्ञान में अविलम्बनीय लोक महत्व का यह तथ्य लाना चाहता हूं कि खीरी तथा पीलीभीत जिलों में नरभक्षी शेरों के आतंक से जनजीवन त्रस्त है । दिसम्बर, 1980 तथा जनवरी, 1981 में लगभग 10 मनुष्यों की तथा अनेक पशुओं की मौतें हो चुकी हैं ।

मान्यवर, दुधवा नेशनल पार्क के शेरों को मानव मांस भक्षण की रुचि हो जाने से वह बराबर हमले करते रहते हैं । सरकार द्वारा मानव रक्षा की अब तक कोई व्यवस्था नहीं हुई है । शेरों को नियन्त्रण में रखने के प्रयास यदि हुये भी होंगे तो भी उनका कोई परिणाम दिखाई नहीं देता, क्योंकि हमले आये दिन होते रहते हैं ।

जनता में व्याप्त आतंक की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट कर, मान्यवर, त्वरित एवं प्रभावी व्यवस्था की मांग करता हूं, जिससे मानव रक्षा सम्भव हो सके ।

गन्ना विकास मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह के देवरिया के दौरे पर साथ जो रहे अधिकारियों की जीप दुर्घटनाग्रस्त होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री हरिवंश सहाय—

मान्यवर, प्रदेश के गन्ना विकास मन्त्री, श्री भानु प्रताप सिंह जी पिछले 11 व 12 जनवरी, 1981 को देवरिया जनपद के दौरे पर गए थे। दिनांक 11 जनवरी को खड्डा शुगर फैक्टरी के गेस्ट हाउस में रुके जहां क्षेत्रीय विधायक एवं जनरल मैनेजर के बीच मारपीट एवं गाली-गलौज हो गई । मन्त्री जी ने थाने जाकर 307 आई० पी० सी० के तहत मुकदमा दर्ज कराया । जनरल मैनेजर को हथकड़ी लगाकर जेल भेजा गया ।

दिनांक 12 जनवरी को माननीय मन्त्री जी प्रताप शुगर फैक्टरी जा रहे थे, उनके साथ डी० सी० ओ०, पडरौना सहित अन्य अधिकारी थे । पडरौना और कप्तान के बीच अधिकारियों की जीप दुर्घटना ग्रस्त हो गई, जिसमें डी० सी० ओ०,

* [गन्ना ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।]

पडरौना, आसफ अली घायल हो गये, एस0 पी0 ओ0 की बांह टूट गई और एस0 सी0 डी0 आई0, छितौनी बुरी तरह घायल हो गये, जिनकी मृत्यु 16-1-1981 को मेडिकल कालेज, गोरखपुर में हो गई । मन्त्री जी घायलों को छोड़कर आगे बढ़ गये । देवरिया के आगे पुरैना के पास जीप नं0 9448 जो भटनी शुगर मिल की थी, उस पर मन्त्री के भोजन का सामान तथा अधिकारी थे, साथ में जा रहे थे, दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें एस0 सी0 डी0 आई0, विजय शंकर मल्ल घायल हुये, श्रवण कुमार कूकर की दाहिनी बांह टूट गई, गुलाब चपरासी का सर फूट गया, मोती लाल ड्राइवर का दाहिनी बांह व छाती की हड्डी टूट गई और भरइल चपरासी बुरी तरह घायल हुआ, जिसकी मृत्यु घटनास्थल पर हो गई । गाड़ी नं0 9448 चूर-चूर हो गई । घायल व्यक्तियों की दवा ठीक से नहीं हुई और न मृतक व्यक्तियों को मुआवजा ही दिया गया । जिससे मजदूरों में असंतोष है । बाद में प्रतापपुर में भी 22-1-1981 के गोली चल गई ।

अस्तु आज माननीय सदन के संज्ञान में लाकर माननीय मुख्य मन्त्री से मांग करता हूं कि मृतकों व घायलों को मुआवजा दिलाने का आदेश देवें ।

मथुरा जिले के कतिपय क्षेत्रों में कत्ल तथा डकैती की घटनाओं के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सरदार सिंह--

मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र की एक अति लोक महत्व के मामले को आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं । मेरे क्षेत्र में चोरी, डकैती एवं कत्ल आये दिन बड़े पैमाने पर हो रहे हैं । असामाजिक तत्व दिन दहाड़े अवैध हथियार लेकर घूमते रहते हैं, जुआ, सट्टा पुलिस संरक्षण में चल रहा है । हाल ही में बलदेव कांड जिसमें परिवार के चार सदस्यों की निर्मम हत्या कर दी गई तथा लाखों का माल डकैत पुलिस की नाक के नीचे से लूट ले गये । इस घटना से क्षत्रीय जनता में भय व्याप्त हो गया है ।

पानीगांव, सिहोरा, सोनाई, तैयापुर, तारापुर, बना, चिकना, पण्डवा, महावन, गहचौली, ततरोता, किशनपुर, अलीपुर, सराय दाउद, जगदीशपुर, नगला बबूल, गढ़ी सईराम आदि ग्रामों में भयंकर डकैतियां हाल ही में पड़ी हैं जिसमें जान माल दोनों का नुकसान हुआ है । हरिद्वार एवं टनकपुर मेल तथा आगरा-सादाबाद मार्ग पर बसों को रोक कर जबरिया लूट हुई है, जिसमें सैकड़ों यात्रियों को लूटा गया और उन्हें आहत किया गया है । इन दर्दनाक घटनाओं में आम जनता में भयंकर रोष एवं क्षोभ व्याप्त हो गया तथा जनपद मथुरा के लोग अत्यधिक भयभीत हैं ।

अतः उपरोक्त अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर नियम 301 के अन्तर्गत इस मामले को आपके तथा सदन के संज्ञान में लाकर उचित एवं आवश्यक कार्यवाही करने को शासन से मांग करता हूं ।

ग्राम जाख, जिला मैनपुरी में डाकू महाबीर सिंह व अन्तर सिंह के गिरोह द्वारा लूटपाट, हत्या एवं आगजनी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लल्लू सिंह चौहान--

मान्यवर, मैं श्रीमन् आपके माध्यम से ग्राम जाख, थाना ओछा, जिला मैनपुरी के 4 निरपराध नागरिकों, सर्वश्री गोपाल सिंह (60 वर्ष), पोहप सिंह (60 वर्ष),

[श्री लललू सह चोहान—]

राम सिंह (50 वर्ष), सत्यू सिंह (45 वर्ष) की निर्मम हत्या करने तथा सर्वश्री गोपाल सिंह, जोगराज सिंह, बहादुर सिंह, राम सिंह, भरत सिंह, मुन्ना लाल, गंगा राम, श्रीराम, लज्जा राम, तेज सिंह, पूसे, उलफत, मातादीन, छोटे, जय सिंह, पंडित हरशंकर व रामस्वरूप, सूरज सिंह, अमर सिंह, रंगलाल, मूलू सिंह आदि के घरों में आग लगाने तथा सामूहिक लूट करने की नितांत दुःखद एवं वीभत्स घटना दिनांक 31 जनवरी, सन् 1981 को अपराह्न 3 बजे से 7 बजे तक घटित हुई, को माननीय सदन तथा सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं।

यह निर्मम व पाशविक कृत्य महाबीर सिंह यादव तथा अनार सिंह यादव, दो डाकू गिरोहों के साथ 60 अन्य बदमाशों ने किया। इनके पास कई स्वचालित राइफलें, एस0 एल0 आर0 व 12 बोर की बन्दूकें थीं, जिनसे करीब दो हजार फायर करके सम्पूर्ण ग्रामवासियों तथा पड़ोसी क्षेत्र को आतंकित किया गया, किसी भी घर में कुछ भी शेष नहीं छोड़ा गया। गल्ला, कपड़े, चारा, ईंधन, किवाड़, चौखटें और कड़ियां सभी कुछ आग की लपटों में स्वाहा हो गई। साढ़े छः बजे तथा 9 बजे क्रमशः वायरलेस तथा लाइटनिंग काल से पुलिस थाना तथा कलेक्टर, मैनपुरी को सूचित कराया गया, फिर भी पुलिस दूसरे दिन 1 फरवरी को 9 बजे घटना स्थल पर पहुंची।

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री और उनकी सरकार से इस निर्मम हत्या काण्ड, आगजनी और लूट का न्यायिक जांच तथा मृतक परिवारों को उचित मुआवजा और पीड़ित जनों के नुकसान की क्षतिपूर्ति तत्काल कराये जाने की मांग करता हूं और चाहता हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य भी दे।

गोरखपुर जनपद के कतिपय ग्रामों में ओलावृष्टि से क्षति एवं सहायता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री ईश्वर नरायन तिवारी—

सान्यत्र, 24, 25 जनवरी तथा 1 फरवरी, 1981 को भयंकर ओला गिरने से गोरखपुर जनपद के फरेन्दा तहसील में 200 से अधिक गांव बुरी तरह प्रभावित हुये हैं। नवतनवा के पुरैनिहा गांव से पूरब तथा सरहद से अड्डा बाजार तक के सैकड़ों गांवों में पत्थर 2 दिनों तक गले। इस क्षेत्र की रबी की फसल पूर्णतया नष्ट हो गई। फरेन्दा कस्बे के चारों तरफ पूरे क्षेत्र में पत्थर से फसलों को नुकसान हुआ है। यह क्षेत्र विगत कई वर्षों से सूखा, बाढ़ और अतिवृष्टि से तबाह हो चुका था, अब ओला गिरने से इंसान और मवेशियों के खाने की विकट समस्या उत्पन्न हो गई है।

इसी बीच सरकारी बकाये की वसूली का अभियान भी तेजी से चलाया जा रहा है। कुर्की, गिरफ्तारी आदि उत्पीड़क कार्यवाहियां बड़ी सरगर्मी से जारी हैं। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न की ओर आपके माध्यम से माननीय सदन एवं शासन का ध्यान आकर्षित करते हुये तत्काल ओला पीड़ित इस क्षेत्र को राहत पहुंचाने की मांग करता हूं। साथ ही साथ हर प्रकार की वसूली और इस

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

सम्बन्ध में होने वाला उत्पीड़क कार्यवाही रोक दी जाय, विद्यार्थियों की फीस माफ की जाय गरीबों को राशन एवं वस्त्र दिया जाय तथा आटा पैमाने पर टेस्टवर्क चालू कर लोगों को काम दिलाया जाय ।

(समय अपराह्न 12 बज कर 28 मिनट ।)

संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, परिवहन विभाग के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष--

श्री रामस्वरूप वर्मा, सदस्य विधान सभा ने दिनांक 29 नवम्बर, 1980 को संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, परिवहन अनुभाग-4 के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना देते हुये यह सूचित किया था कि उन्होंने माननीय मुख्य मन्त्री, उत्तर प्रदेश को बसों के किराये में वृद्धि न करने और बस सेवा का समाजीकरण करने हेतु एक पत्र लिखा था, जिसका उत्तर उन्हें माननीय मुख्य मन्त्री से नहीं प्राप्त हुआ, परन्तु इस सम्बन्ध में उन्हें संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, परिवहन अनुभाग-4 के दिनांक 20 नवम्बर, 1980 के पत्र द्वारा, जिसकी प्रतिलिपि† श्री वर्मा ने अपनी सूचना के साथ संलग्न की है, यह सूचना दी गई कि श्री वर्मा या उनके प्रतिनिधि 28 नवम्बर, 1980 को 11 बजे पूर्वाह्न विधान भवन स्थित संयुक्त सचिव, परिवहन अनुभाग-4 के कक्ष में आपत्ति सुझाव पर सुनवाई हेतु उपस्थित हों । श्री वर्मा ने संयुक्त सचिव, परिवहन विभाग द्वारा लिखे गये इस प्रकार के पत्र पर आपत्ति उठाते हुये उसे अवमानकारी होने के साथ-साथ सदस्य के विशेषाधिकार का उल्लंघन बताया है। मैंने इस सम्बन्ध में श्री वर्मा को उक्त सूचना और उसके साथ संलग्न प्रपत्र की प्रतिलिपि परिवहन मंत्री को भेजते हुए वस्तुस्थिति की जानकारी मांगी थी। जिसके सम्बन्ध में परिवहन मंत्री के पत्र के साथ शासन के परिवहन विभाग के संयुक्त सचिव, श्री विनोद कुमार सेठ का स्पष्टीकरण मुझे प्राप्त हो गया है । उनके अनुसार श्री वर्मा द्वारा 12 नवम्बर, 1980 को मुख्य मंत्री को भेजे गये पत्र की प्रति माननीय मुख्य मंत्री द्वारा स्वीकार की गयी थी और वह पत्र संयुक्त सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को भेजा गया था । स्पष्टीकरण में यह भी कहा गया है कि मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट की धारा-43 में यह प्रावधान है कि किराये की दरें आदि लागू करने या बढ़ाने से पहले प्रस्तावित अधिसूचना, आपत्ति और सुझाव आमंत्रित करने हेतु गजट में प्रकाशित की जाती है और एक महीने का समय दिया जाता है और तदुपरान्त आपत्ति और सुझावों पर शासन द्वारा विचार करके अधिसूचना को अन्तिम रूप देने पर निर्णय लिया जाता है । उक्त संयुक्त सचिव ने सूचित किया है कि यदि माननीय श्री राम स्वरूप वर्मा को उनकी ओर से पत्र न लिखा गया होता तो यह एतराज हो सकता था कि बावजूद एतराज के सुनने का मौका दिया गया । अतः उक्त धारा 43 के कानून अनुपालन के रूप में माननीय श्री वर्मा को सुनवाई हेतु मौका देने के लिए पत्र लिखा गया था । संयुक्त सचिव ने अपने स्पष्टीकरण में खेद प्रकट करते हुए यह भी कहा है कि यदि उनके पत्र से माननीय सदस्य को कोई ठेस पहुंची है तो उन्हें इस सम्बन्ध में हार्दिक खेद है ।

प्राग्दर्शन में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न तभी माना जाता है जब किसी सदस्य द्वारा सदस्य को हैसियत से किये गये अथवा सदन की कार्यवाही

---

†छापी नहीं गई ।

[श्री अध्यक्ष---]

के सम्बन्ध में किये गये किसी कार्य में बाधा डाली जाय, परन्तु प्रश्नगत विशेषाधिकार के मामले में श्री वर्मा द्वारा बसों के किराये को न बढ़ाने के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री को लिखे गये पत्र के विषय का कोई सीधा सम्बन्ध सदन की कार्यवाही अथवा उनके सदस्य की हैसियत से किये गये कार्य से नहीं है। अतः मैं इस प्रश्न को विशेषाधिकार के प्रश्न की अवहेलना के रूप में सदन में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं। सदस्यों को उनके पद की गरिमा तथा महत्व को देखते हुए शासकीय अधिकारियों द्वारा उन्हें पत्र लिखने में सावधानी बरतनी चाहिये तथा भाषा सदस्य की गरिमा के अनुरूप होनी चाहिये। प्रस्तुत मामले में संबंधित अधिकारी ने हार्दिक खेद प्रकट किया है, इसलिए कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। फिर भी, यह उचित होगा कि शासन इस ओर शासकीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करे, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो।

श्री यदुनाथ---

एक विशेषाधिकार का प्रश्न है, सदस्य की अवहेलना का सवाल है।

श्री अध्यक्ष---

आप बैठिये, कोई विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

आप बैठ जांय, ऐसी स्थिति न पैदा करें जिसमें मुझको कार्यवाही करनी पड़े।

श्री यदुनाथ---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, आप सुन लें।

श्री अध्यक्ष---

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप नियमावली को पढ़ें, पहले।

विद्युत् मंत्री के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष---

दिनांक 27 जनवरी, 1981 को श्री राम स्वरूप वर्मा, सदस्य, विधान सभा ने माननीय विद्युत् मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के एक प्रश्न की सूचना दी थी। माननीय सदस्य का कहना है कि दिनांक 9 सितम्बर, 1980 को विधान सभा में उनके आतारांकित प्रश्न संख्या 24 का माननीय विद्युत् मंत्री द्वारा यह गलत उत्तर दिया गया है कि कुल 9 गांवों का धन विद्युतीकरण हेतु जमा हुआ है, जबकि सत्य यह है कि उक्त गांवों के अलावा कई गांवों का धन बहुत पहले जमा हुआ है जिसको जान-बूझ कर छिपाया गया ताकि विद्युत् विभाग की बदनामी न हो। श्री राम स्वरूप वर्मा ने अपनी सूचना में यह भी कहा है कि उन्होंने माननीय विद्युत् मंत्री को इस आशय का एक पत्र भी भेजा था कि वह सदन के आगामी सत्र के प्रथम दिन संशोधित उत्तर दे कर संतुष्ट करें, परन्तु विद्युत् मंत्री ने जो पत्र उसके उत्तर में लिखा है उसमें उत्तर संशोधित करने का कोई आश्वासन नहीं है, जिससे माननीय सदस्य के कथनानुसार विद्युत् विभाग की

अक्षमताओं को छिपाने के लिए माननीय मंत्री ने जानबूझ कर सदन से इस तथ्य को छिपाया है जो सदन की विशेषाधिकार की अवहेलना है ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

मान्यवर, एक मिनट सुन लें ।

श्री अध्यक्ष--

आपकी सुन चुका हूं ।

मैंने इस सम्बन्ध में विद्युत् मंत्री से वस्तुस्थिति का स्पष्टीकरण मांगा था जोकि मुझे दिनांक 28 जनवरी, 1981 को प्राप्त हो गया है । माननीय विद्युत् मंत्री ने अपने उस पत्र की प्रतिलिपि मुझे भेजी है जिसमें उन्होंने श्री राम स्वरूप वर्मा के पत्र का उत्तर दिया । अपने इस पत्र में माननीय श्री ब्रह्म दत्त ने यह स्वीकार किया है कि 9 सितम्बर, 1980 को श्री राम स्वरूप वर्मा के संदर्भित अतारांकित प्रश्न संख्या 24 के उत्तर में सदन को अपूर्ण सूचना दी गयी । माननीय विद्युत् मंत्री का यह कहना है कि उक्त 9 गांवों के अतिरिक्त 2 अन्य गांवों, जिनका उल्लेख उन्होंने अपने पत्र में किया है, के कतिपय व्यक्तियों ने भी विद्युतीकरण हेतु धन जमा किया है । इसके अतिरिक्त उनके द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार जो भी और गांव हैं, जहां के लोगों ने रुपया जमा किया है तथा विद्युतीकरण करने के इच्छुक हैं, उन गांवों की भी छानबीन करायी जा रही है । माननीय मंत्री जी ने यह भी सूचित किया है कि अपूर्ण सूचना देने के लिए उत्तरदायी अधिकारी को चेतावनी दी जा रही है तथा अपूर्ण सूचना देने का कारण यह बताया गया है कि विद्युत् परिषद् से संबंधित कार्यालय में वांछित सूचना सभी गांवों की उपलब्ध न थी और इस सूचना को जानबूझ कर छिपाने का किसी अधिकारी का इरादा नहीं था । माननीय मंत्री जी ने इस कारण माननीय सदस्य, श्री राम स्वरूप वर्मा की हुई असुविधा के लिए हार्दिक खेद भी प्रकट किया ।

उपर्युक्त से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि श्री राम स्वरूप वर्मा के उक्त अतारांकित प्रश्न का उत्तर जानबूझ कर सूचना को छिपाने के उद्देश्य से नहीं दिया गया था । माननीय सदस्य, श्री वर्मा ने भी माननीय मंत्री से यह अपेक्षा की थी कि वे सदन के आगामी सत्र के प्रथम दिन संशोधित उत्तर दे कर संतुष्ट करें अथवा यह समझा जायेगा कि उन्होंने जानबूझ कर गलत सूचना दे कर सदन को गुमराह किया है और उनके विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना का आधार यह है कि इस प्रकार का कोई आश्वासन माननीय मंत्री जी द्वारा नहीं दिया गया है । किसी प्रश्न के उत्तर को संशोधित करने का अधिकार नियमानुसार माननीय मंत्री को है और उसके लिए प्रक्रिया निर्धारित है, जिसके अनुसार माननीय मंत्री जी सूचना देकर उत्तर को संशोधित कर सकते हैं । लेकिन विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न तभी बनता है जब जानबूझ कर तथ्यों को छुपाने और सदन को गुमराह करने की बात प्रमाणित हो । वर्णित परिस्थितियों एवं तथ्यों को देखते हुए इस प्रकार की कोई बात प्रमाणित नहीं होती । अतएव मैं इसे विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के रूप में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं ।

(शिक्षा मंत्री को पुकारे जाने पर)

श्री यदुनाथ--

मान्यवर, एक मिनट मेरी बात सुनने का मौका दे दें । मान्यवर, विशेषाधिकार की अवहेलना. . .

श्री राम आसरे वर्मा—

माध्यवर, माननीय सदस्य को एक मिनट दे दें बड़ी कृपा होगी ...

श्री अध्यक्ष—

माननीय राम आसरे वर्मा जी, आप नियमों को जानते हैं, कब उठाया जा सकता है ..

श्री सूबेदार सिंह—

यह जीवन और मृत्यु का सवाल है ।

श्री अध्यक्ष—

उनसे कहिये वह लिख कर दे दें हम देखेंगे ।

(श्री यदुनाथ के खड़े रहने पर) ।

आप बैठ जायं । इसे प्रस्तुत हो जाने दीजिए। इसके बाद आपको मौका देंगे ।

रुड़की विश्वविश्वालय की सिनेट में कार्य करने हेतु विधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री सच्चिदानन्द)—

माध्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, रुड़की विश्वविद्यालय की सीनेट में, भूतपूर्व विधान सभा द्वारा निर्वाचित चार सदस्यों के कार्यकाल के समाप्त हो जाने के कारण रुड़की विश्वविद्यालय ऐक्ट, 1947 की धारा 16 की उपधारा (1) के वर्ग (3) की मद (11) के अनुसार विधान सभा के चार सदस्यों का निर्वाचन करे ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, रुड़की विश्वविद्यालय की सिनेट में, भूतपूर्व विधान सभा द्वारा निर्वाचित चार सदस्यों के कार्यकाल के समाप्त हो जाने के कारण, रुड़की विश्वविद्यालय ऐक्ट, 1947 की धारा 16 की उपधारा (1) के वर्ग (3) की मद (11) के अनुसार विधान सभा के चार सदस्यों का निर्वाचन करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री यदुनाथ द्वारा उनके विरुद्ध सी० आई० डी० जांच का मामला उठाने का प्रयास

श्री यदुनाथ—

माध्यवर, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है जिसके अनुसार आर० के० गर्ग ने बहस की कि यदि कोई एस० डी० एम० किसी माननीय सदस्य के खिलाफ कोई आरोप लगाता हो तो सदन के संज्ञान में लाना जरूरी है । चूंकि माननीय स्पीकर आप हैं इसको आपकी जानकारी में होना बहुत जरूरी है ।

माननीय, एस० डी० एम०, चुनार डी० एम०, मिर्जापुर को लेकर चीफ मिनिस्टर के पास आये । चीफ मिनिस्टर ने होम सेक्रेटरी को आदेश दिया कि मेरे खिलाफ सी० आई० डी० की क्रिमिनल ब्रांच से तफतीश की जाय । माननीय, मैं यह कहना चाहता हूं कि बिना स्पीकर की आज्ञा के किसी लेजिस्लेचर के ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जा सकता । यह एक हैरेसमेंट हैं ..

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप क्या कहना चाहते हैं और किस नियम के तहत आप यह उठाना चाहते हैं ?

श्री यदुनाथ—

माननीय, आप शिक्षाविद् हैं, स्वयं समझ जायेंगे ।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठ जांय ।

श्री यदुनाथ--

सी० आई० डी० की क्रिमिनल ब्रांच हमारे ऊपर इन्वेस्टीगेशन करेगी । एक इलेक्टेड गजटेड आफिसर को एक नान गजेटेड, नान-इलेक्टेड आदमी एसाल्ट करता है . . ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

माननीय नेता विरोधी दल, आप कृपया अपने सदस्य को नियन्त्रित करें । माननीय सदस्य को जो कुछ कहना है वह लिख कर दें ।

श्री यदुनाथ--

मैं कल्पना वाला प्रश्न नहीं उठा रहा हूं और मैं लिखकर देने वाला नहीं हूं । यह जीरो प्रहर है और उसमें मैं स्वयं कह सकता हूं ।

(व्यवधान)

(कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे)

(समय अपरान्ह 12 बज कर 42 मिनट)

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष --

आज नियम 56 के अन्तर्गत कुल 7 सूचनायें प्राप्त हुई हैं और सभी अस्वीकृत हुई । पहली सूचना श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री की है जिसमें उन्होंने कहा है कि दिनांक 1-12-1980 को फूलपुर, जिला इलाहाबाद में छात्रों पर पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने के फलस्वरूप 2 छात्रों की मृत्यु तथा अनेकों लोग घायल हुये । दूसरी सूचना श्री मोहन सिंह की है जिसमें उन्होंने कहा है कि 11 जनवरी, 1981 को कलकत्ता से प्रकाशित साप्ताहिक अंग्रेजी पत्रिका "सन्डे" में पुलिस द्वारा वाराणसी में जंगली, बर्बर और अमानवीय कृत्य प्रकाशित होने तथा चार नवयुवकों को उनके पैर तोड़कर अपंग बनाये जाने तथा 9 जनवरी, 1981 को श्री नंगे सरदार की पुलिस द्वारा हत्या कर दी गई । तीसरी सूचना श्री हरिवंश सहाय, श्री नन्द किशोर सिंह तथा श्री कुबेर भंडारी की है । उसमें उन्होंने कहा है कि दिनांक 30-11-1981 को बुद्ध पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, कुशीनगर, देवरिया के छात्रों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया और उससे तमाम छात्रों के गम्भीर चोटें आने से वहां असंतोष व्याप्त है । चौथी श्री ऊदल की सूचना है जो जल संस्थान, लखनऊ द्वारा सप्लाई किये जाने वाले पानी के दूषित होने से लाखों जनता के रोग पीड़ित होने से जन संकट उत्पन्न होने विषयक है । ऐसी ही सूचना श्री मित्रसेन तथा श्री भीखालाल ने दी है । उसके बाद श्री राम आसरे वर्मा, श्री खैरुल बशर, श्री भीखालाल तथा मित्रसेन यादव ने कहा है कि 2 फरवरी, 1981 से फर्मासिस्टों की अनिश्चितकालीन हड़ताल होने से जनजीवन के लिये खतरा पैदा हो गया है । तो ये सारी सूचनायें अस्वीकृत हो गई हैं ..

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, कार्य-स्थगन के प्रस्तावों पर 2-2 मिनट सुन लें ।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, 1000 आदमी एनकाउन्टर में मारे गये हैं ।

श्री अध्यक्ष--

आप लोग कृपया बैठ जायं ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

आप हमें भी अपने प्रस्ताव पर बोलने का मौका दें . .

श्री अध्यक्ष--

ये सभी प्रस्ताव अस्वीकृत हो चुके हैं । आप आय-व्ययक के अवसर पर ये सब बातें कह सकते हैं फिर भी आप यह समझे कि इन्हें अस्वीकृत होना मुनासिब नहीं होगा, तो बहुत संक्षेप में अपनी बात रख सकते हैं ।

*श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, म आपके समक्ष 11 जनवरी का 'सन्डे' साप्ताहिक जो है उसे पेश कर सकता हूं जिसमें कहा गया है कि वाराणसी में पुलिस ने बर्बरतापूर्वक और

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अमानवीय ढंग से नवयुवकों के पैर तोड़े हैं और कुछ लोगों की हत्याएं भी हुई हैं । उस अखबार के कुछ तथ्य सामने आये हैं । उसमें कुछ चित्र इनके जमाने के कुछ हमारे जमाने के हैं ।

यह बड़ी दुखद स्थिति है, हमारे जमाने में नारायणपुर कांड होता है और इसके जमाने में बागपत कांड तथा तमाम अन्य घटनायें होती हैं और सरकार पुलिस की बर्बरता पर पर्दा डालने की कोशिश करती है । पहले पी० ए० सी० की शिकायतें थी लेकिन अब सिविल पुलिस भी बर्बरता और जंगल का कानून पैदा कर रही है । पिछले 10 महीनों में इनकाउन्टर के नाम पर एक हजार आदमी मारे गये हैं । प्रदेश के हर हिस्से में इस तरह की वारदातें हो रही हैं । पार्लियामेंट में भागलपुर कांड उठा था तो हिन्दुस्तान की प्रधान मंत्री ने भी उस पर संवेदना व्यक्त की थी । अगर इस पर चर्चा नहीं होगी तो पुलिस का व्यवहार और बिगड़ता चला जायेगा और आने वाले दिनों में पूरे समाज के अन्दर एक क्योस की स्थिति पैदा हो जायेगी । इसलिए इस सदन में पुलिस के रवैये पर चर्चा करने की अनुमति आप दें । एक तरफ तो शासन की ओर से निर्देशित किया जाता है कि पुलिस की ट्रेनिंग इस बात के लिए होगी कि वह जनता के साथ अच्छा व्यवहार करे और दूसरी तरफ इस प्रकार के कारनामे करती है ।

श्री अध्यक्ष —

आप बैठें ।

*श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

आज पुलिस के द्वारा छात्रों और युवकों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है वह सारे प्रदेश के लिए कलंक की बात है । फूलपुर और फतेहपुर में कई छात्र मार दिये गये । जो भी विश्वविद्यालय का छात्र आज स्टेशन पर उतरता है, पुलिस वहीं पर से मारना शुरू कर देती है । मुझे जानकारी मिली है कि छात्रों के परिवार वालों को आज पता नहीं है कि पुलिस वाले उनके बच्चों को कहां ले जाते हैं । पूरे प्रदेश में आज एक प्रकार से अशांति पैदा हो गयी है । अधिकांश जिलों में पुलिस और छात्रों में संघर्ष प्रारम्भ हो गया है । ऐसी स्थिति में मैं मांग करता हूं कि सदन में इस विषय पर चर्चा अवश्य कराई जाय । आज ऐसे विद्यार्थी भी हैं जो अपने मां बाप के अकेले बच्चे हैं और केवल पढ़ने के लिये विश्वविद्यालय में जाते हैं और उनको मार दिया जाता है । यह अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है इस पर चर्चा का अवसर मिलना चाहिये ।

*श्री भीखालाल--

अध्यक्ष महोदय, आज पूरे प्रदेश में फार्मेसिस्टों की हड़ताल चल रही है जितने सरकारी अस्पताल हैं सब बन्द पड़े हैं । अखबारों में निकला है कि इंपोर्टेन्ट आपरेशन भी नहीं लिये जा रहे हैं । इस समस्या का हल करने के लिए सरकार की तरफ से कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है । कोई वार्ता सरकार उनके साथ करे तकि हड़ताल वापस हो, इसके बदले भारतीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत गिरफ्तारियां हो रही हैं और करीब 100 गिरफ्तारियां हो गयी हैं इस प्रकार एक उत्तेजना फैलाई जा रही है ताकि स्थिति बिगड़े और प्रदेश में अव्यवस्था फैले । इससे तमाम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राम आसरे वर्मा--

माननीय, प्रदेश के 5,500 फार्मेसिस्ट 2 फरवरी से अनिश्चित कालीन हड़ताल पर हैं। कुछ फार्मेसिस्टों ने अप्रशिक्षित फार्मेसिस्टों को स्टोर की चाबी देने से इनकार कर दिया है। इस हड़ताल से आज प्रदेश का जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। इनकी सेवाओं की अनिवार्यता को शासन मानता है इसीलिए सरकार न इनकी सेवा को आवश्यक सेवा मानकर अध्यादेश जारी किया है और भारतीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत उनको गिरफ्तारियां की हैं। जिनकी इस तरह से गिरफ्तारियां की जायं, जिनकी सेवायें अनिवार्य मानी जायं उनके बारे में शासन जवाब देने की हिम्मत नहीं करता है कि वह किस श्रेणी में आते हैं, तकनीकी है या नहीं। यह बहुत अहम मसला है इसलिये इस पर चर्चा करने की आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष--

अब आप बैठें।

श्री हरिवंश सहाय--

माननीय, बुद्ध पोस्ट ग्रेजुवेट कालेज, कुशीनगर के छात्रों पर लाठी चार्ज किया गया है और वहां पर 20 छात्रों के पैर तोड़ दिये गये हैं और 5, 6 लड़कों की टांग टूट गयी हैं.....

(व्यवधान)

श्री कुबेर भन्डारी--

वहां पर विदेशी लोग भी रहते हैं और पुलिस उनके साथ दुर्व्यवहार कर रही है ..

(व्यवधान)

श्री ऊदल--

एक काम रोको प्रस्ताव मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है, लखनऊ नगर महापालिका के अन्दर जो जल संस्थान है, उसके द्वारा सप्लाई किया गया। पीने का पानी दूषित होने के कारण लाखों जनता भयंकर रोगों से पीड़ित हो रही है और इससे एक भारी जन संकट पैदा हो गया है। अगस्त, सितम्बर, 80 से यह स्थिति चल रही है। पानी बहुत ही रद्दी और खराब है। 3 सौ के करीब उस जल के नमूने लिए गये...

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ--

इस देश में गांधी, नेहरू, सुभाषचन्द्र बोस, असफाक...

(व्यवधान) (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैंने नियम 56 में प्राप्त सारी सूचनाओं को अस्वीकृत किया है। श्री राजन्द्र अग्निहोत्री की सूचना को, श्री मोहन सिंह की कार्य-स्थगन की सूचना को, सर्वश्री हरिवंश सहाय, नन्द किशोर सिंह व श्री कुबेर भन्डारी की संयुक्त सूचना को

भी अस्वीकार किया है । श्री ऊदल की सूचना को, श्री मित्रसेन यादव व श्री भोखा लाल की सूचना को तथा सर्वश्री राम आसरे वर्मा, श्री खैरूल बशर, भोखा लाल व मित्रसेन यादव की सूचना को भी अस्वीकृत किया गया है । सर्वश्री हरिवंश सहाय, नन्द किशोर सिंह व कुबेर भंडारी की संयुक्त सूचना को जो बुद्ध पोस्ट ग्रेजुएट कालेज कुशीनगर के छात्रों पर लाठी चार्ज के बारे में है, इस विषय पर मैंने दफा 51 में स्वीकार किया है ।

(व्यवधान)

श्री खैरूल बशर—

यह सरकार फार्मासिस्टों के साथ ज्यादती करके उनमें उत्तेजना फैलाना चाहती है, जिससे जनता तबाह हो जाए और उसे एक नये आपातकाल की व्यवस्था की घोषणा करने का मौका मिल जाए, बहाना मिल जाए। इसकी पूरी तैयारी सरकार की ओर से हो रही है ।

श्री अध्यक्ष—

नेता विरोधी दल अब आय-व्ययक की चर्चा पर बोलेंगे ।

श्री राम आसरे वर्मा—

सरकार इस पर कुछ...

(व्यवधान)

मैं सदन का त्याग इसके विरोध में करता हूं ।

(श्री राम आसरे वर्मा सदन त्याग कर चले गये)

श्री खैरूल बशर—

फार्मेसिस्टों को लेकर प्रदेश और देश में एक उत्तेजना जानबूझकर फैलाई जा रही है । इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि मेरा काम रोको प्रस्ताव स्वीकार किया जाए, नहीं किया जायेगा तो मैं इसका विरोध करूंगा ।

आय-व्ययक की चर्चा के समय मुख्य मंत्री वरिष्ठ मंत्रियों तथा विभागाध्यक्षों की अनुपस्थिति के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री ऊदल—

श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं, वह यह है कि पिछले सत्र में भी इस प्रश्न को मैंने आपके सामने रखा था और आज भी रखना चाहता हूं । इसके पहले भी आपके पूर्ववर्ती जितने भी पीठासीन अधिकारी हुए हैं, उनके सामने भी ऐसी व्यवस्थाएं उठाई गई हैं और उन्होंने उस पर अपनी स्पष्ट व्यवस्थाएं दी हैं । इसलिए मैं चाहूंगा कि उनका आप अध्ययन कर लें । बजट सत्र जब शुरू होता है और जनरल बजट मे बहस होती है और माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के मौके पर चर्चा होती है, उस समय चीफ मिनिस्टर (मुख्य मंत्री) और कैबिनेट के अन्य वरिष्ठ मंत्रियों को यहां उपस्थित रहना आवश्यक होता है । आप कहेंगे कि 'नहीं' कैबिनेट की ज्वाइन्ट रिस्पांसिबिल्टी होती है । उसके होते हुए भी क्योंकि यह महत्वपूर्ण सत्र होता है, बजट सत्र होता है, महामहिम राज्यपाल

[श्री ऊदल]

का अभिभाषण होता है और इसके अलावा जनरल बजट में सभी विभागों के विभागाध्यक्षों का भी रहना अनिवार्य होता है कि किस वक्त उनके विभाग के बारे में कौन सी बात किसकी तरफ से रख दी जाए। इसके सम्बन्ध में माननीय अध्यक्षों की रूलिंग्स हैं कि चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट के अन्य जिम्मेदार मंत्रियों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में उस समय यहां रहना चाहिये और सभी विभागों के सचिवों को रहना चाहिये। मैंने पिछले सत्र में भी इस सवाल को उठाया था और उस वक्त भी लापरवाही की गई थी और माननीय सदन का अपमान किया गया था। इसलिए आज आपके माध्यम से फिर आपके सामने इस प्रश्न को मैं उपस्थित करना चाहता हू और आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि आप इसके ऊपर अपनी व्यवस्था दें।

श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, आपकी अनुमति से यह कहना चाहता हूं कि यह बार-बार प्रश्न उठता रहा और आज भी माननीय नेता विरोधी दल बोलें चाहे वह बजट भाषण पर बोलना चाहें, चाहे राज्यपाल के अभिभाषण पर, सदन में माननीय मुख्यमंत्री और वरिष्ठ मंत्रियों का उपस्थित रहना आवश्यक है। इस तरह से हमारी अनदेखी नहीं हो सकती। इस पर आपकी व्यवस्था होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष--

माननीय ऊदल जी ने और माननीय हुकम सिंह जी ने यह प्रश्न जो व्यवस्था का उठाया है, उस सम्बन्ध में इस सदन में विभागाध्यक्षों की उपस्थिति और अनुपस्थिति से कोई सम्बन्ध नहीं है और जहां तक यह प्रश्न कि यह बजट सत्र है और इसमें वरिष्ठ मंत्रियों और माननीय मुख्य मंत्री के उपस्थित रहने का सम्बन्ध है, उसमें यह ज्यादा अच्छा होगा कि सदन में वरिष्ठ मंत्री और मुख्यमंत्री जी भी अधिक से अधिक समय उपस्थित रहें और जब माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण या नेता विरोधी दलों का भाषण हो तो नेता विरोधी दल या मुख्यमंत्री का उपस्थित रहना सदन की गरिमा और गौरव के लिए आवश्यक है।

पंचायतीराज एवं ग्राम्य विकास मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी किसी आवश्यक कार्य के लिए गये थे, वे अभी आ रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

कृपया आप बैठें। माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने यह स्पष्ट कहा है कि मुख्यमंत्री अभी आ रहे हैं।

श्री ऊदल--

[×××]।

श्री अध्यक्ष--

यह कुछ लिखा नहीं जायेगा। कृपया कार्य संचालित करने में सहायता करें।

नोट--[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री मित्रसेन--

मुझे सुनने का मौका दें । आपने मेरी बात सुनी नहीं ।

मान्यवर, ...

श्री अध्यक्ष--

कृपया बैठ जायं । आदेश का पालन करें ।

श्री रियासत हुसैन--

माननीय अध्यक्ष जी, संसदीय कार्य मंत्री ने जो अभी कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक आवश्यक कार्य से गये हैं, अभी आते होंगे । मैं इसके ऊपर आपकी व्यवस्था चाहता हूं श्रीमन् कि यह बजट सत्र चल रहा है और जहां तक मैं समझता हूं कि इस वक्त इस सदन के अन्दर बैठने के अलावा दूसरा आवश्यक कार्य कोई हो ही नहीं सकता । तो आप इस पर व्यवस्था दें कि माननीय नेता विरोधी दल का भाषण और जो दूसरी चीजें आई हैं, उस पर अपनी व्यवस्था दें ।

श्री भीखालाल—

कहीं माननीय मुख्य मंत्री दिल्ली तो नहीं गये हैं । माननीय रियासत हुसैन ने जो प्रश्न उठाया है, उसी के बारे में मुझे भी कहना है कि आप इस पर अपनी व्यवस्था दें ।

श्री ऊदल--

श्रीमन्, मैं आपका ध्यान जो 30 तारीख को महात्मा गांधी...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप दूसरा प्रश्न उठा रहे हैं ।

श्री ऊदल—

आप सुन तो लीजिए।

श्री अध्यक्ष--

हम सुन कैसे लें । कतई नहीं । आप बैठ जाइये । यह कोई बात नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री ऊदल--

मान्यवर, मेरा निवेदन सुन लें । जिस दिन शहीद दिवस था उस दिन जब सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी आये तब आपने 2 मिनट के लिए मौन खड़े होने का आदेश दिया था । अतः मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप मुख्य मंत्री को देख कर चलेंगे ? आप उस दिन की कार्यवाही देखें...

श्री अध्यक्ष—

आपकी बात सुनायी नहीं पड़ रही है । आप आगे आकर धीरे से बोलिए ।

(श्री ऊदल आगे की पंक्ति में आकर माइक पर बोलने लगे)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री ऊदल--

मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि माननीय रियासत हुसैन साहब ने संसदीय कार्य मंत्री की बात का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने अभी कहा है कि माननीय मुख्य मंत्री जी बहुत आवश्यक काम से गये हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि सदन का काम आवश्यक है या बाहर का। श्रीमन्, आपको याद होगा, प्रोसीडिंग मंगा कर देख लें कि जिस दिन शहीद दिवस था अर्थात् 30 जनवरी को आपने पहले प्रश्न ले लिए। मान्यवर, आपके द्वारा सदन का संचालन होता है। आपको सर्वप्रथम आदेश देना चाहिए था कि शहीद दिवस के उपलक्ष्य में हम 11 बजे 2 मिनट के लिए मौन खड़े होंगे। आपने यह निर्देश नहीं दिया और प्रश्न ले लिए। मान्यवर, मैं चैलेन्ज करता हूं। जब माननीय मुख्यमंत्री जी प्रश्नों के लिए जाने के बाद सदन में आये तो आपने शहीद दिवस पर 2 मिनट के लिए खड़े होने का निर्देश दिया। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि इससे सदन का अवमान हुआ या नहीं ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, माननीय रियासत हुसैन साहब ने एक बहुत ही गम्भीर बात उठायी और उससे भी बहुत गम्भीर बात यह है कि उसी समय माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने माननीय सदस्य, कानपुर को उन्हें बुलाने भेजा लेकिन उन्होंने असमर्थता प्रकट कर दी। यह बात उससे भी गम्भीर बात है।

श्री खान गुफरान जाहिदी--

मान्यवर, मैं तो अपने काम से गया था।

श्री अध्यक्ष--

माननीय ऊदल जी का जहां तक दूसरा प्रश्न है मैं माननीय सदन के हर सदस्य पर, जो यहां कहते हैं, विश्वास करता हूं और मैं आपसे भी अपेक्षा करता हूं कि आप मेरी बात पर विश्वास करेंगे। उस दिन जब मैं 11 बजे सदन में आया तो प्रति दिन की स्वाभाविक प्रक्रिया के अनुसार प्रश्न ले लिए मगर जैसे ही मुझे शहीद दिवस की याद आयी मैंने 2 मिनट के लिए मौन खड़े होने के लिए कहा। मेरे मन में माननीय मुख्य मन्त्री के न होने की बात नहीं थी। जहां तक माननीय रियासत हुसैन साहब के दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है कि सदन में उनका आना आवश्यक था, इस आवश्यकता का मापदंड आज तक नहीं हो पाया है। किस क्षण में कौन सी बात आवश्यक हो हम यहां पर बैठ कर नहीं कह सकते हैं। मेरा इतना निवेदन अवश्य है कि जब नेता विरोधी दल बजट सेशन में बोलते हैं तो उचित होगा कि माननीय मुख्य मन्त्री जी यहां पर मौजूद रहें और इस सम्बन्ध में माननीय संसदीय कार्य मन्त्री ने यह कहा है कि वे किसी कार्य में व्यस्त हैं। आ रहे हैं। मैं माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्री जी सदन में आ रहे हैं या नहीं ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, वे सदन में आ रहे हैं। किसी अत्यन्त आवश्यक कार्य में....

(व्यवधान)

जहां तक सदन के सम्मान का प्रश्न है और इसकी मर्यादा का सवाल है हम सब का कर्तव्य है कि उसको बढ़ायें। माननीय मुख्य मन्त्री जी किसी कार्य से गये

थे जिसमें जाना आवश्यक था। वे अभी आ रहे हैं। किसी प्रकार की इसमें कोई असत्य बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष––

माननीय संसदीय कार्य मन्त्री, मुख्य मन्त्री जी यहां पर सचिवालय में उपस्थित हैं कि कहीं पर गय हुए हैं ?

श्री अम्मार रिजवी––

मान्यवर, वह किसी काम से गये हुए हैं, वह अभी आ रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन––

श्रीमन्, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं, माननीय संसदीय कार्य मन्त्री के कथन से यह जाहिर हुआ कि मुख्य मन्त्री जी सचिवालय से बाहर गये हुए हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष––

मैं 15 मिनट के लिए सदन को स्थगित करता हूं।

(इस समय 1 बजकर 7 मिनट पर सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित हुई। 1 बजकर 22 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः प्रारम्भ हुई।)

1981–82 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा

श्री अध्यक्ष––

आय–व्ययक पर सामान्य बहस के लिए समय निर्धारित किया गया है। विभिन्न दलों के नताओं और मन्त्रिगण, के लिये 25–25 मिनट, मुख्य मन्त्री जी और नेता विरोधी दल के लिए कोई समय नहीं निर्धारित हैं, जितना चाहें उतना बोलें और माननीय सदस्यगण के लिए 10–10 मिनट।

श्री राजेन्द्र सिंह––

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके अभूतपूर्व निर्णय से, मान्यवर, आपने इस सदन की गरिमा को बढ़ाया है और मैं पूरे विपक्ष की तरफ से आपको धन्यवाद और बधाई देता हूं।

माननीय अध्यक्ष जी, अभी 30 जनवरी को इस सदन में बजट पेश हुआ–इस वर्ष का। माननीय वित्त मन्त्री जी ने एक लम्बा–चौड़ा भाषण दिया। श्रीमन्, यह घाटे का बजट पेश हुआ। करीब 100 करोड़ 98/99 करोड़ का बैठता है। मान्यवर, घाटे के बजट से निश्चित रूप से भाव बढ़ने की सम्भावना रहती है।

मान्यवर, वैसे तो मैं माननीय वित्त मन्त्री जी को इसके लिए बधाई दूंगा

[श्री राजेन्द्र सिंह--]

कि उन्होंने समय पर बजट को रखकर एक परम्परा को पुनः प्रतिपादित किया है ताकि जो धन आवंटित किया जाता है, उसका उपयोग भी समय से हो सके ।

श्रीमन्, माननीय वित्त मन्त्री जी ने भी अपने भाषण में, महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में और कल माननीय मुख्य मन्त्री जी ने अपने भाषण में सभी असफलताओं का दोषारोपण वे चाहे एकोनामिक फ्रन्ट पर हों, कानून व्यवस्था के बारे में हों या भाव बढ़ाने के बारे में हों, तीन साल के जनता सरकार पर ठहराया है । मुझे तो मान्यवर, ऐसी उम्मीद नहीं थी । लेकिन, मान्यवर, कांग्रेस शासन ने अपने 30 साल के शासन में देश में आर्थिक नीति के लिये सुदृढ़ नीव नहीं डाली है और केवल बालू की दीवार खड़ी की थी । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी निकृष्ट से निकृष्ट सरकार क्यों न हो अगर 30 साल में सुदृढ़ स्थिति क्रियेट की होती, तो उनको 3 साल में कोई भी सरकार उसे तोड़ नहीं सकती । यह मेरा मत है ।

मान्यवर, देश की प्रधान मन्त्री ने भी यही कहा है कि जो कुछ भी गड़बड़ियां हुयी हैं, वे जनता सरकार के कारण हुयी हैं । मैं, मान्यवर, 2/3 चीजों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । चाहे खाद्यान्न का मामला हो, चाहे स्टाक का मामला हो या चीनी उद्योग का मामला हो, कुछ चीजें आपके सामने रखूंगा ।

मिस्टर प्रेम शंकर झा ने अपने एकोनामिक्स टाइम्स में कुछ फीगर्स दी हैं कि जनता सरकार की 2 वर्षों में क्या प्रगति हुयी । जनता सरकार से 2 वर्षों में नेशनल इनकम 6 प्रतिशत के एवरेज से बढ़ी है और इन्दिरा गांधी के 11 साल के शासन काल में इतने लम्बे पीरियड में, वह केवल 3-6 प्रतिशत है । तो जनता सरकार के 2 साल के परफारमेंस से 6 प्रतिशत और इनके 11 साल के परफार्मेंस से 3-6 प्रतिशत ग्रोथ हुयी ।

मूल्य वृद्धि के बारे में भी बहुत कुछ कहा गया । 2/3 आंकड़े मान्यवर, इस सम्बन्ध में देना चाहूंगा । मैं जानता हूं, पेपर की कतरनों से तो ये चौंक जाते हैं । इसलिये उनको नहीं लाया हूं ।

नियोजन एवं वित्त राज्य मन्त्री (श्री काशीनाथ मिश्र)--

मान्यवर, मैं नेता विरोधी दल के आंकड़ों को चुनौती देता हूं । ये सही नहीं हैं ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

जब माननीय मिश्रा जी मन्त्री बने थे तो मैंने बधाई दिया था टेलीफोन पर तो यह कहा था कि अब आपकी व्यवस्था के नाम पर सदन में अव्यवस्था तो नहीं होगी इतना लाभ हमको मिलेगा । लेकिन वह अपनी पुरानी आदत को भूल नहीं पाये । जनता पार्टी के शासन काल में थोक मूल्यों में गिरावट हुई बढ़ोत्तरी नहीं आई । श्रीमन्, 6 अक्टूबर से 3 नवम्बर, 1979 तक 4 वीक्स में 1-6 प्रतिशत की कमी हुई ।

मुख्य मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)--

थोक मूल्यों में या थोक वादों में ?

श्री राजेन्द्र सिंह---

वादे तो आपने किये थे गरीबी मिटाने का। वादों को भी गिनाऊंगा पहले ऊपर की चीजों को कह दूं फिर इसको भी कहूंगा। वादे किसके सच्चे थे और किसके झूठे। 15 सितम्बर, 1978 से जनवरी, 1980 को 5 हफ्तों में 1-2 प्रतिशत की थोक मूल्यों में गिरावट आयी। आपके शासन काल को ले लीजिये। 14 तारीख को दिल्ली में सत्ता सम्भालने के बाद। 19 जनवरी, 1980 से 1 मार्च, 1980 तक 6 हफ्ते में 3.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। श्रीमन् इसी तरह से 5 अप्रैल से जून 1980 तक 12 हफ्ते के अन्दर 7.7 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई। जो आप बार-बार कहते हैं इन्डस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करते हैं। यह मिस्टर झा का है पढ़ लीजियेगा। इसमें आया है कि इन्डस्ट्रियल प्रोडक्शन में कांग्रेस शासन में एक परसेंट की कमी आयी है। श्रीमन् अब हम जनता पार्टी के शासन काल और कांग्रेस के शासन के कम्परेटिव फिगर्स देना चाहता हूं। 1977-78 में फूडग्रेन का प्रोडक्शन हुआ था 126.5 मिलियन टन, 1978-79 में 130.5 मिलियन टन। श्रीमन् इनके 11 साल के शासन में श्रीमती इन्दिरा गांधी के शासन में एक बार प्रोडक्शन हुआ 1975-76 में वह भी इतना नहीं था उसमें 120.5 मिलियन टन हुआ था। श्रीमन्, यह कहते हैं कि हम छोड़ गये थे बहुत बड़ा अम्बार। फूडग्रेन का बहुत बड़ा अम्बार खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत बर्बाद कर दिया गया। वह कहते हैं, इसलिये महंगाई बढ़ रही है। हमारे 425 माननीय सदस्य और अन्य लोग तथा प्रेस के माध्यम से देश और प्रदेश की जनता यह समझे कि यह कितना सत्य कहते हैं और कितना झूठ।

स्टाक की पोजीशन मान्यवर, जब ये गए, मार्च की है, 115 लाख टन ये छोड़ कर गए थे। यह स्टाक जनता सरकार को मिला था और जनता सरकार जो छोड़कर गई, वह थी 90 लाख टन। यह कहते हैं 115 लाख टन छोड़कर गए थे, जिसकी बड़ी गाथायें गा रहे हैं, आपका नहीं था, वह सब विदेशों से मंगवाया गया था। श्रीमन्, मुझे 4 साल के आंकड़े मिले हैं, एक साल के नहीं मिल सके। 1974 में इम्पोर्ट किया गया 42 लाख टन, 1975 में इम्पोर्ट किया गया 70 लाख टन, 1976 में इम्पोर्ट किया गया 58 लाख टन, ये सब गेहूं की स्थिति बता रहा हूं। 1977 में इंपोर्ट किया गया 5 लाख टन। इस तरह से होता है 175 लाख टन गल्ला जो विदेशों से मंगवाया और छोड़ कर गए 105 लाख टन। इसमें आपका कुछ भी नहीं था। श्रीमन, जनता सरकार ने एक और नई बात की थी, एग्रीकल्चर में, 1978 में 9 लाख टन गन्ना एक्स्पोर्ट किया था। जनता सरकार ने पहली बार विदेशों को गल्ला भेजा था जो यह सरकार मंगाती थी। यह आपकी गलत नीतियों का परिणाम था। ये चीजें देश के किसानों से पैदा करवाते। वर्ल्डबैंक की रिपोर्ट है जिसमें संसार के एक्सपर्ट हैं एग्रीकल्चर में मिस्टर बर्नार्ड, जिन्होंने भी यही कहा है कि हिन्दुस्तान के किसानों ने बहुत जल्दी तरक्की की है लेकिन आपने उस किसान को प्रोत्साहन नहीं दिया इसलिए वह किसान पैदा नहीं कर सका।

(शोर)

श्री अध्यक्ष ---

आप लोग कृपया शान्त रहें।

श्री राजेन्द्र सिंह—

गन्ना आयुक्त द्वारा दी गई सूचना है और यह आंकड़े लाइब्रेरी से मिले हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि ये सत्य ही होने चाहिए। स्टाक की बात बताते हैं। 77 में 66.89 मीट्रिक टन चीनी छोड़ी थी और जब 80 में जनता सरकार गई तो चीनी का भण्डार था 109.9 हजार टन। हमने ज्यादा छोड़ा या आपने। अभी कल मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हमने आन्दोलन किया था, 20 रुपए की माँग की थी, सत्याग्रह किया था, और सरकार में आते ही 20 से बढ़ा कर 23 कर दिया।

माननीय मुख्य मंत्री जी यह किसान को बहकाने के लिए तो बहुत काफी है लेकिन मेरे लिए नहीं। उनका यह भावना थी कि हम जो वायदा करके आए हैं उसे पूरा करें तो पहली ही दफा में उसे डिक्लेयर करना चाहिए था। लेकिन भाव तय हुआ पहले 13 रुपए। फिर साउथ के अन्दर किसानों का सत्याग्रह आन्दोलन शुरू हुआ तो इन्दिरा जी समझ गईं कि कुछ गड़बड़ है। उनसे सभी नेता मिले और मेरी सूचना है कि मुख्य मंत्री हमारे प्रदेश के भी मिले और रेट कराया गया 16 रु0।

(व्यवधान)

उत्तर प्रदेश का किसान जब आन्दोलित हुआ तो रेट 19, 20 देने की बात कही गई।

फिर जब लोक दल के अध्यक्ष, चौधरी चरण सिंह ने किसानों से 15 तारीख से इस प्रदेश की गन्ना मिलों को गन्ना देना बन्द कर देने की बात कही तो 16 तारीख के सबेरे यह कह दिया कि 15 तारीख से भाव 23 रुपया कर दिया गया है। यह अखबार इसके साक्षी हैं। लोक दल ने आन्दोलन चलाया था 7 दिसम्बर से। शुरू करना था 15 दिसम्बर से लेकिन आन्दोलन 7 दिसम्बर से चलने वाला था, तो उन्होंने उसे 7 तारीख अदायगी से देने की बात कर दी इस तरह से गन्ना किसानों को यह रेट मिला है। माननीय सदस्य यह बात भूल जाते हैं कि जनता सरकार ने अपने सरकारी खजाने से इस प्रदेश के किसानों को 2 रुपए कुंटल दिया था बढ़ाकर, जो आप कभी नहीं न दे पाए, न दे पाएंगे।

(व्यवधान)

पहली बार जनता पार्टी की सरकार ने यह महसूस किया कि जो रेट किसान को मिलने जा रहा है वह कम है इसलिए उसने सब चीजों को देखते हुए 2 रुपए कुंटल गन्ने का भाव बढ़ा दिया और उसे अपने खजाने से दिया।

(व्यवधान)

मैं बाद में एग्रिकल्चरल पालिसी पर बोलता लेकिन इसी समय एक बात बतलाए देता हूं कि आपके मुख्य सचिव, ए0 पी0 सी0 मेरे साथ रहे हैं। मैं यह बतला दूं कि इस देश और प्रदेश के किसान की हालत बिगड़ने के क्या कारण हैं? यह नियम सा बन गया है कि हर 5 वें साल किसान को खेत में गन्ना जलाना पड़ा है।

(व्यवधान)

बहुत लम्बे कारण होंगे । जो सत्य है उसे मानने में एतराज नहीं होना चाहिए । सत्य को सत्य की तरह ही कहना चाहिए । यह होता रहा है लेकिन यह क्यों हुआ इसके बहुत से कारण हैं ।

(व्यवधान)

श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

मान्यवर, मैं आपकी व्यवस्था चाहती हूं । दो चीजें हैं । एक तो हमारे सम्मानीय नेता, विरोधीदल "जनता सरकार" "जनता सरकार" कह रहे थे । संबोधन जब हम करते हैं तो कामा और फुलस्टाप का करते हैं । फिर उन्होंने "लोक दल की सरकार" कहा । स्पष्ट कर दें कि इस प्रदेश में लोकदल की सरकार कहां है ?

श्री अध्यक्ष--

इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है, स्वतः स्पष्ट कर देंगे ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

अभी बहुत कुछ कहा गया है, फारेन एक्सचेंज और गोल्ड के बारे में । श्रीमन मेरे पास एक आंकड़ा है । यह नम्बर 17 है, रिजर्व बैंक आफ इन्डिया का बुलेटिन है । जनवरी, 1980 के फिगर्स हैं । श्रीमन, इसमें दोनों ही दिए हैं, पहले गोल्ड बताऊंगा फिर फारेन एक्सचेंज ।

श्रीमन जब कांग्रस (आई) की सरकार हटी और जनता सरकार आई तो 187.80 गोल्ड तथा 2826 लाख फोरेन एक्सचेंज में था ।

जनवरी, 1980 में जब माननीय चौधरी चरण सिंह जो प्रधान मंत्री पद से हटे तो जो छोड़कर गए, वह भी सुन लीजिएगा तो 224.71 गोल्ड तथा फोरेन एक्सचेंज 5412.54 लाख में छोड़ कर गए ।

यह दोनों फिगर्स सफीसिएन्ट हैं, रिजर्व बैंक आफ इन्डिया के आंकड़े हैं । माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इन आंकड़ों को देखें और समझें कि जब आपको कांग्रेस सरकार आई पुनः दिल्ली में तो हर चीज बढ़ाकर के मिली, कम नहीं मिली ।

एक सदस्य--

झूठे आंकड़े हैं ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

अगर झूठे आंकड़े हैं तो सच्चे आप लोग तलाश करिए ।

हर फ्रंट पर हम अधिक बढ़ाकर देकर गए थे । श्रीमन्, यह जनता को भ्रम में डालने के लिए गलत बयानी करते हैं । श्रीमन्, मुख्य मंत्री जी ने कल कहा कि भन्डार खाली हो रहे हैं, क्यों कहते हैं । राजा साहब गरीब के दर्द को मुश्किल से समझ रहे हैं । वह सूचना विभाग के फोटो दिखाऊंगा जो पैदल आते समय खींचे गए हैं ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

मान्यवर, अगर नेता, विरोधी दल सबसे गरीब हैं तो मैं उनका दर्द समझता हूं ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

श्रीमन्, अच्छा है मा0 मुख्य मंत्री जी ने शुरू किया मुझसे । मुझे उम्मीद है कि मुझसे शुरू होकर ये नीचे तक अन्त्योदय तक पहुंच जाएंगे ।

श्रीमन्, अब आई चीजों के भावों की बात है कि जनता सरकार ने आयल सीड्स और तेलों के लिए एक बहुत बड़ी योजना बनाई थी ।

जरा पूछिएगा अपने मुख्य सचिव महोदय से कि क्या कोई योजना बनी थी । यह योजना बनी थी कि हर ट्यूबवेल पर एक एकड़ मूंग उगायेंगे, भारत सरकार ने भी इस योजना को सराहा था । उत्तर प्रदेश में दलहन के लिए यह योजना जनता सरकार के समय में बनी थी । तिलहन के लिए इटावा, आगरा में किस तरह से पेस्टीसाइड्स में छूट देकर जनता सरकार ने इसको प्रोत्साहन दिया था । श्रीमन् यह कहना कि जनता सरकार देश को दिवालिया बनाकर गई यह कहना सत्य से परे है । तथाहीन नारे देने की प्रक्रिया में वह चतुर हैं, प्रलोभन अच्छा दे लेते हैं जो विपक्ष नहीं दे पाता है । कल हमारे माननीय सदस्य देहलवी जी बोल चुके हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आंकड़े मेरे पास हैं कि भाव भी इसी सरकार में बढ़े हैं । हर चीज के दाम आपके शासनकाल में काफी हद तक बढ़े हैं । हम पर आप इसका इल्जाम मत लगाइए । अपने गिरहबान में झांकिए कि प्राइसेज कौन बढ़ा रहा है । खाली इससे काम नहीं चलेगा कि दूकान पर फोटो खिचवाने पहुंच जायं । दूकानदार को पता चल जाय, छिड़काव भी हो रहा है, माला लिए तैयार खड़ा है । यह आप कर सकते हैं, हम नहीं कर पाएंगे । मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि पिछले 30 सालों से कांग्रेस सरकार ने कृषि पर विशेष ध्यान नहीं दिया । देश और प्रदेश की 80 प्रतिशत जनता डाइरेक्ट या इनडाइरेक्ट खेती पर निर्भर करती है । जब तक खेती की पैदावार नहीं बढ़ेगी, जब तक खेत सेरा-सैटीरियल नहीं पैदा किया जायगा तब तक सरकार चाहे जितने बड़े-बड़े कारखाने लगा ले, फर्टीलाइजर के 4 नहीं 10 कारखाने लगा ले कोई फायदा नहीं होगा । किसान को फर्टीलाइजर सस्ते दाम पर मिले, पानी मिले, बिजली सस्ते दाम पर मिले, अच्छे सीड्स दिए जाएं और किसान को जब तक उसको पैदावार का सही मूल्य नहीं दिलवाया जायगा तब तक इस देश और प्रदेश की तरक्की करना खाली दिवा स्वप्न होगा ।

अभी बजट में मुख्य मन्त्री जी ने इंडस्ट्रीज लगाने का जिक्र किया है, मैं उसका स्वागत करता हूं लेकिन फर्टीलाइजर और पेस्टीसाइड्स की बात मुख्य मंत्री जी ने एक बार भी नहीं कही । मान्यवर, जितनी विद्युत पैदा हो रही है उसका प्रतिशत केवल किसान को मिलता है लेकिन उस पर जितना खर्च कर रहे हैं वह किसान के सर पर मढ़ दिया गया है । इंडस्ट्रीज का खर्च भी किसान के नाम पर शो कर रहे हैं । श्रीमन्, मैं फिर उसी बात पर आता हूं कि कृषि को जब तक आप तरक्की नहीं करेंगे प्रदेश की प्रगति नहीं होगी । मैंने लास्ट टाइम भी कहा था और मैं फिर कहता हूं कि एक टीम आप बनाये । उसमें हमको आप मत रखिये, सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों को रखिये । आप हरियाणा, पंजाब जाइये, कर्नाटक जाइये, बिहार जाइये, महाराष्ट्र जाइये और पता कीजिये कि बेन्योर पैटर्न को क्यों स्वीकार किया गया है । मुख्य सचिव इसको अच्छी तरह

से जानते हैं। मैं हट गया वहां से, मैं उसे लागू नहीं कर पाया। इसमें क्या है, यह एक तरीका है। इस गरीब देश का पैसा जो आप गरीब किसानों से वसूल करते हैं उसका एक-एक पैसा किस तरह लगायें कि उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। लेकिन यहां जो डेवलपमेन्ट ब्लाक्स हैं, वह मैं समझता हूं कि व्हाइट एलीफैन्ट है प्रदेश पर। इसलिए आप कृषि विभाग में काम अलग-अलग बांटें क्योंकि ब्लाक कहता है कि उत्पादन करा दिया किन्तु जब फसल खराब होती है तब वह कहता है कि कोआपरेटिव ने खाद और बीज नहीं दिया था। तो जितने प्रदेशों ने कृषि में तरक्की किया है, जिनको मैंने अभी पहले बताया है, जैसे कर्नाटक और महाराष्ट्र की तरक्की अच्छी है और आप पंजाब और हरियाणा में जायं और पता लगायें कि तुम्हारी तरक्की का क्या तरीका है। तो वहां पायेंगे कि ब्लाक की चैन कृषि विभाग से जुड़ी नहीं है। इसलिए आप यहां भी ब्लाक को चेन कृषि विभाग से हटायें और कृषि विभाग को उत्पादन के लिए जिम्मेदार बनायें यदि कृषि विभाग भी ऐसा नहीं करता है तो उसके अधिकारी को हटायें और दण्डित करें। अभी हाच-पाच चल रहा है। तो आपको एक प्लानिंग करना होगा।

मान्यवर, चीनी और आलू के बारे में निवेदन कर दूं कि बंगलौर में देखें तो पता चलेगा कि वहां एक इंडो-जरमन के नाम से एक फार्म पहाड़ी पर है। वह सीड्स उगाता है और टमाटर का बीज 5 हजार रुपये किलो उसका है जोकि कर्नाटक से दिल्ली सप्लाई करता है। यह काम उत्तर प्रदेश नहीं कर पाता है जो कि सबसे कृषि प्रधान प्रदेश है। मान्यवर, हमने योजना चलाई थी तो उसको आप बढ़ावा दें। सब्जियों की पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहन दें और उसका इक्सपोर्ट करें जिससे किसानों को अच्छा पैसा मिले, जब तक आप यह नहीं करेंगे तब तक किसानों की हालत ठीक नहीं होगी। प्याज का इक्सपोर्ट हो रहा है इसलिए उसमें आप को अच्छा पैसा हमेशा मिलता है, इसी तरह अन्य सब्जियों को दूसरे प्रदेशों में भी भेज सकते हैं। हमारा प्रदेश आलू का 45 प्रतिशत पैदा करता है लेकिन फिर भी रेलवे वैगनों और कोल्ड स्टोरेज के अभाव में यहां का किसान पिटता है। तो इक्सपोर्ट के लिए कोई न कोई योजना अवश्य बनाई जानी चाहिये थी क्योंकि आलू उत्पादन करने से कोई काम नहीं होगा और यदि ह नहीं कर पाये तो उसको आप करें। यह मान्यवर, सुझाव है। इसलिए कृषि के फ्रंट पर किसान को प्रोत्साहन जब तक नहीं देंगे, उचित मूल्य नहीं दिलायेंगे जैसे कि महाराष्ट्र की सरकार ने ज्वार, धान और बाजरा तीनों की कीमतों में 27 रुपये की बढ़ोत्तरी को भारत सरकार के भावों पर और महाराष्ट्र की सरकार ने उसको दिया, तो आपकी सरकार क्यों नहीं दे पायी, यह प्रश्नवाचक है कि हम कहां जा रहे हैं, इसलिए इस पर मनन करें।

श्रीमन्, अब इसके साथ-साथ मैं आता हूं सड़कों पर। सड़कों के मामले में हमने कुछ किया था। यों तो आप कहेंगे कि बात अधिक नहीं है परन्तु इस प्रदेश का नक्शा बताता है कि जनता पार्टी की सरकार ने सड़कों को चालू करने की योजना बनाई थी। एक योजना बनाई थी जिसको आप मिटा रहे हैं। ग्राम सभा का धन जो है वह किसानों का पैसा है। आप उस पैसे से उनकी सुविधा के लिए सड़कों का निर्माण कराइये। आप उस पैसे से शहरों में बिल्डिंगस न बनवायें यह मेरा सुझाव है, अब आप माने या न मानें जो सुझाव मैंने आपको दिये हैं। श्रीमन्, इस तरह से जब सड़कें बन जायें तब खाद्यान्न योजना को चालू कराइये। मैंने पहले खाद्यान्न योजना चलाने का विचार किया था परन्तु वह पूरा नहीं हो पाया, आप ही शुरू कराइये और उसका श्रेय ले लीजिये लेकिन योजना को चालू अवश्य कराइये। खाद्यान्न योजना जब मैंने चलायी थी, तो

[श्री राजेन्द्र सिंह--]

उससे गरीब वर्ग, मजदूरों को सबसे बड़ा लाभ हुआ था, हरिजन को लाभ हुआ था । श्रीमन्, जिस वर्ग के आप सबसे बड़े हिमायती हैं, तो श्रीमन्, गरीबों, मजदूरों तथा हरिजनों को इस योजना से लाभ पहुंचेगा । गांव में जो आदमी हैं, गरीब आदमी हैं, जिसके पास खेत नहीं हैं, जिसका माध्यम यह था कि उस गरीब आदमी को काम मिले, गल्ला मिले, भन्डारों की आपके पास कोई कमी नहीं है । आप मेरे इस सुझाव पर विचार कीजिये और खाद्यान्न योजना को चालू कीजिये । राजस्थान ने इस योजना को चालू किया है । आप अपनी टीम को वहां भेजिये, वह देखें कि कैसे उन्होंने उस योजना से लाभ उठाया है । इस सम्बन्ध में इतना और निवेदन करूंगा श्रीमन्, इसका कुछ सबंध आप से भी है कि इस हाउस की जो कमेटीज हैं उनको और ऐक्टिव कीजिए । जिस तरह से लोक सभा में कमेटीज को अधिकार मिला हुआ है माननीय अध्यक्ष जी, मैं चाहूंगा कि आप इस सदन की कमेटीज को अधिकार दें कि वे दूसरे प्रदेशों में जाकर के देखें कि उनके यहां कैसी प्रगति हो रही है, जो योजना उन्होंने शुरू की है, जो मैथेड एडाप्ट किया है, उससे वह कैसे कर रहे हैं और उससे कैसे उनका प्रदेश लाभ पा रहा है इसको केवल शासक वर्ग पर मत छोड़िये, मौके पर जाकर प्रत्येक प्रदेश के अन्दर देखिये कि उनकी प्रगति के क्या कारण हैं ।

श्रीमन्, एक बात बताता हूं कि डिस्ट्रीब्यूशन आफ लैन्ड की भूमि को बांटने की । आपने कई बार कहा है कि कर्ज दिलाया जाय । जनता सरकार ने एक योजना चलायी थी "ऊसर सुधार योजना" इस संबंध में जनता सरकार ने एक ऊसर सुधार निगम की स्थापना की थी परन्तु मुख्य मन्त्री जी उसे चला नहीं पाये उसका कारण इतना था कि कोई कम्पटीटिव आफिसर उसको उठाने के लिए तैयार नहीं हुआ था । इसमें जनता सरकार में लैन्ड आर्मी का भी प्रस्ताव था । ऊसर सुधार योजना की हमारी प्लानिंग थी कि जो भूमिहीन किसान हैं, मजदूर हैं, जिनके पास भूमि नहीं है उनके 100 परिवारों 200 परिवारों को लेकर इस योजना को चालू किया जाय । जो जमीन ऊसर पड़ी हुई है उस पर हल चलाये जायं, हजारों मील ऊसर प्रदेश में पड़ा हुआ है । हरदोई जिले में जायं तमाम ऊसर जमीन पड़ी हुई है । पंजाब के एक अधिकारी हैं उन्होंने इसको किया है । ऊसर सुधार योजना से उन्होंने बहुत तरक्की की है । खाली बांट देने से काम नहीं चलेगा, एक केमिकल्स है, नाम नहीं याद आ रहा है । हां, पाईलाइट, तो पाईलाइट के केवल बांट देने से ही काम नहीं चलेगा इतना आप विश्वास रखें । आप अपनी तरफ से उसको चलायें । उन ऊसर पैचेज को जो हजारों एकड़ पड़े हुए हैं उनमें से 100 एकड़ या 200 एकड़ के पैचेज को ले लीजिए और उस पर अपनी योजना को शुरू कीजिए । सरकार उस पर अपने ट्यूबवेल बनाये, हर परिवार को वह थोड़े-थोड़े पैचेज डिस्ट्रीब्यूट कर दे डिमार्केशन करके तब देखे कि वहां डेवलपमेन्ट कैसे नहीं होगा । सरकार उन परिवारों को पैसा दे, अपने पेमेन्ट पर उनसे वहां काम कराये । वेजेज पर काम चालू कीजिए और तीन साल के बाद फिर देखिये कि पैच प्राफिटेबिल होने लगता है या नहीं । फिर उस पैच को आप उसी भूमिहीन परिवार को दे दीजिए जिसने अब तक उस पर पेमेन्ट बेसिस पर काम किया है । तीन साल के अन्दर आपको पता चल जायेगा कि उस अमुक व्यक्ति ने जो अब तक काम किया है उसका इन्टेनशन खेती करने का है या नहीं कहीं ऐसा तो नहीं है कि नौकरी करना चाहता है और खाली भूमिहीन पर प्लाट ले ले । मैं साफ कर रहा हूं । मैं चाहता हूं कि इस प्रदेश का जो व्यक्ति खेती में दिलचस्पी रखता है, जिस व्यक्ति

को खेती करने की इच्छा है, उसे आप प्लाट दीजिए । इस तरह दिये जाने से प्रोडक्शन बढ़ेगा, भूमिहीनों की समस्या समाप्त होगी, ऊसर ठीक होगा, एक लैंड आरमी के शेप में बहुत बड़ी आरमी होगी ।

बुन्देलखंड और झांसी के बारे में मैं कहना चाहूंगा । मुझे अभी झांसी जाने का मौका मिला । झांसी आपने देखी होगी । वहां एक पौधा भी नहीं उगता । ऐसा नहीं है कि उगता ही नहीं है । वहां पर समस्या स्ट्रे कैटल की है । सरकार इस पर ध्यान दे । इससे किसानों का बड़ा नुकशान होता है । फसल नहीं उगा सकते । आप चाहें तो एक महीने के अन्दर दस हजार मजदूरों की टीम बना सकते हैं । वहां पर प्लानटेशन करा दें, वहां पौधे उग सकते हैं, फलदार वृक्ष उग सकते हैं । मैंने होर्टिकल्चर विभाग के लोगों से बात की थी । उनका कहना है कि वहां पर चीज हो सकती है । मेरा निवेदन है, सुझाव है, बुन्देलखंड और झांसी जैसे एरियाज, जहां पहाड़ी एरियाज हैं, पथरीली भूमि है, कुछ दिखाई नहीं देता, ऐसा नहीं है कि फलदार वृक्ष वहां नहीं हो सकते हैं, हो सकते हैं, दस हजार, पांच हजार मजदूरों की एक टीम बना लीजिए, उनको आप वेतन दीजिए, वे प्लान्टेशन करे, पानी का प्रबन्ध करें ।

श्रीमन्, मैं फिर कहता हूं कि जब तक भूमिहीनों को आप इकानामिकली साउन्ड नहीं करेंगे तब तक वह भूमिहीन, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाला व्यक्ति, सामथ्यवान नहीं होगा । जब तक वह कुछ अर्न कर के कुछ बना नहीं सकता तब तक आपकी योजना कारगर नहीं होगी । इस दिशा में मैं काटेज इन्डस्ट्री की बात करता हूं । इस प्रदेश को, इस देश को, इकानामिकली साउन्ड बनाने के लिए, वहां की बेरोजगारी मिटाने के लिए, मेरा ख्याल है, सभी माननीय सदस्य भी ऐसा सोचते होंगे, काटेज इंडस्ट्री के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है । बिग इंडस्ट्रीज से हमारा कोई लाभ नहीं होगा । बिग इंडस्ट्रीज होनी चाहिए जहां जरूरत हो । मगर जब तक काटेज इंडस्ट्रीज का, ग्रामीण इंडस्ट्रीज का नाम आप चाहे कुछ भी इसका रख दें यदि हमारे काटेज इंडस्ट्रीज के नाम से चिढ़ हो कोई काम रख दें, संजय गांधी इंडस्ट्री रख लें, कोई भी रख लें, जब तक इसका विकास नहीं होगा तब तक प्रदेश और देश आर्थिक पिछड़ेपन से नहीं निकल सकता । मेरा निवेदन है कि कोई कारगर योजना बनाये ताकि गरीबों को रोजी रोटी का साधन मिल सके इस तरफ आप की प्रगति नहीं है । यह मेरा निवेदन है । इसमें लिखा जरूर है लेकिन आप बतायें कहां-कहां आप ने ऐसी इंडस्ट्री लगाई । शासक दल बताये कि इस इंडस्ट्री का इस जगह लगाया । सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों को वहां भेजें, वे देख लें; वह देखें कि इस डाइरेक्शन में प्रगति कितनी हुई ।

माननीय मुख्य मंत्री जी, इस बजट को पेश कर देने से वही पुराना सिस्टम चला आ रहा है । पिछले दफे 900 करोड़ का खर्च था, इस दफ्त 1200 करोड़ खर्च करना है, नौ सौ करोड़ को साढ़े नौ करोड़ कर दीजिए और 1200 करोड़ को 12.4 करोड़ कर दीजिए । इस लगजरी से कोई फायदा नहीं है । स्पेसिफिक आइटम्स की बात कीजिए । इन दो दिशाओं में प्रगति कीजिए । बिजली की बात है । इसमें वृद्धि होनी चाहिए । अच्छा कदम है । कृषि के क्षेत्र में कितना प्रोत्साहन दे सकते हैं । इसमें हैजिटेट मत कीजिए । अपने मुख्य सचिव महोदय से पूछिये माननीय बनारसी दास की सरकार ने जब सूखा इस प्रदेश में चल रहा था, एक मीटिंग हुई थी और उसमें यह हुआ था कि क्योंकि सूखा पड़ गया है इसलिये किसानों को प्रोत्साहित किया जाय और गेहूं के अलावा वे अन्य फसलें भी बोयें जिसमें पानी की कम आवश्यकता हो । हमने ईंधन का दाम 350 रुपये क्विंटल फिक्स किया था । जौ और चने का भाव सरकार ने निश्चित किया था,

[श्री राजेन्द्र सिंह]

उसे किसान को पैसा मिलता चला गया । तो मेरा निवेदन यह है कि आप ऐसा करने में हेजीटेट न करें । आप भारत सरकार के ऊपर न निर्भर करें । यह भी एक सरकार है । आपके पास एफ० सी० आई० है और दूसरा ऐजेंसी है । अगर भारत सरकार किसी तरह का किसी आइटम पर उसका लागत मूल्य नहीं दिला पा रहा है तो इस सरकार का कर्त्तव्य है कि वह किसी प्राइस को तो एनाउन्स करे और किसानों का माल खरीदे । मैं इसलिये यह कह रहा हूं कि आप एक योजनाबद्ध तरीके से काम नहीं करेंगे तो कैसे किसान का फायदा हो सकता है । वह तो पढ़ा-लिखा है नहीं । वह तो इतना जानता है कि गन्ने का पैसा यदि उसको किसी साल ज्यादा मिल गया तो वह 2-3 साल तक गन्ना ही बोता चला जायेगा । वह यह नहीं जानता कि यदि किसी साल ज्यादा गन्ना पैदा हो जायेगा तो गन्ने की कीमत कम हो जायेगी । इसलिये योजनाबद्ध कार्यक्रम होना चाहिए । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप तिलहन और दलहन की योजनाओं को कैश-क्राप बनाने की कोशिश कीजिये । उसके लिये आप बफर स्टाक बनाइय । उससे किसान निश्चित रूप से डाइवर्ट होगा और ऐक्सेस नहीं हो सकेगा । इसलिये जब तक आपका ध्यान उस तरफ नहीं होगा तब तक ब्यूरोक्रेसी उसे आसानी से नहीं बना पायेगी ।

श्रीमन्, समादेश क्षेत्र की बात आती है । तीन समादेश क्षेत्र इस प्रदेश के अन्दर हैं । जब योजना चली थी तो एक क्षेत्र के अन्दर आई० ए० एस० प्रशासन था, दूसरे का प्रशासन कृषि विभाग का था और तीसरे का सिंचाई विभाग का था । लेकिन धीरे-धीरे यहां पर यह टेन्डेन्सी हुई कि आप पोस्ट ग्रैबिंग करते चले गये और आज यह स्थिति है कि तीनों स्थानों पर आई० ए० एस० बैठे हुये हैं बल्कि कहीं एक सीनियर आई० ए० एस० हैं और उनके नीचे दूसरा भी जूनियर आई० ए० एस० है । तो इस तरह से जो आप पोस्ट ग्रैबिंग करते चले जा रहे हैं उसको ठीक कीजिये और उस पर विचार कीजिये । मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे शासनकाल में विभाग से एक योजना आई कि जिले का जो सीनियर जिला कृषि अधिकारी होगा वह 7 साल की स्टैंडिंग का आई० ए० एस० का होगा । यह प्रस्ताव विभाग से आया था । यह प्रस्ताव भारत सरकार को जाना था । मैंने कहा कि योजना तो बहुत अच्छी है, मुझे स्वीकार है । मैंने उसमें कहा कि यह नोट लगा दें कि वह सात साल की स्टैंडिंग का होगा लेकिन उनको 7 साल तक जिले में बिजली और मोटर कार नहीं मिलेगी और तब उनको जिला कृषि अधिकारी बनाया जायेगा । इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह से पोस्ट ग्रैबिंग बन्द होनी चाहिए ।

इसी तरह से अलीगढ़ में एक प्रोजेक्ट दिया गया । माननीय मोहनलाल गौतम जो थे, उन्होंने अलीगढ़ के लिये एक कृषि प्रोजक्ट चलाई थी, जिससे यह सोचा गया था कि वहां का उत्थान होगा । लेकिन पिछले दिनों यह हुआ कि प्रोजेक्ट अफसर की पोस्ट पर एक आई० ए० एस० को बिठा दिया । यह एग्रीकल्चर की पोस्ट थी और कोई ऐग्रीकल्चर वाला उसमें आना चाहिए था । अब जब मुख्य मंत्री जी आप सत्ता में आये तो एक और आई० ए० एस० डिप्टी डायरेक्टर वहां हो गये । तो क्यों आप इस तरह से भार बढ़ाते चले जा रहे हैं । इस प्रदेश में सरकारी सेवा में बहुत निष्ठावान और अच्छे व्यक्ति हैं लेकिन जहां तक यह टेंडेंसी है कि पोस्ट को ग्रैब करो इस आदत को कम करिये इस तरह से तो पूरा पैसा प्रदेश का उनकी तनख्वाह में बट जायेगा । आई० ए० एस० और पी० सी० एस० की मत बढ़ाइये छोटी-छोटी नौकरियां बढ़ाइये ताकि जो बेरोजगारी की समस्या है वह हल हो सके ।

एक दो बात और कहूंगा सिचाई के बारे में क्योंकि मुझे मौका मिला था इसमे मिनिस्टर रहने का मेन कोशिश का थी और कुछ कामयाबी हुई ज्यादा नहीं। चूंकि यह समस्या छोटे-छोटे किसानों से सीधा सम्बन्ध रखता है वह तावान कहलाता है। प्रदेश म 90 फासदी नहरो का पतरौल मिल कर कटवाता है। आप पता कर लीजिये क्योंकि सिंचाई विभाग का कर्मचारी पैसा लेकर नहर कटवा देता है जब एक दफा कट जाती है तो तंगी स कटती रहती है तो जिस खत में वहां-से सिचाई होती है उन पर पैनाल्टी लग जाती है जिस तावान कहत है। पिछले सूख के दिनों म इसी तरह से 60-65 जगहों से यह बात नोटिस म आई उस समय सरकार न यह निर्णय लिया कि सिर्फ सिंचाई का ही पैसा लिया जायगा कोई एक्सट्रा पैसा नहीं लिया जायगा। यह मेन आदेश किया था लेकिन उनका पालन नहीं हुआ। सिंचाई मंत्री यहां पर नहीं हैं। मै कहना चाहता हू कि वह इस पर ध्यान दें।

एक निर्णय और था इस प्रकार के मामले 7-7 और 8-8 साल से पैंडिंग पड़े हैं जिनको विभाग तय नहीं करता है और जब बाद में इनक्वायरी होती है, तो उनका पता नहीं चलता है। इसीलिए इस पर हमने निर्णय लिया था कि जितने पुराने केसेज है वे सब करवरी 80 तक डिसपोज आफ हो जाने चाहिये अगर नहीं होते हैं तो वह समाप्त समझे जायं लेकिन उनका भी कार्यान्वियन नहीं हुआ। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे केसज को डिसपोज आफ कराइये। मैं इस विभाग की कारगुजारी का एक उदाहरण देता हूं मेरे पिताजी जो 82 साल के वृद्ध हैं माननीय आपके उप मंत्री, सुरेन्द्र सिंह जी जानते हैं, वह बहुत पुराने स्वतन्त्रता सेनानी रहे है, उनको आपके विभाग ने एक नोटिस दी है कि आपने नहर काटी है। खेत उनके नाम नहीं हम लोगों के नाम है और उनको नोटिस दी गई है कि आपने नहर काटी है, यह कारगुजारी है, आपके विभाग की। विपक्ष को आप सताइये, कमजोर कीजिए, लेकिन ऐसा काम न कीजिए कि जिससे आप पर दाग न लग जाय। आप डायरेक्ट हिट मत कीजिये। आपके जिलाधिकारी ने मुझे डायरेक्ट हिट किया, लेकिन कोई ऐक्शन आपने नहीं लिया मुझे कुछ उस पर नहीं कहना है। लेकिन मेरे पिता जी के खिलाफ यह जो किया गया है अगर यह सत्य है तो आपके अलीगढ़ से आने वाले सदस्य हैं, उनसे पूछ लीजिए कि वाकई में क्या वह इस उम्र में बाहर जाने लायक हैं और नहर काट सकते हैं। यहीं आप उसका फैसला ले सकते हैं। मैं कहता हूं कि आप नियम बना दीजिये कि अगर नहर कटती है तो सम्बन्धित इंजीनियर सस्पेन्ड कर दिया जायेगा और किसान से उसका पैसा नहीं लिया जायेगा। आपने नियम में थोड़ा परिवर्तन कीजिये बहुत ज्यादा पैसा इस प्रकार किसान से लिया जाता है।

एक और बात पर आता हूं एक विजिलेन्स की इनक्वायरी हुई थी जो आपके ग्रह सचिव हैं, वह उस समय विजिलेन्स में थे, जिसके बेसिस पर एक अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता को हमने कंपलसरी रिटायर किया था करप्शन चार्जेज पर, आप फाइल देख लें, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता कोई छोटा-मोटा आदमी नहीं होता है, उसको हमने टरमिनेट किया था' सी० ए० सी० की रिपोर्ट भी उस पर है सब फाइल में हैं। उसमें कुछ और अधिकारियों के खिलाफ भी ऐक्शन लेना था। जब कोई कार्यवाही होती है तो उसमें पहले कंफिडेंशियल इनक्वायरी होती है और फिर ओपन इनक्वायरी होती है। तो उसमें ओपन इनक्वायरी होता थी, लेकिन हमारे हटते ही उस व्यक्ति को एडीशनल चीफ में प्रमोट कर दिया हम लोग यदि रहते तो यह न होता। आप पता कीजिये उसके खिलाफ बहुत गम्भीर और स्पेशफिक चार्जेज थे। आपने, इंक्वायरी उसके खिलाफ होनी थी, इसलिये हम

[श्री राजेन्द्र सिंह—]

उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सके थे । इसी तरह से एक एडिशनल चीफ इंजीनियर रिटायर हुये, उसके खिलाफ भी गम्भीर चार्जेज थे । उसे सस्पेन्ड होना चाहिये था, लेकिन इसकी सूचना उसके रिटायर होने के केवल पांच दिन पूर्व मन्त्री जी के पास आई । इस तरह से फाइलों को दबाया जाता है । एक बात और है भ्रष्ट अधिकारी स्वयं जानबूझ कर अपने खिलाफ विजिलेन्स इंक्वायरी कराना चाहते हैं । बहुत से अधिकारी स्वयं किसी के द्वारा अप्लीकेशन दिलवा देते हैं कि इसके खिलाफ बड़े गम्भीर आरोप हैं, बड़ा भ्रष्ट और बेईमान अफसर है, इसके खिलाफ विजिलेन्स की जांच हो जाय । वह हो जाती है और वह भ्रष्ट अधिकारी अपनी खैर मनाता है । वह बड़ा सीरियस मामला है, लेकिन वास्तव में अधिकारीगण इन चीजों को दबाने के लिये ऐसी जांच करवाते हैं । विजिलेन्स में बड़े-बड़े सीरियस मामले पड़े हुये हैं । मैं चाहता हूं कि आप उनमें जल्दी करें और कम से कम जो काफी गम्भीर हैं, उनपर तो निर्णय करा ही लें । नियम है कि विजिलेन्स इंक्वायरी चलते प्रमोशन हो जाता है और जांच रिपोर्ट आने तक वह रिटायर हो जाते हैं । वह नियम नहीं होना चाहिये ।

सिंचाई विभाग में कांस्ट्रेक्टर्स के माध्यम से कार्य कराये जाते हैं । अधिकारी उनके माध्यम से काम करना चाहता है, क्योंकि कांस्ट्रेक्टर्स उसे एक बंधी बंधाई रकम स्वयं खुशी-खुशी कमीशन के रूप में दे देता है । लेकिन यदि विभाग स्वयं अपना काम कराये, जो बेकारी के निपटाने के लिये आप स्वयं करा चुके हैं, तो उसको उसका हिस्सा, कैसे पहुंचे ? उसके हिस्से में से मजदूर भी अपना हिस्सा बटाना चाहेंगे । जिसमें उनकी परेशानी होगी, इसलिये वह कांट्रेक्टर्स से ही काम कराना अच्छा और अपने लिये उपयोगी और सेफ समझता है । इसलिये मेरा निवेदन है कि कांस्ट्रेक्शन डिवीजन्स बनने चाहिये । जो निगम बनाये हैं और जो एक निगम आप बनाने जा रहे हैं, इसके बारे में आपको पुनः विचार करना चाहिए । जो निगम बनाना प्रस्तावित है, वह बहुत उपयोगी नहीं सिद्ध होगा । यदि आप हैवी मशीन के लिये एक निगम बनाते तो यह विभाग और प्रदेश के हित में होता । आप कालागढ़ चले जायं, अपने हेलीकाप्टर पर उड़कर चले जायं, देख आयें कि वहां पर कितनी बड़ी-बड़ी मशीनें बेकार पड़ी हैं । ऐसी विशाल मशीनों पर जो करोड़ो की लागत की हैं, कोई नियन्त्रण नहीं हो पाता है । इसलिये आप अलग से इसके लिए एक निगम बनायें, इसकी बहुत जरूरत है । बहुत सी मशीनें ऐसी हैं जो विदेशों से आई, जिनको ठेकेदार ने लेकर कांटेक्ट का काम किया और बाद में मामूली दाम पर, सस्ते में आपसे प्राप्त कर ले गया ।

अतः आप नियमों में परिवर्तन करिये कि कांट्रेक्टर को विभाग मशीन नहीं देगा, उसे अपनी स्वयं व्यवस्था करनी होगी । बड़ी-बड़ी मशीन कांट्रेक्टर बहुत सस्ते मूल्य पर ले लेता है और जाने के समय मामूली दामों पर क्रय कर ले जाता है । ऐसी करोड़ों की मशीनें आपके समय में गई हैं । यह सरकार का, इस प्रदेश का अहित है । मेरा सुझाव है कि इसके अन्दर आप इन चीजों को भी देखें कि जो बेशकीमती मशीनें हैं, उनका उपयोग हो रहा है या नहीं । किसी अधिकारी ने या चीफ इंजीनियर ने यह लिखकर भेज दिया कि विदेशों से इस मशीन को मंगाने की आवश्यकता है तो मैं चाहूंगा कि आप चीफ इंजीनियर से यह मालूम करें कि हमारे पास इस प्रकार की मशीन अवेलेबिल तो नहीं है । अभी जैसा मैंने कहा था कि कालागढ़ में डैम बनाने के लिये एक योजना बनी थी तो वहां एक बहुत बड़ी कालोनी बनाई गई है, उसमें चीफ इंजीनियर और इंजीनियर्स के लगभग 500-700 क्वार्टर्स बने हुये हैं । वे बरबाद हो रहे हैं । उनमें कोई रहने वाला

नहीं है तो मान्यवर, मेरा यह निवेदन है कि वहां आप सर्वे या किसी डिवीजन को भेजें ताकि वह बरबाद न हो । एक बहुत बड़ी बिल्डिंग, जो वहां पड़ी हुई है, वहां आप सिंचाई विभाग या कोई और डिवीजन जिसे भी आप चाहें, इससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन कोई भी डिवीजन भेजकर उस भवन का उपयोग आप सुनिश्चित कीजिए, यह मेरा सुझाव है ।

श्रीमन् मैं इस सम्बन्ध में एक सुझाव और दूंगा, वर्षा से पहले जो आपकी ड्रेन्स हैं या नहर हैं, उनकी सफाई होती है । इस सम्बन्ध में हमने एक एक्सपेरिमेन्ट किया था, लेकिन वह कम कामयाब हुआ, उसका लोगों को पता कम चल पाया, जून के महीने में सभी गाड़ियों को चेकिंग हो जानी चाहिये और इसके लिये एक कमेटी बननी चाहिये । जो कमेटी बने वह माननीय सदस्यों में से चूज हो और जो भी जगह वह तय करें, वहां सब लोग एकत्र हो जायं और इसे सुनिश्चित करें । हमारे जो विधायक हैं, जन प्रतिनिधि हैं, उनको भी पता होना चाहिये, क्योंकि जनता की शिकायतें उनके पास ही आती हैं कि यहां पानी भर गया या बाढ़ आ गई । तो यह उन्हें पता होना चाहिये जून के पहले कि कहां कितनी सफाई हुई । अभी मुझे एक मौका मिला बांदा जाने का, अभी जब दावत थी, रिजवी साहब के यहां तो मैंने देखा कि किस प्रकार कार्य हो रहा है । जब मैं सिंचाई मन्त्री था तो मुझे बताया गया कि पेपर पर माइनर का काम दिखाया गया है, लेकिन वास्तव में माइनर का काम शुरू भी नहीं हुआ है तो मैंने इसको देखने के लिए एक्जीक्यूटिव इंजीनियर और 2 इंजीनियर्स को मौके पर भेजा तो पता चला कि वाकई वह माइनर की खुदाई दिखा दी गई थी, लेकिन माइनर बनी ही नहीं । तो इसमें एक सख्त नियन्त्रण की आवश्यकता आपको पड़ेगी ।

आज डुप्लीकेशन का कार्य हो रहा है, उसमें आप कोई दिशा दे सकें, यह मेरा सुझाव है । इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है और मैंने डिसीजन भी दिया था कि जो प्रोजेक्ट बने सिंचाई का आपको पुल के माध्यम से तो उस पुल बनाने का उसमें रिवेयर का कोई प्रावधान नहीं है । आप को पुल बहुत अच्छा दिखाई देगा, लेकिन जैसी परिपाटी है फंड कटते ही जान जाने लगते हैं । सिंचाई विभाग के अन्दर ही कोई ऐसी व्यवस्था करें कि किसानों के खेत तक पानी पहुंच जाये । यह सरकार का उत्तरदायित्व होना चाहिये । उसको ही गुलों का निर्माण कराना चाहिये । इसको किसानों के ऊपर न छोड़िये क्योंकि उसमें बहुत सी परेशानियां आती हैं । यही बात ट्यूबवेलों के बारे में मैंने कही है । माननीय राजस्व मंत्री जी जानते होंगे कि जहां पर ट्यूबवेल्स हैं, वहां पर बहुत सी परेशानियां हैं । हम चाहते हैं कि ऐसी व्यवस्थायें होती कि किसान एक अपना ट्यूबवेल रखते हैं लेकिन उसके कुछ खेत 4-6 प्लाट्स छोड़कर दूसरे चक में हैं तो वह किसान जिसके वे प्लाट्स पड़ते हैं, गुल को नहीं निकालने देता है । मेरा सुझाव यह है कि इसमें शासन की जिम्मेदारी होनी चाहिये कि वे किसान के पानी को एक चक से दूसरे चक में ले जाने की व्यवस्था करा दें । या तो आप अन्डरग्राउन्ड गूलें बनवा दें या पाइप्स डलवा दें । शासन को इस बारे में सजग होना चाहिए और अगर कोई अड़चन आती है तो नियमों में परिवर्तन होना चाहिये ताकि इस योजना से किसान लाभान्वित हो सके ।

जहां तक विद्युत् विभाग का प्रश्न है शायद यह भारतवर्ष में दूसरा बड़ा अरिवद् है । उसकी जो वर्किंग है उसके बारे में आपने बड़ी तेजी दिखलायी थी कि इसमें एक सेपरेट कम्पनी बननी चाहिये । बहुत अच्छी बात थी । हम भी समझते थे कि हमारे मुख्य मंत्री जी तेजी पर हैं । आपने आते ही आते इस

[श्री राजेन्द्र सिंह---]

कम्पनी के बनाने का एनाउन्समेन्ट भी किया लेकिन बाद में क्यों ढीले पड़ गये ? कौन से प्रेशर्स थे जिनके कारण यह योजना रद्द करनी पड़ी ? मैं जानता हूं कि जब हम लोग सरकार में थे आज के मुख्य सचिव तब वित्त सचिव थे। वे भी चाहते थे कि जनरेशन का कोई सेपरेट संगठन होना चाहिये। यह विचार पहले भी था लेकिन आपको एनाउन्स करने के बाद भूल ही गये हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह---

बन गयी है।

श्री राजेन्द्र सिंह---

कम्पनी बन गयी होगी लेकिन वर्किंग नहीं हुआ है। अगर आपने बना ली है तो ठीक लेकिन उसकी कोई रूपरेखा हमारे सामने नहीं आयी है। यह तो प्रदेश में एक सफेद हाथी है और इस पर आपको कड़ा नियंत्रण उस पर रखना होगा क्योंकि देश के हर क्षेत्र में विद्युत् की अत्यन्त आवश्यकता है। तो इस ओर भी सरकार को सख्ती से ध्यान रखना होगा।

निगमों का जहां तक सम्बन्ध है मैं एग्रो के सम्बन्ध में बहुत कुछ कह चुका हूं और मुझे आशा है हमारे मुख्य मंत्री जी उस बारे में देख भी रहे होंगे। अभी आप बुलाकर पूछिए। हमारे जमाने में जो एम० डी० थे वे आज होम डिपार्टमेन्ट में स्पेशल सेक्रेटरी हैं। इस निगम में, हमारे समय को छोड़कर, यह व्यवस्था रही है कि जो भी उसका चेयरमैन या एस० डी० रहा है, उन्होंने अपने मनचाही सिफारिशों के आधार पर अंधाधुंध भर्ती की है। उस व्यवस्था को आपको थोड़ा रोकना होगा। यह अनएकानामिक हो गया है। वहां पर मजदूरों की जो संख्या है वह इतनी अधिक हो चुकी है कि वे प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते हैं। मैं यह नहीं कहता कि आप किसी को निकाल दीजिए। आप नई भर्ती न करें। हमारे जमाने में एक प्रस्ताव आया था कि निगमों में भर्ती कैसे हो। मेरे पास प्रस्ताव यह आया कि भर्ती के लिए चीफ सेक्रेटरी तथा एक और सेक्रेटरी, तीन आदमी की एक कमेटी होगी, जो एप्वाइन्टमेन्ट करेगी और वह एप्वाइन्टमेन्ट की सूची मुख्य मंत्री जी के अप्रूवल के लिए जायेगी। एक सुझाव हम लोगों ने दिया कि यह टेक्निकल मैटर है, व्यापार का इससे सम्बन्ध है। लेकिन अगर वह निगम हो या वह परिषद् ही लास में चलेगी, तो इससे पब्लिक मनी का दुरुपयोग होगा। तो,

(इस समय 2 बजकर 31 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।)

हमने यह कहा कि असल में होता क्या है कि ये जो हमारे आई० ए० एस० भाई हैं, ये जब लन्दन वगैरह चले जाते हैं 6 महीने के लिए ट्रेनिंग में, और ट्रेनिंग से आने के बाद फिर उनकी पोस्टिंग अपनी चवायस के अनुसार होती है और कभी-कभी उनकी पोस्टिंग उन अच्छी जगहों पर नहीं होती है, जिसके लिए उन्होंने कष्ट उठाया है। तो हमारा सुझाव तो यह था कि जो आई० ए० एस० ट्रेंड हैं, जो बड़े अच्छे हैं और जो निगमों में जाना भी चाहते हैं खाली थोड़े समयों के लिये, जब तक कि उनको कोई अच्छी पोस्टिंग नहीं मिलती है। जब कभी ये हमारे आई० ए० एस० भाई ट्रेंड जो हैं, वे जाते हैं, तो उनकी सर्विसेज मर्ज कर देनी चाहिये। जब यह सुझाव आया तो हमारे अधिकारी वर्ग चिंतित हुए कि यह तो बड़ा गजब हो जायगा। तो उन्होंने कहा कि इसको हम

संशोधित करके पूर्ण रूप में आपके सामने लायेंगे। हम तो चले गये, हमारे सामने लाने का अब तो सवाल ही नहीं है। लेकिन आप इसे देखते रहियेगा कि आपके सामने अगर वह जाता है, तो उसे आप देखियेगा। प्रतापगढ़ में आपकी एक इन्डस्ट्री लग रही है। माननीय मंत्री जी किन-किन के एप्वाइन्टमेन्ट्स वहां पर करा रहें हैं, यह सूचना हमको है। आदमी हमारे पास भी आते रहते हैं तो इसे देख लीजियेगा। मैं फिर कहता हूं कि आपके जितने निगम हैं, उनमें जो एम0 डी0 और उच्च सेवा के लोग हैं, वहां पर थोड़े समय के लिए परमानेन्ट सर्विस के लोगों को भेजिये। ऐसा कुछ विचार करें और सम्भव हो सके तो उस दिशा में करना चाहिये।

अब श्रीमन, मैं कुछ बातें कानून और व्यवस्था के पहले कहते हुये तथ्य की बात कहना चाहूंगा ताकि कोई बात अछूती न रह जाय। मान्यवर, 75 उप-निबन्धकों की भर्ती काफी पहले हो चकी है। भर्ती पहले हुयी और ट्रेनिंग भी हो चुकी है। ट्रेनिंग भी कर चुके हैं और अब एक-एक जिले में 5/6 इसलिए बिठा दिये गये हैं जो जूनियर स्टाफ उनकी जगह पर आफिशियेट कर रहा था, उसकी एप्रोच किसी सत्ता पक्ष में उपलब्ध हो गयी है। इसलिये यह सम्भव नहीं हो रहा है कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन के 75 लोग चुनकर आये हैं, उनका सदुपयोग किया जाय और घर बैठे तनख्वाह न दी जाय।

श्रीमन्, कानून व्यवस्था के बारे में बहुत कुछ कह चुके हैं। माननीय सदस्यों ने भी बहुत कुछ कहा है। लेकिन यह प्रदेश की बदकिस्मती है कि इस भयावह स्थिति को भी हमारे प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री जी मानने को तैयार नहीं हैं। वह कहते हैं कि थोड़ा बहुत तो जुल्म होता ही है। नहीं होगा तो पुलिस व्यवस्था ही समाप्त हो जायेगी।

श्रीमन्, प्राइमरी स्कूल के ये अध्यापक हैं दल गंजन सिंह। ये फर्रुखाबाद के हैं। क्योंकि बाजपेयी जी ने हमसे एक बात कही है कि हम बच्चों के बारे में न कहें, इसलिए बच्चों के बारे में न कहकर बड़ों के बारे में कह रहा हूं। एक श्री राजनाथ सिंह यादव हैं। उनके बारे में जैसे माया की किताब है, वैसे बहुत सी कहानियां निकल चुकी हैं। मान्यवर, जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी के मन में भी कभी-कभी स्वच्छ प्रशासन करने के बारे में मन हो जाता है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वह अपने आई0 जी0 को बला लें। वह फर्रुखाबाद के हैं। वह उनको आश्वस्त कर दें कि कोई चीज लीक नहीं करेंगे। तब वे बतायेंगे। इस व्यक्ति के बारे में उन्होंने लोकायुक्त में दरख्वास्त दी थी। उसको मारने के लिए पूरा प्रयास हो रहा है। वह तीन महीनों से भागा-भागा फिर रहा है। हो सकता है कि कहीं आपसे भी टकरा गया हो। उसका दलगंजन सिंह नाम है। 3 फरवरी के दैनिक जागरण में उसकी व्यथित कथा निकली है। प्राइमरी स्कूल का एक टीचर इस सदन के माननीय सदस्य द्वारा इस तरह से प्रताड़ित किया जाय, परेशान किया जाय, यह अशोभनीय है। माननीय मुख्य मंत्री जी और वह भी सत्ता पक्ष का विधायक हो। इस तरफ आप थोड़ा ध्यान दें। एक और है देवरिया का। यह मेरा विचार नहीं है कि मैं इसका राजनीतिक लाभ उठाना चाहता हूं। अखबार एक माध्यम है जिसके द्वारा मुझे सूचना मिलती है, उत्तर प्रति उत्तर होते हैं माननीय मंत्रियों के। अगर मेरी सूचना गलत हो तो आप कह दें कि गलत है और तथ्य सही नहीं है। "आज" में निकला है 20 हजार की खाद देवरिया में थानेदार ने पकड़ी और बेचकर खा गया उसकी कहीं कोई इन्ट्री नहीं है। जिसको पकड़ा, वह खाद का मालिक कोई मिश्र था जिसको छोड़ने के लिए भी 5 हजार रुपये ले लिए इस तरह

[श्री राजेन्द्र सिंह –]

से 25 हजार रुपया खा गया । यह तो आपका मामला है माननीय मुख्य मंत्री जी बांदा वाला । आप अपने कांग्रेस (आई) के कार्यकर्त्ताओं को अरेस्ट करायें । किन्तु यह प्रदेश के निवासी हैं इस प्रकार के आदेश से अन्य निवासियों को एक शंका हो जाती है कि प्रदेश के गृह राज्य मंत्री टेलीफोन और वायरलेस पर कांग्रस के लोगों को अरेस्ट करने को कहें और प्रशासन यह न समझ पाये कि किस दफा में अरेस्ट करें । मुझे जो सूचना मिली कि इन लोगों को शिकायत थी कि जो व्यक्ति हत्यारा था उसके साथ घूम रहे थे । निजी सहायक ने बयान दिया है ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह––

सहायक तो आप बन रहे हैं ।

श्री राजेन्द्र सिंह––

यह सहायक हैं निजी नहीं ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह––

अप स्पष्ट कर दें कि सहायक है या साथी माननीय मोहन सिंह ।

श्री मोहन सिंह––

हम सब आपस में सहयोगी हैं ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह––

किस चीज के ।

श्री उपाध्यक्ष––

आपस के सहयोग में आप हमें न भूल जायं ।

श्री राजेन्द्र सिंह––

अखबार में छपा है झांसी के एक पत्रकार हैं मिस्टर झा उनका कोई मकान का झगड़ा है । मैंने यह देखा है । माननीय मुख्य मंत्री जी आपके सचिवालय के प्रशासनिक विभाग से एक पत्र लेकर वह कमिश्नर के लिए 27 तारीख को जाते हैं ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह––

आपका भेजा हुआ तो नहीं है ?

श्री राजेन्द्र सिंह––

हालांकि आपका पत्र लेकर मैंने नहीं भेजा था । यह मेरी सूचना है अगर गलत हो तो कह दें कि गलत है ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह––

क्या विषय था ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

झांसी के एक पत्रकार झा हैं उनका रेन्ट का मकान था मकान मालिक से कुछ झगड़ा था । वह कहते हैं कि मेरे मकान में कब्जा कर लिया । उसमें आपके यहां से आदेश गया कि इनकी पुलिस द्वारा मदद की जाय और प्रोटेक्ट किया जाय और एक माननीय राज्य मंत्री गृह, न भी पत्र दिया और दिया एस० एस० पी०, झांसी के लिए कि इसको प्रोटेक्शन दिया जाय । बात सही थी एक आर्डिनरी वे में जन प्रतिनिधि ऐसा करते हैं ठीक करते हैं लेकिन मैं कहूंगा कि उन्होंने अपना शैडो भी भेज दिया । वह भी उस झा के साथ झांसी गया और कमिश्नर तथा एस० एस० पी० साहब से मिला । सबने उसे टाल दिया और लखनऊ आ गया । मेरा निवेदन है कि शासन के आदेश चाहे गलत हों या सही, लेकिन जिले के अधिकारियों को उन्हें मानने के लिए बाध्य होना चाहिए । उसके बारे में आप क्लेरिफिकेशन दें कि क्यों उन्होंने ऐसा किया ?

अन्त में, जैसा कि मैंने बार-बार कहा कि झूठे प्रचार की बात है दैनिक जागरण में निकला कि वह पैदल मार्च किए सचिवालय तक । बड़े आदमियों को निकलना चाहिए, मैं मना नहीं करता, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह प्री-प्लान था कि किस तरह से माननीय मंत्री जी जनता के साथ चलते हैं । सूचना विभाग ने फोटो खींचा, यह प्री अरेन्जड था, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज मुख्य मंत्री जी पैदल चलेंगे, सूचना विभाग वाले अटेन्शन में खड़े रहे, कहा गया कि जनता की शिकायतें सुनते-सुनते चले गए लेकिन वहां जनता एक भी नहीं थी केवल विधायक तमाम थे.....।

(व्यवधान)

झूठे विज्ञापन तो जनता को धोखा देने के लिए दिए जाते हैं । मुझे कोई एतराज नहीं है । मैं यह भी मानता हूं कि इस माननीय सदन के सदस्य जन-प्रतिनिधि हैं लेकिन कहा गया कि जनता के लोगों से बात करते हुए चले आये.....।

श्री उपाध्यक्ष--

क्या जन-प्रतिनिधि जनता के आदमी नहीं हैं, क्या आपका यह विचार है ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

गरीब जनता के साथ फोटो खिचवाते, बिचड़े दिखाई पड़ते.....।

श्री उपाध्यक्ष--

इसलिए यह साबित होता है कि यह प्री-अरेन्जड नहीं था ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

मान्यवर, मेरे पैदल चलने पर जो घोर एतराज है उसको मैंने नोट कर लिया है । नेता विरोधी दल जो हैं, पैदल से कार पर कर दिए जायं, उस पर विचार हो रहा है ।

(हंसी)

श्री राजेन्द्र सिंह--

मान्यवर, यह न मेरी निजात थी और न ही मैंने ऐसी कोई मांग की और न ही मैंने इस पर विचार किया था ।

[श्री राजेन्द्र सिंह---]

आप क्या करते हैं यह आपका काम है ? मेरा कोई मतलब यह नहीं था कि आप पैदल न चल । मैंने सिर्फ उन चीजों का जिक्र किया जो आप करते हैं । चाहे राशन की दूकान की फोटो हो, उसमें एक गलती यह हो गयी कि उसकी तरफ मुख्य मंत्री का मुंह होना चाहिये था, तब फोटो खींचना चाहिये था । फोटो खींचते वक्त ऐसी चीजें आनी चाहिये यह मेरा सुझाव है । मैं कांस्ट्रक्टिव प्रोपोजल दे रहा हूं । इन शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि जो आम आदमी की भावना है, उसके अनुरूप यह बजट नहीं है । जो गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाला गरीब आदमी है, जो बेरोजगारी की समस्या है, उसका निदान इस बजट में नहीं है । खाली पुरानी चीजों पर यह सरकार भी चल रही है ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह---

फिर से फोटो पर बात आ गयी । यह निर्णय कर लिया है, यह सुनिश्चित किया जायगा कि नेता विरोधी दल दोनों सदन के, फोटो कार पर ही लिए जाया करेंगे लिहाजा कार देने का निर्णय हमने कर लिया है ।

(समय अपराह्न 2 बज कर 52 मिनट)

*श्री खान गुफरान जाहिदी---

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय नेता विरोधी दल ने बार-बार जिन आंकड़ों का जिक्र किया उनमें वे बहुत सी सच्चाइयों को भूल गय । माननीय नेता विरोधी दल ने अपनी सारी कोशिश इस बात पर की कि जो बजट है उसमें किसानों, मजदूरों, हरिजनों तथा पिछड़े वर्ग के लिये कोई लक्ष्य नहीं रखा गया है । मैं इस पर एतराज करते हुए यह बात कहना चाहता हूं कि खुद नेता विरोधी दल न इस बात को बाद में मंजूर कर लिया कि हमने 70 फीसदी बजट किसानों के लिये रखा है । चाहे आमदनी इनकम टैक्स से हो, एक्साइज से हो या सेल्स टैक्स से हो, उसका 70 फीसदी देहात की जनता के लिये किया जाता है । इसका मतलब यह हुआ कि शहर की रहने वाली 20 फीसदी जनता गांव की 80 फीसदी जनता को अपनी आमदनी से बढ़े हुए खर्च की पूर्ति करती हैं । चाहे फर्टिलाइजर पर हो, चाहे सिंचाई पर ही अथवा बिजली पर हो सारी आमदनी जोड़ लें तो उसका 70 फीसदी देहात की तरक्की के लिये खर्च किया जा रहा है ।

जहां तक अमनो अमान का ताल्लुक है मैं सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि सत्ता दल और उसके रहनुमा मुख्य मंत्री जी मुसलसल अमन के कयाम की बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि अच्छी तरह से हम अमन कायम कर सकें । अगर अमन कायम नहीं होता है तो आप यकीन जानिये तरक्की के रास्ते में मुसलसल दुश्वारी पैदा हो जाती है । इसलिये अमन बुनियादी चीज है चाहे मजदूरों के मैदान में हो चाहे मेहनतकश के मैदान में हो किसी जगह पर भी अगर कोई गड़बड़ होती है तो उससे तरक्की की राह में रुकावट पैदा हो जाती है । इसको मानते हुए, नेता, विरोधी दल ने एक बात कही गन्ने की कीमत के सम्बन्ध में । मान्यवर, मैं कहता हूं कि उनको यह कहना चाहिये कि आपने 23 रु0 गन्ने का दाम कर दिया अच्छा किया । जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो उस पर भी एतराज है । मान्यवर, हमारे मैनीफैस्टो में लिखा है कि हम पिछड़े वर्गों के लिये किसानों के लिये, मजदूरों के लिये, काम करेंगे । हमारे नेता, विरोधी दल ने एक बात कह दी कि कांग्रेस ने अब तक कोई ऐसी नीति, जिसको हम आर्थिक नीति कहें, नहीं बनवायी है । कांग्रेस ने पालिसी

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया है ।

का ऐलान किया । पहले प्राइवेट सेक्टर की नींव डाली । हमने कोई इण्डस्ट्रयल पालिसी ले डाउन नहीं की, यह उन्होंने अजीबोगरीब बात कही । आज उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया, विभागीय मतभेद दूर करने के लिये मिनिस्टरों की समितियां बनायी गयीं । आपने कुछ चीजें एक्सेप्ट की हैं । मैं अमन के नाम पर आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि जिस जगह पर हंगामा हुआ, सरकार मुसलसल अमन की कोशिश कर रही है, किसी तरह से आपस में अमन बढ़े । नेता विरोधी दल ने या किसी दल के नेता ने यह अपील की हो, मुश्तरका अपील की हो । जब पहले वाली सरकार थी तो जे0 के0 आइरन स्टील कम्पनी बन्द हुई, कैसा में हंगामा हुआ । अब आज उस पालिसी में भी अमन की बात की जाती है । स्टूडेण्ट का मामला ले लीजिये, जब भी कोई हंगामा होता है, तो सरकार को दोषी ठहराया जाता है । विपक्ष में भी सभी लोग एक जैसे नहीं हैं, कुछ लोग अच्छे भी हैं । जब भी कोई हंगामा होता है तो क्या सारी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की ही है, आप लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है ?

यह जो आपकी पैराडाक्शियल एप्रोच है । हमारी पार्टी जो सत्ता में है, उसका यह फर्ज है कि वह अमन कायम करे । एक एम0 एल0 ए0 की यह जिम्मेदारी है कि अमन की जो चीजें हो रही हैं, उसमें सत्ता पक्ष का साथ दे ताकि सत्ता पक्ष को काम करने में आसानी हो । यह पैराडाक्सियल एप्रोच कैसी है कि एक तरफ मजदूरों से कहा जाय कि जाओ भाई हड़ताल करो और दूसरी ओर मालिकों से कहा जाय कि लाक-आउट करो ?

तो हम सबको मिलकर कुछ मुद्दों पर एक होकर बातें करनी पड़ेंगी । चाहे वह इंडस्ट्रयल प्राब्लम हो, चाहे काश्तकारों की प्राब्लम हो, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर सिर्फ तनकीद कोई माने नहीं रखती है, तनकीद के साथ सुझाव देंगे तो उस पर जरूर गौर किया जायगा । बेहतर कार्य करने के लिये कोई स्कीम देंगे तो यकीनी तौर पर सरकार उस पर गौर करेगी । ऐसा नहीं है कि सरकार आपकी बेहतर तजवीज को नामंजूर कर दे । मान्यवर, एक बात नेता विरोधी दल ने कही वह यह कही कि योजनाबद्ध स्कीम होनी चाहिय । हमारे नेता विरोधी दल इत्तफाक से इरीगेशन मिनिस्टर थे और उनकी तकरीर में 75 फीसदी इरीगेशन की बातें ही कही गयी हैं । जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पर उन्होंने कम से कम वक्त लिया है । एक बात उन्होंने जरूर कही कि मुख्य मंत्री जी का फोटो कैसे छपा । अगर मुख्य मंत्री जनता से मिलते हैं तो भी तनकीद, अगर उनकी कभी फोटो छप जाय तो भी तनकीद । अगर मुख्य मंत्री कहीं दुकान पर छापा डलवायें तो भी तनकीद यह कैसी पैराडाक्सियल एप्रोच है आपकी कि आपको किसी कल चैन नहीं है । फोटो को न्यूज वैल्यू होती है । अगर कहीं छापा पड़ता है, कहीं डकैत इनकाउंटर में मारे जाते हैं, अगर किसी फसाद में किसी हिन्दू ने किसी मुसलमान को बचाया या किसी मुसलमान ने हिन्दू को बचाया और फोटो छपा तो मैं कहता हूं कि उसकी न्यूज वैल्यू होती है । तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से विरोधी पक्ष से यह कहना चाहता हूं और खुलकर कहना चाहता हूं कि जो नीतियां अच्छी हैं उनको आप मानिये जिस नीति में आप कमी महसूस करिये उसको कहिये और सुझाव के साथ कहिये वरना आपकी तनकीद को तनकीद नहीं माना जा सकता । आप देखिये दशहरा और बकरीद किस तरह गुजर गयीं । उस समय गुजर गयीं जब मुरादाबाद में संगीन फसाद हुये थे, उस समय दशहरा और बकरीद मुसलसल अमन से गुजर जाने में मैं समझता हूं कि हर माननीय सदस्य जो अमन चाहता है वह इसकी तारीफ करेगा । मैं मुख्य मंत्री जी को इस बजट के लिए मुबारकवाद देता हूं और इस बजट की भरपूर हिमायत करता हूं ।

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं । जैसे वर्ष में एक बार दीवाली आती है, शहर-नगर और गांव में लोगों के यहां पटाखे छूटते हैं और बच्चे चौंक जाते हैं उसी तरह से एक अवसर आता है इन सदन में बजट रखने के समय । सत्ता पक्ष सामान्य-जन को आश्वासनों के माध्यम से चौंकने का अवसर देता है । सामान्य-जन सोचता है कि इस बजट में इस वर्ष कुछ कहा गया होगा लेकिन बजट पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि बढ़ती हुई महंगाई और बढ़ती हुई बेकारी, इन दोनों को रोकने के लिए सत्ता पक्ष ने कहीं बुद्धि का व्यय नहीं किया है और लोगों के लिए निश्चित कार्यक्रम नहीं दिया गया है । बढ़ती हुई महंगाई की मार को दो तरीकों से रोका जा सकता है, जो भी सामान आपके पास है उसको उचित मूल्य पर और पर्याप्त मात्रा में निश्चित हाथों द्वारा वितरित करायें और उत्पादन को बढ़ायें लेकिन आज की महंगाई की मार में कराहता श्रमिक अपने पारिश्रमिक के लिए मांग करता है तो सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं कि विपक्ष के लोग उन्हें आंदोलित करने के लिये प्रेरित करते हैं । जब भी हमने आपसे ज्ञात करना चाहा और पूछा कि इसका हल आप कब दे रहे हैं तो आपने मुस्करा कर बात टाल दी है और कहा है कि आप भी प्रशासन में थे, तो आपने क्या किया है और आपने भी गलती की है । मानव के साथ अच्छाइयों के साथ-साथ बुराइयां भी जुड़ी हैं । आपके 9 महीने पूरे हो गए हैं आश्वासनों के बच्चे को सत्ता के गर्भ से बाहर आ जाना चाहिए क्योंकि प्रदेश की जनता आपकी ओर टकटकी लगाए देख रही है और यदि यह बच्चा भी नहीं आया तो प्रदेश की जनता को फिर 9 महीने का इंतजार करना पड़ेगा ।

माननीय, सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि सामान्य प्रशासन कहां रह गया है । जनपद देवरिया की मैं चर्चा करना चाहता हूं कि हमारे गांव में एक व्यक्ति सोमेश्वर उर्फ कहर पुत्र ढंगू को जीवित स्थिति में (खुखुन्दू थाना) पुलिस ने पकड़ा और रात में थाने में रखा और गोली मारकर उसके शव को इन-काउन्टर का जामा पहना दिया । उसकी विधवा पत्नी अपने सिन्दूर को ढूढ़ रही है उसके मां-बाप अपने पुत्र को ढूढ़ रहे हैं । मैंने इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री को लिखकर दिया । मुझे जांच का आश्वासन दिया गया लेकिन आज तक जांच कूड़े-खाने में पड़ी है । यह सामान्य प्रशासन की बात किस मुंह से कह रहे हैं ।

माननीय, विद्युत विभाग की स्थिति यह है कि आज उसके प्रकाश से देहात नहा नहीं रहे ह और जहाँ बिजली पहुंची है वहां बिजली मिलती नहीं है, सिंचाई का मौसम चल रहा है, लेकिन ट्यूबवेल से पानी नहीं निकल रहा है । कभी बिजली रात में आती है तो थोड़ी देर बाद पता चलता है कि लाईन कट गई जिससे रात भर किसान परेशान होकर भी सिंचाई नहीं कर पाता है और अपने घर वापस लौट आता है ।

माननीय, शिक्षा के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि शिक्षा पिछड़े और उजड़े इलाकों में अब भी नहीं पहुंची जिसे पहुंच जाना चाहिए था प्रदेश की जनता शिक्षित होती और वह अपने सुख और दुःख को सोच सकती लेकिन भ्रष्टाचार के जगत ने सभी विभागों को ढक लिया है । चाहे किसी स्कूल में रिक्ति का प्रश्न हो या प्रोन्नति का प्रश्न हो या अनुमोदन का प्रश्न हो, सभी जगह पैसा दीवार बनकर खड़ा हो जाता है और उसके पश्चात् न्याय की बात की जाती है ।

मान्यवर, सत्तापक्ष के लोग किसानों की चर्चा करते अघाते नहीं हैं । इस सम्बन्ध में मैं एक शेर कहना चाहता हूं :

जिंदगी आज भी तन्हाई भरे मेले में,
एक सीता के स्वयंबर में हैं रावण कितने ।

एक किसान को लूटने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम कोई भी कसर नहीं रखते हैं और स्थिति यह है कि जब आप सत्ता पक्ष में बैठकर कोरे आश्वासनों का लड्डू खिलाते हैं ।

मान्यवर, खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत सड़कें बनाने का काम शुरू किया गया था परन्तु आपने उस पर अंकुश लगा दिया और उसका नाम मिटा दिया, नाम चाहे जो रखें लेकिन कार्य होना चाहिए जिससे गरीबों की, किसानों की और उनके बच्चों की गिरती जिंदगी को उठने का मौका मिले । इससे वह आपको आशीर्वाद देंगे और वह जनता आपको यहां लायेगी । लेकिन उनकी सुविधा के लिए आपने कोई काम नहीं किया है ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि खाद का दाम बढ़ता जा रहा है और उत्पादन घटता जा रहा है और किसानों को जिन्दगी देने के लिए हम परेशान होते जा रहे हैं, आखिर यह कौन सी व्यवस्था है । माननीय कृषि मंत्री जी बैठे हुए हैं और कृषि विभाग की चर्चा में हम आ गए हैं । पिछले बजट सत्र में भी हमने कहा था कि जिला कृषि अधिकारी, देवरिया के सम्बन्ध में । मैंने इस सम्बन्ध में कृषि मंत्री जी को पत्र भी लिखा उन्होंने उत्तर भी दिया कि हम दिखवा रहे हैं । मान्यवर, इस सम्बन्ध में जाँच की चिट्ठी मिली थी । जांच बैठी कि नहीं बैठी नतीजा यह है कि आज भी वे देवरिया में ही विद्यमान हैं, यह है सामान्य प्रशासन । इरादा यह है कि किसान प्रगति करे । कैसे किसान फलेगा, कैसे सामान्य प्रशासन सफल होगा ? सामान्य प्रशासन की दृष्टि से एक चर्चा पडरौना की करना चाहता हूं । गंगा पाल सिंह हैं एस० ओ०, पडरौना उन्होंने एक व्यक्ति को पकड़ा । दो दिनों तक बन्द रखा थाने में और थाने में मार-मार कर उसकी जिन्दगी ले ली । जिसे विधायक डाक्टर बी० के० मिश्रा जानते हैं । आखिर मैं जानना चाहता हूं सत्तापक्ष वालों से कि क्यों उसको पीटा गया ? किस बेरहमी से पुलिस वालों ने उसको पीटा । लोगों ने उसका विरोध किया, सामान्य जनता ने उसका विरोध किया तो उसका क्या परिणाम आया ? ट्रेजरी बेन्च के लोगों को मैं इतना बता दूं कि माननीय सदन का मान है, अरमान कुछ नहीं है ।

एक चर्चा मैं आपको सामान्य प्रशासन की दृष्टि से भाटपार निर्वाचन क्षेत्र की बताऊं । एक माननीय सदस्य हैं श्री हरिवंश सहाय जी, श्री हरवंश सहाय जी से वहां की पुलिस इस माने में खार खाये बैठी थी कि इन्होंने वहां के पुलिस के खिलाफ आवाज उठाई थी । इन्होंने समाचार पत्रों के माध्यम से, जन-सभाओं के माध्यम से कहा । वहां की पुलिस ने बलात् उन पर एक मुकदमा लाद कर माननीय सदस्य के सम्मान पर कीचड़ उछाला । माननीय सदस्य होने के नाते हम में से किसी के भी सम्मान पर आंच पहुंचे, मैं समझता हूं कि एक के माध्यम से सभी माननीय सदस्यों का अपमान होता है ।

मान्यवर, आप भी जन-प्रतिनिधि हैं, आपके पास भी उचित और पर्याप्त कोई साधन नहीं है । जब भी कोई व्यक्ति आयेगा, अपना परिचय देगा, प्रमाण-पत्र देगा । हम अपने क्षेत्र के लोगों को प्रमाणित करेंगे । इस तरह से अपनी बात रखना चाहते हैं और मैं माननीय नेता विरोधी दल की बात पर बल देते हुए उनकी बातों का समर्थन करता हूं ।

श्री चन्द्रबली ब्रह्मचारी—

आदरणीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत ही आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट के आय-व्ययक की सामान्य चर्चा पर बोलने का अवसर दिया। मैं आपके माध्यम से अपने सभी सदस्यों को नमस्कार कर रहा हूं और जो कुछ मैं कहूं उसको कृपा करके सुन लें। श्रीमन्, अभी नेता विरोधी दल ने बजट के सम्बन्ध में अपनी जानकारी के अनुसार चर्चा को व्यक्त किया है। मैं उसको चुपचाप सुन रहा था और मैंने देखा कि उन्होंने शिक्षा के सम्बन्ध में, छात्रों के सम्बन्ध में एक बात भी नहीं कही, एक भी सुझाव नहीं दिया। मैं इस बारे में सोच रहा था कि पूरी चीजें जिनकी जानकारी उन्हें थी, वह कह रहे थे। उन्होंने कहा कि कृषि, सड़क, खाद्यान्न, मण्डी समिति परन्तु शिक्षा के सम्बन्ध में उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा।

मैं आपके माध्यम से इस सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि सर्वप्रथम हमारा यह कर्त्तव्य हो जाता है कि हम अनुशासन युक्त हों और अनुशासन को बनाने के लिए जिन जिन साधनों की जरूरत है, उसके प्रति कटिबद्ध रहें। श्रीमन् मैं यह प्रार्थना कर रहा हूं कि सभी सदस्य मेरी बात सुनें और बात सुनने के बाद उनको अपनी बात कहनी हो तो कहें। मैं कह रहा हूं कि हमारे देश में बहुत ही उत्तम अनुशासन रहा। और यह जो महान सदन है इसकी एक बहुत बड़ी गरिमा है। यह अनुशासनयुक्त हो, हमारा सारा देश अनुशासनयुक्त हो। यह जब तक नहीं होगा हम हमेशा असफल रहेंगे और जो हमारी प्रजा है, जो हमारा समाज है, उसकी कोई भी सेवा हम ठीक तरह से नहीं कर पायेंगे जब तक हमारा अनुशासन ठीक नहीं होगा।

एतद्देश प्रसूतस्य
सकाशम त अग्रजन्यन]
स्वं स्वं चरित्रं
शिक्षेरन प्रथिव्याम्
सर्वमानव:

आप सब लोग जनसेवक हैं चाहे इधर बैठें हों चाहे उधर बैठे हों, जैसा आचरण आप करेंगे उसी का अनुकरण प्रदेश और देश की जनता करेगी। हम आपसे विनम्रतापूर्वक प्रार्थना कर रहे हैं कि सब दलों को अलग रखें और जिससे हमारा यह प्रदेश जागरूक हो उसका पालन करें, उसमें सहयोग दें।

यह जो बजट है, मैं जहां तक इसे पढ़ सका हूं इस 6 महीने के थोड़े से समय में इस बजट में जो-जो चीजें इन्होंने दी हैं और जो करने का लक्ष्य इन्होंने दिया है इन दो एक विषयों में मैं कुछ कहना चाहूंगा। आप भी सुझाव देते हैं और मैं भी दे रहा हूं। इस सरकार ने आते ही सब से पहले विद्यार्थियों की परीक्षायें जो स्थगित हो गई थी, नहीं पाई थीं, उनको कराया। यह पहला काम इन्होंने आते ही किया। एक तारीख को उनकी परीक्षायें आरम्भ कर दीं। सबसे बड़ा काम श्रीमन्, हमारे सामने यह है कि पढ़ लिखे लड़कों को ठीक तरह से अनुशासित ढंग से रखें और जितना हो सके उन्हें काम में लगायें। यह बहुत जरूरी है। यदि हम यह नहीं करेंगे तो समस्याओं का समाधान होने वाला नहीं है। मैंने यह बात पहले भी कही थी। शिक्षा के सम्बन्ध में बजट में जितना बोले दिखाई हैं, वह इन समस्याओं के अनुकूल नहीं हैं जैसा यहां पर आप देखें इस प्रदेश के मुख्य

मंत्री के तत्वाधान में हमारे प्रदेश में एक बहुत बड़ा आयुर्वेदिक संस्थान हो गया है लखनऊ में यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस सरकार को है । पिछले तीस वर्षों में यह चीज नहीं हो पाई थी । लेकिन तमाम संकटों के बावजूद इस वर्ष हमारे लखनऊ मेडिकल कालेज का एक बहुत बड़ा संस्थान स्थापित हुआ । आगे मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस वर्ष इस सरकार ने तय कर लिया है कि समय से अप्रैल में तमाम परीक्षायें ठीक तरह से दिलाने के लिए ली जा रही हैं और इन्टरमीडियट की परिक्षायें भी ठीक समय से हो रही हैं । इस दिशा में भी आपका सहयोग होना चाहिए ।

मैं आपसे यह प्रार्थना करता हूं कि जो यह छात्रों के संतोष के लिये 5 करोड़ रुपये की निधि स्थापित की गई है, वह एक बहुत बड़ी चीज है । लेकिन इसमें आपके सहयोग की जरूरत है । मैं पहले भी कह चुका हूं और फिर कहना चाहता हूं इन लड़कों की आज कोई पार्टी नहीं है इसलिये उनको ठीक तरह से चलने दिया जाय । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षण संस्थाओं में कुछ थोड़े से लड़के ऐसे होते हैं जो पढ़ना लिखना नहीं चाहते हैं और वे सारे शिक्षा जगत को परेशान किये हुये हैं । आज चाहे कोई सरकार हो, आपकी हो या हमारी हो, दोनों को मिलकर सोचना है कि कैसे स्थिति में सुधार होगा । जब तक इन बच्चों को हम दिशाहीन बनाते रहेंगे, उनको दूसरी दिशा में परिणत करते रहेंगे तब तक कोई कल्याण नहीं होगा ।

जहां तक प्राइमरी स्कूलों की बात है, उसके लिये इस वर्ष काफी प्राविधान किया गया है और काफी प्राइमरी स्कूल खोले जा रहे हैं । मेरा सुझाव है कि प्राइमरी स्कूल जो इस साल खुलने जा रहे हैं वे खुलें लेकिन जिन प्राइमरी स्कूलों के पास भवन नहीं है अथवा जिनकी इमारतें ठीक नहीं हैं, उनके लिये भवन बनवाये जांय और इमारतों की मरम्मत की जाय । चाहे वह किसी का भी क्षेत्र हो, मुख्य मंत्री का क्षेत्र हो, आपका क्षेत्र हो या हमारा क्षेत्र हो, जिन प्राइमरी स्कूलों के भवन गिर गये हैं अथवा जहां विद्यार्थियों के बैठने की सुविधा नहीं है, वहां उनकी मरम्मत की जाय अथवा नये भवन बनवा दिये जांय । एक बात और कहना चाहता हूं कि इस गवर्नमेंट ने स्वास्थ्य मन्त्री जी ने मुख्य मंत्री जी के आदेशानुसार होमियोपैथी के छात्रों का निपटारा किया और उनके प्रान्तीयकरण की पूरी तैयारी कर ली है जिसमें कि लगभग 8 हजार लड़के दिशाहीन थे और वे परेशान थे । तो यह एक इस सरकार की उपलब्धि है ।

सिंचाई के बारे में बताना चाहता हूं । गल्तियां भी होती हैं और कुछ राज्य कमचारी अच्छे भी हैं कुछ खराब भी है । जो शारदा सहायक बन रहा है, वह अच्छा काम हो रहा है । वह हर गांव में जा रही है । जैसा कि भाई राजेन्द्र जी ने कहा कि उसमें पूलों के बनाने की जरूरत है वह होना चाहिए । इन कार्यों को आप देखें और करें । यह ठीक नहीं है यह देखा जाय और कहा जाय आप सही में गलत अथवा मैं सही आप गलत । इससे काम चलने वाला नहीं है जो रचनात्मक सुझाव हो वह आप सरकार को दें । मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो अधिकारी हैं वे आपके सुझावों का स्वागत करेंगे ।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं । हालांकि मंत्री जी नहीं हैं किन्तु फिर भी मैं प्रार्थना करूंगा कि हमारे प्रदेश में आयुर्वेद की शिक्षा और उसकी दवाओं और औषधालयों की व्यवस्था समुचित मात्रा में होनी चाहिए और जहां पर व्यवस्था नहीं है वहां पर कर देनी चाहिए । सरकार को देखना चाहिए कि आखिर हम लोग क्यों परेशान हैं आज हमारा भोजन, खान–पान, रहन–सहन

[श्री चन्द्रवली ब्रह्मचारी--]

बिल्कुल उल्टा हो गया है । हमारा आहार और व्यवहार शुद्ध नहीं रह गया है । ऐसी दशा में हम चाहते हैं पहले हम लोग अपने आहार को शुद्ध करें उससे हमारा विचार बने और उसके माध्यम से जन सेवा करें तभी हमारा प्रदेश परिपुष्ट हो सकेगा । हमारे भाई लोगों की बड़ी कृपा रही कि मुझे बोलने दिया । मैं इस बजट का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं और विरोधी भाइयों से इस बात की प्रार्थना करता हूं कि जो हमारा खान-पान है उसको हम शुद्ध करें और शाकाहारी बनें । तभी इस प्रदेश का कल्याण होगा । धन्यवाद ।

श्री गोपीनाथ वर्मा--

मान्यवर, आपने आय-व्ययक की सामान्य चर्चा पर बोलने का मुझे अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । करीब 4-5 दिन से बजट पर चर्चा चल रही है यहां पर पक्ष और विपक्ष ने विचार रखे । इस बजट में ऐसा कुछ नहीं दिखाई पड़ता है कि जिससे प्रदेश का भला हो सके । बजट देखने पर ऐसा लगता है कि बजट में वही पुरानी घिसी-पिटी बातें रखी गयी हैं, इससे प्रदेश में कोई अच्छा कार्यक्रम नहीं चलाया जायेगा और न हो चल रहा है ।

जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है अभी हमारे पूर्ववक्ता अपने विचार रख रहे थे और उन्होंने कहा कि शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए प्राइमरी स्कूल खोले जायेंगे । मैं बताना चाहता हूं फैजाबाद जनपद में जहां से मैं चुन कर आया हूं, वहां के लिए मैंने शिक्षा मन्त्री जी को पत्र लिखा था कि मेरे क्षेत्र में एक प्राइमरी पाठशाला खोल दी जाय उस पर उनका उत्तर मिलता है कि फैजाबाद जिले के लिए एक जूनियर हाई स्कूल और एक प्राइमरी पाठशाला खोलने का निश्चय किया गया है और उसमें आप का क्षेत्र आता है तो खोल दिया जायेगा । मान्यवर, यह शिक्षा का स्तर उठाने का तरीका है । आपका यही बजट है कि दो स्कूल एक जिले में दे दिये गये । अगर पूरे प्रदेश में देखा जाय तो आपका बजट बिलकुल फेल है बिलकुल फर्जी है यह एक दिखावा मात्र है । मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा का स्तर उठाने का जहां तक सवाल है उसके लिए प्राइवेट स्कूलों को समाप्त किया जाय क्योंकि अगर देखा जाय तो कहीं सरस्वती शिशु मन्दिर हैं तो कहीं अच्छे-अच्छे दूसरे स्कूल हैं जिनमें बड़े-बड़े लोगों के राजा महाराजाओं के बच्चे पढ़ते हैं । इस वजह से गरीबों के बच्चे अच्छी शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकते हैं । इसका परिणाम यह होता है कि अच्छे स्कूलों में शिक्षा ग्रहण किये हुए बच्चे बड़ी-बड़ी पोस्टों में जाते हैं । आप के इस बजट से अमीर और गरीब की खाई पटने वाली नहीं है इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे गरीबों की भलाई होगी । आप किसी क्षेत्र में देख लीजिये इसमें किसानों के लाभ की कोई बात नहीं है, उनके लिए खाद की व्यवस्था नहीं है । आये दिन किसानों की मांग हो रही है कि उन्हें यूरिया खाद दी जाय । आप उनको खाद नहीं दे सकते हैं पानी नहीं दे सकते हैं तो फिर कृषि उत्पादन नहीं बढ़ सकता है । जब कृषि उत्पादन घटेगा तो उससे आपके देश और प्रदेश की स्थिति अच्छी नहीं होगी । इस बजट से किसान के विकास की बात नहीं की जा सकती है ।

यह आमतौर पर देखा गया है कि मौजूदा समय में आप यूरिया खाद पूरी मात्रा में नहीं दे पा रहे हैं । दो-चार बोरी यूरिया दे दिया बाकी ब्लैक में चला जा रहा है जो बड़े किसान हैं या ब्लैक मारकेटियर हैं, उनके पास वह जमा है और किसानों के खेत में नहीं पहुंचता है । इसके लिये आपको ठोस कार्यक्रम चलाना होगा । एक तरफ आप कहते हैं कि हमने वितरण व्यवस्था अच्छी कर दी है कि चीनी सहकारी समितियों से यह वितरण किया जायेगा और फुटकर दुकानदारों

से यह व्यवस्था छीन ली है कि चीनी का वितरण पूरे प्रदेश में सहकारी समितियों के माध्यम से किया जायेगा और फुटकर चीनी के दुकानदारों का लाइसेन्स समाप्त कर दिया जायेगा। यह अपने दिसम्बर में आदेश दिया और यह भी आदेश दिया कि जनवरी में उनका कोटा समाप्त कर दिया जायेगा। लेकिन जनवरी में उनको चीनी का कोटा उठाने का आदेश दिया, उसका नतीजा यह हुआ कि यह सारी की सारी चीनी उन्होंने ब्लैक कर ली और गरीब तक नहीं पहुंच पाई।

अब आप विद्युत विभाग का माहौल देख लें, इसमें जो व्यवस्था है, उससे छोटे स्तर के लोगों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है।

श्री रामस्वरूप वर्मा—

श्रीमन्, कोरम नहीं है।

(कोरम के लिये घंटी बजाई गई।)

श्री धरमपाल—

श्रीमन्, लाबी में सत्ता पक्ष के लोग बैठे हुये हैं, लेकिन वह आपकी घंटी का भी आदर नहीं कर पा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

लाबी में बैठे हैं तो लाबी भी हाउस का पार्ट है। तो वर्मा जी को जारी रखने दिया जाए।

(गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई।)

श्री गोपीनाथ वर्मा—

आपने अपनी योजना में दिया है कि ग्रामों का विद्युतीकरण किया जायेगा, नलकूपों को लाईन दी जायेगी। लेकिन आप किसी भी जिले को देख लें, वहां हजारों ऐसे आवेदन-पत्र पड़े हैं, जिन पर विद्युत देने के सम्बन्ध में कई-कई वर्षों से कोई विचार नहीं हुआ है, कोई कार्यवाही नहीं हुई है, कर्मचारी कार्यवाही करने से कतराते हैं और आये दिन किसान उनके दफ्तरों के चक्कर काटा करता है। इसमें कभी भी बजट देने के बाद इस विभाग से कोई लाभ नहीं हुआ है, वर्षों से ऐसे ही चला आ रहा है, बजट को अधिकारी और कर्मचारी खा गये। विद्युत विभाग का जाल पूरे प्रदेश में फैला हुआ है। यह हमारे दूसरे भगवान हैं। बिना इनकी मरजी के हम उठ-बैठ नहीं सकते हैं। यह खाने के अलावा कुछ नहीं करते हैं। जब किसान को सिंचाई के लिए सिंचाई विभाग की आवश्यकता होती है, तो उस समय सिंचाई का अधिशासी अभियन्ता कह देगा कि सिंचाई की गूलों की सफाई और मरम्मत की जाय और जब तक यह काम होता है सिंचाई का समय समाप्त हो जाता है।

आप सुरक्षा व्यवस्था की बात कहते हैं, उसकी बड़ी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि मैंने सुरक्षा के इतने कड़े आदेश दिये हैं, इतनी कड़ी व्यवस्था कर दी है, लेकिन इस सम्बन्ध में मैं अपने ही जिले की बात करना चाहता हूं। हमारे जिले में दो मन्त्री बनाए गए हैं। एक उप मन्त्री सीताराम निषाद और दूसरे उप मन्त्री श्री निर्मल कुमार खत्री। यह मुख्य मन्त्री जी ने अच्छा निर्णय लिया है कि उन्होंने अच्छे लोगों को मन्त्री बनाया। लेकिन इसके साथ हमारे जिले में व्यवस्था का जो माहौल है, उस पर मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा। हमारे

[श्री गोपी नाथ वर्मा]

जनपद की तहसील टांडा में सकरांवा (कस्बे) मोहल्ले से 20 तारीख को एक नौजवान गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 6 राउन्ड का एक रिवाल्वर मिला। इस पर उन्हें थाने में बन्द कर दिया गया। लेकिन रात ह. मे फैजाबाद से एस0 पी0 का वायरलेस संदेश आता है कि अमुक नौजवान को छोड़ दिया जाय। उसे इस पर छोड़ दिया गया, लेकिन यह कैसे हुआ ? हुआ यह कि उप मन्त्री के पिता ने एस.पी.0 को फोन पर बताया कि वह हमारे निर्मल खत्री का साथी है, उसको छोड़ दिया जाय। इस फोन के आदेश पर उसे छोड़ दिया गया और उस 6 राउन्ड के रिवाल्वर को लावारिस दिखा दिया गया। इसकी जांच करा ली जाय, यदि मेरी बात झूठी हो तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। अगर यह बात सत्य है तो हमारे मा0 उप मन्त्री जी को इस व्यवस्था से दूर रहना होगा। अगर यह जिम्मेदार व्यक्ति ऐसे तरीके से काम करेंगे, ऐसी सड़ी-गली व्यवस्था को अपनायेंगे तो प्रदेश का हित होने वाला नहीं है। आप सुरक्षा की व्यवस्था की बात कहते हैं। मैं अपने ऊपर बीती घटना बताता हूं। 9 अगस्त को मेरे ऊपर कुछ असामाजिक तत्वों ने आक्रमण किया और बुरी तरह से मुझे घायल किया। 10 दिन तक मैं जिला अस्पताल में भरती रहा। अस्पताल से निकलने के बाद इस मामले पर एस0 आई0 की जांच बैठाई गई। एस0 आई0 ने दो-तीन लोगों को पकड़ा। उसके बाद कुछ लिखा-पढ़ी हुई और कहा गया कि गुप्तचर विभाग की तरफ से इंक्वायरी की जाये और गुप्तचर विभाग की तरफ से इंक्वायरी शुरू हुई। तो जिस हुकूमत में एक मा0 सदस्य सुरक्षित न रह सके, एक मन्त्री सुरक्षित न रह सके, उस प्रशासन की निन्दा करने के सिवाय और क्या हो सकता है। आज समाचार-पत्रों में रोज छपता है कि मन्त्री असुरक्षित है, विधायक असुरक्षित है तो ऐसी स्थिति में जब पूरी व्यवस्था चरमरा रही हो तो आप सुरक्षा की बात करते हैं। यह बजट जो पेश किया गया है, यह बजट सिर्फ दिखावा और झूठा अपवाद है और मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक सुझाव का सवाल है, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार विद्युत विभाग में है। विद्युत विभाग में सबसे ज्यादा भ्रष्ट विद्युत बिल बनाने वाला क्लर्क है। अगर 700 रु0 का बिल होता है तो उसे वह 1,600 रु0 का बिल बना देता है और जब उपभोक्ता उसके पास जाता है तो उससे ले-देकर उसका सही बिल बनाया जाता है। इस तरह से घटनायें घटित होती रहती हैं। मैं चाहता हूं कि ऐसे आदेश दिए जायें कि जो बिल क्लर्क है, जो बिल बनाता है, अगर वह 100 बिल पर 5 बिल गलत बनाता है तो उसे माफ किया जाय, लेकिन अगर वह छठां बिल गलत बनाता है तो जितने रुपये का उसने अधिक बिल बनाया हो, उतना रुपया उसकी तनख्वाह से वसूल कर लिया जाय तभी विद्युत विभाग से भ्रष्टाचार कम हो सकता है। मैं चाहूंगा कि इस ओर अधिक ध्यान दिया जाय और मैं अपनी बात अब ज्यादा न कह कर समाप्त करूंगा।

श्री बलसिंगार--

मान्यवर, आपने इस सदन में अपने विचार रखने का जो अवसर दिया है, उसका मैं बड़ा अभारी हूं। आज सुबह से इस सदन में मैं नेता विरोधी दल व विरोध पक्षों के अन्य सदस्यों की बातें सुनता रहा। उधर से हर एक सदस्य ने सरकार पर यही आरोप लगाया कि सरकार ने कोई काम नहीं किया है। मान्यवर, जब कोई आदमी यहां से उधर जाता है तो केवल एक ही बात कहता है कि यह नहीं हुआ, वह नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। सरकार बेकार है, निकम्मी है, लेकिन आपने जो कुछ किया, पिछली सरकार ने जो कुछ किया, उसका विवरण तो आप अपने मुंह से देते हैं, क्योंकि हमने तो 7 महीने में जो कुछ

किया है, वह आप देख रहे हैं । आप दूसरा कहेंगे क्या, कुछ तो कहना चाहिये । आप कहते हैं कि जो बजट बना है, वह दिशाहीन है । दिशाहीन तो आप खुद हैं । यह बजट प्रगतिशील है, इसमें हमने गरीबों के लिए रोजगार की व्यवस्था की है । हमारे बजट में, हमारे मुख्य मन्त्री जब से इस कुर्सी पर बैठे, मैं एक बात आपसे बताना चाहता हूं, मा0 उपाध्यक्ष के माध्यम से कि हमारे यहां गरीबों की जो भूमि दी गई थी, हरिजनों को जो भूमि दी गई थी । जब प्रदेश में लोक दल और जनता पार्टी की सरकार आयी तो हमने देखा कि जितने लोगों को जमीनें दी गयी थीं, उनसे वह वापस हो गयी । पिछली सरकार के जो इरादे थे वे उन्होंने पूरे कर लिये । जितनी ज्यादा भूमि सीलिंग में निकली थी, उस पर लोक दल और जनता पार्टी के लोगों ने कब्जा कर लिया । लेकिन जब से हमारी सरकार सत्ता में आयी है हमने उन गरीबों को फिर से कब्जे दिलाये हैं । यही नहीं हमने गरीबों की लड़ाई को तेज किया है, गांवों में उद्योगों को लगवाया । हमारे पूर्वी जिलों में जहां पर गरीब लोग बसते हैं और पिछड़े हैं वहां पर अभी हाल में हमारे कृषि मंत्री दौरा करने गये थे । उन्होंने वहां पर बताया कि कृषि विभाग की ओर से हम एक बीज पैदा करने जा रहे हैं जिससे, जो हमारे प्रदेश में ऊसर जमीन है, वह उपजाऊ जमीन हो जाय जिसे गरीब और भूमिहीनों में बांटा जा सके । यह हमारी एक शुरुआत है । हम वे कार्य कर रहे हैं जिससे हमें गरीबों को राहत पहुंचा सकें लेकिन आप कहते हैं कि बड़ा भ्रष्टाचार व्याप्त है ।

कहा जाता है कि बहुत बंगलिंग हो रही है, हिन्दू मुस्लिम रायट्स हो गये हैं लेकिन मेरी समझ में प्रदेश में जो गड़बड़ी हुयी है, वह हमारे कारण नहीं, आप लोगों की वजह से हुयी है । जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो उसमें आपकी ओर से अवरोध पैदा किया जाता है । वर्ष 1977 के पूर्व हम गरीबों को कितना आगे बढ़ा रहे थे । हमने उनको भय से मुक्त किया था । एक ऐसा वातावरण पैदा किया गया कि सब अमन चैन से रहें लेकिन हमारा प्रगतिशील कदम बीच में ही रुक गया । आप आये, आपने प्रगतिशीलता का नारा दिया और आप लोग देश की ऊंची कुर्सी पर बैठे । मैं जानना चाहता हूं कि जिस जमाने में जनता पार्टी की हुकूमत बनी वही एक वजह थी कि जिसके कारण देश में चारों ओर प्रशासन लुंज पुंज हो गया उद्योगों में गिरावट आयी, हरिजनों की जमीनों पर कब्जा किया गया । यह सब आपके प्रशासन की देन रही । हम तो इस देश में रोजी रोटी देने की व्यवस्था कर रहे थे । अब फिर उसको कार्यान्वित करने के लिए हमारी प्रदेश की सरकार ने 6-7 महीने से कोशिश की है कि हम जो इस अवधि में पिछड़ गये हैं उससे किस प्रकार से ऊपर उठें । आप हमें इसके लिए समय तो दें । आप केवल एक ही आलोचना करते हैं कि हमारे काल में कुछ नहीं हुआ । मैं केवल एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार हर क्षेत्र में चाहे वह सिंचाई का क्षेत्र हो, उसके लिए बजट में ज्यादा प्रावधान किया है । प्राइमरी स्कूलों को भी हम खुलवा रहे हैं । लोगों को रोजगार भी देने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं । गांवों में कालीन का प्रशिक्षण देने के लिये भी एक केन्द्र खोल रहे हैं जहां पर ट्रेनिंग के दौरान लोगों को 100 रुपया प्रति माह दिया जायेगा । यह सब क्या है, जो यह शारदा कैनाल है, जब से हमारी यह कांग्रेस सरकार आई है, तब से बहुत तेजी से इस कैनाल का काम हो रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष--

लाल बत्ती की तरफ भी देखें ।

श्री बल सिंगार—

श्रीमन्, एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं । श्रीमन्, मैं जहां से निर्वाचित होकर आया हूं वह बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है । श्रीमन्, आपके पड़ोस का जिला है । वह घाघरा नदी के करीब भी है । मैं अपनी सरकार से यह मांग करता हूं कि उस इलाके की तरफ विशेष रूप से ध्यान दिया जाय । श्रीमन्, एक बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं । श्रीमन्, जैसे पहाड़ पर विकास निगम बनाया गया है, मेरी मांग है कि पूर्वांचल के लिए भी एक विकास निगम बनाया जाय ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

मैं भुक्तभोगी हूं, इसलिए आप निगम की बात न करें ।

श्री बल सिंगार—

श्रीमन, इन शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं ।

(समय अपराह्न 3 बजकर 50 मिनट)

श्री राधे श्याम पटेल—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । श्रीमन्, जब से यह सत्र शुरू हुआ, राज्यपाल के अभिभाषण से लेकर आज तक, मैं बहुत गौर से, जो सत्ता दल के लोगों ने अपने भाषण में बताया, उसे सुनता रहा, राज्यपाल के अभिभाषण से भी कहीं अधिक गया-गुजरा वह बजट भाषण रहा है । इसमें कोई वास्तविकता नहीं दर्शायी गई । बजट भाषण में चाहे कर्मचारियों के मुद्दे की बात हो, चाहे व्यापारियों के मुद्दे की बात हो, किसी भी समस्या को हल करने का प्रयास इस भाषण में नहीं किया गया है । शासन व्यवस्था के नाम पर जितना भी इसमें, लिखा गया है, वह बिलकुल नाकाफी है । इसमें प्रदेश की ओर से अपनी आंखें ओझल करके, सजे-सजाये कमरे में, बैठकर, यह बजट भाषण अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया है । मान्यवर, बजट भाषण के नाम पर जो भी लिखा गया है, वह यहां के सरकारी अधिकारियों या कुछ चन्द लोगों का भाषण है, जो लच्छेदार भाषा में कह दिया गया है । मान्यवर, जहां तक शासन और कानून-व्यवस्था का सवाल है, मैं अपने ही क्षेत्र में जहां से हमारे मुख्य मंत्री जी कभी एम0 एल0 ए0 बनकर जीते थे, उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । वहां पर अभी थोड़े ही दिन पहले 4 जगहों पर डकैती हुई, उसमें मऊआयमा थाने के अन्तर्गत दो जगहों पर डकैती हुई, लेकिन किसी डकैती को थाने में नहीं लिखा गया । सोहरांव थाने में डकैती हुई, वह भी नहीं लिखी गयी । दहियावां गांव के पास से एक हरिजन व्यक्ति को पकड़ कर, इनकाउण्टर के नाम पर गोली से उड़ा दिया गया । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से वहां के किसानों की जो दुर्व्यवस्था है, उसकी ओर इस सदन का और मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । यह क्षेत्र ऐसा है जहां पर किसान मुख्य रूप से आलू का उत्पादन करता है । लेकिन वहां के कोल्ड स्टोरेज मालिक किसानों के लिए नहीं, पूंजीपति के लिए अपना पूरा-पूरा कोल्ड स्टोरेज खोले हुए हैं । किसानों के लिए कभी भी कोई सुविधा देने को तैयार नहीं हैं वह लगातार एडवांस रूप में पहले ही बड़े लोगों को, पूंजीपति को अपना पूरा का पूरा कोल्डस्टोरेज रिजर्व कर देते हैं और वहां का किसान उन सुविधाओं से वंचित

रह जाता है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि वहां आम लोगों की हालत इतनी खराब है कि वहां गांव में पहुंचने तक के साधन नहीं हो पाये, लोग बाढ़ से पीड़ित होकर बाहर आने को मजबूर हो जाते हैं ।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि मऊआमा से धोसपुर, मऊआना से बहरिया, और बहरिया से मुबारकपुर जाने वाले सड़कों के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपनी मीटिंगों के अवसरों पर घोषणा की थी कि इनको बनवाकर रहेंगे । लेकिन आज वह मुख्य मंत्री हो गये हैं, लेकिन फिर भी आज वहां कोई काम नहीं हो रहा है । इससे वहां की जनता बहुत निराश और बहुत दुखित है । माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान इन समस्याओं की ओर आकर्षित करते हुये निवेदन करूंगा कि इस तरह से थोथा बजट लाने से कोई काम नहीं होने वाला है । वास्तविकता के आधार पर कुछ करें ताकि प्रदेश और देश की गरीब जनता का कल्याण हो सके ।

इन शब्दों के साथ विरोधी दल द्वारा कहे गये सुझावों का समर्थन करते हुये अपनी बात खत्म करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मोहन सिंह, ऐसा लग रहा है कि आप भावविभोर हो रहे हैं ।

श्री राम समुझावन--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब प्रदेश का वार्षिक बजट पेश किया जाता है, तो उसका मतलब यही होता है कि सरकार ने साल में कितनी आमदनी की ओर कितना व्यय किया । विरोधी पक्ष कहता है कि काम कुछ नहीं हुआ । सरकार के पास जो भी पैसा आता है वह हर मद में खर्च किया जाता है । यह तो माना जा सकता है कि वह रुपया कम हो सकता है और उसके कारण जितनी तेजी से विकास होना चाहिये, वह न हो । लेकिन उसके लिए चाहे विरोधी पक्ष के मेम्बर हों चाहे सरकार पक्ष के मेम्बर हों, सभी लोगों का सहयोग होना आवश्यक होता है । तो, मान्यवर, बजट का के मामले में यही कार्यक्रम प्रति वर्ष चलता है । चाहे इधर की सरकार हो, चाहे उधर की सरकार हो, जब बजट पेश करते हैं तो इसी तरह से आमदनी और खर्च दिखलाते हैं ।

अब मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिनकी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । जहां तक हमारे जनपद जौनपुर का सम्बन्ध है और हमारा क्षेत्र केराकत का सवाल है, वह आबादी के भार से बहुत ही लदा हुआ है लेकिन वहां विकास के कार्यों के नाम पर पूरे जनपद में कोई भी ऐसे कार्य और उद्योग धंधे नहीं लगे हैं । मान्यवर, वहां की दशा इतनी खराब है कि वहां से 10 विधान सभा के सदस्य हैं और उनमें से कोई भी नहीं कह सकता कि हमारे क्षेत्र में छोटे या बड़े उद्योग धंधे लगे हैं ।

मान्यवर, स्वर्गीय संजय गांधी जी का नाम लेना चाहता हूं कि जब वे पिछले दौरे में जौनपुर गये थे, तो उन्होंने हमारे जनपद को यह आश्वासन दिया था कि ये दसों सीटें आ जायेंगी तो यहां पर एक उद्योग धंधा अवश्य लगा देंगे । आज वे हैं नहीं कि जिनसे इसके बारे में कहा जाता । इसलिये सरकार से आग्रह करता

[श्री राम समुझावन---]

हूं कि इन बातों को देखकर वहां कोई बड़ उद्योग धंधे लगायें । मैं तो वहां के बारे में सुझाव दे सकता हूं । वहां पर मक्का और रेह अधिक होता है और इसको देखकर उद्योग लगाये जा सकते हैं ।

मान्यवर, सिंचाई के बारे में कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में शारदा कैनाल गयी है लेकिन आज भी शारदा कैनाल पूरी नहीं हुयी । कहीं पर खोदी गयी है और कहीं पर नहीं खोदी गयी । पानी तो दे दिया जाता है लेकिन जहां नहर नहीं खुदी, वहां पर हजारों एकड़ जमीन जलमग्न हो जाती है । उदाहरण के लिये सोनापुर गांव में डा0 आर0 डी0 सिंह रहते हैं । वहां बल्ड बैंक के अध्यक्ष, मेकनमारा साहब आने वाले थे । वहां पर सारी तैयारी की गई लेकिन नहर में पानी आया और गांवों के हजारों एकड़ भूमि डूब गई और गांव का किसान आज त्राहि-त्राहि कर रहा है । मैं मांग करता हूं कि जहां पर नहरों की खुदाई नहीं हुई है उसको जल्द से जल्द पूरा कराया जाय । यहां पर जब सरकार से पूछा जाता है तो जवाब आता है कि नहर पूरी हो गई है और जो पूरी नहीं है उसको जल्दी से जल्दी पूरा कराया जायेगा लेकिन वास्तव में वह पूरी नहीं कराई जाती है । मैं बार-बार इस बात की मांग करता रहा लेकिन आज तक मेरे यहां की यह नहर पूरी नहीं हो पाई है ।

इसके अतिरिक्त मेरे जिले में सई और गोमती दो नदियां बहती हैं । बाढ़ की विभिषिका को आप सब ने देखा है । इन नदियों पर लिफ्ट कैनाल बनाकर इसके पानी का उपयोग किया जा सकता है । बरहपुर लिफ्ट कैनाल की एक योजना बनी थी लेकिन आज तक वह खटाई में पड़ी हुई है जो पूरी नहीं हो सकी है । मैं मांग करता हूं कि इसको जल्दी बनाया जाय । ट्यूबवेल के बारे में आये दिन शिकायत आती है कि फलां ट्यूबवेल खराब है वहां पर सरकार ध्यान देती है लेकिन हमारे जो कर्मचारी हैं वह यह समझकर काम करते हैं कि हम तो सरकारी नौकर हैं हमको तनख्वाह मिलती है अगर वह यह न समझकर काम करें कि हम नौकर नहीं हैं तो ज्यादा काम होगा । और जब उनसे पूछा जाता है तो लिखकर भेज देते हैं कि फलां खराबी है इसलिये ट्यूबवेल नहीं चल रहा है । मैं चाहता हूं कि सतर्कता पूर्वक इन ट्यूबवेलों की मरम्मत की जाय जिससे देश और प्रदेश का भला हो । खरगसेनपुर लिफ्ट कैनाल की मरम्मत के लिये रुपया ले लिया गया लेकिन उसकी मरम्मत नहीं की गई, मैं मांग करता हूं कि इसकी जांच की जाय । इसके अतिरिक्त मैं सड़कों के बारे में एक बात कहना चाहता हूं कि जब मैं सन् 74 में मेम्बर था उस समय जो सड़कें पास हुई थी 2-2, 3-3 किलोमीटर बनकर वह आज तक पूरी नहीं हुई हैं जिले की जब मीटिंग होती है तो अधिकारी और इंजीनियर कहते हैं कि जल्दी बनाई जायेगी ।

श्री उपाध्यक्ष---

आप माईक्रोफोन का इस्तेमाल करें, उसकी परिधि के अन्दर बोलें ।

श्री राम समुझावन--

वह सड़कें पूरी नहीं हुईं । मैं मांग करता हूं कि यह एप्रोच रोड पूरे किये जायें ।

एक बात मैं स्कूलों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । स्कूल के लिये बजट में प्रावधान है कि प्राईमरी स्कूल खोले जायेंगे सरकार पैसा देगी । किन्तु सरकार

को शिक्षा पद्धति में आमूल परिवर्तन करना है नहीं तो जो यह बेकारी बढ़ रही है, यह एक समस्या होगी । जो बी० ए० एम० ए० पास करके निकलते हैं उनको नौकरी नहीं मिलती है तो अपने को बेकार समझते हैं । शिक्षा पद्धति में आमूल परिवर्तन किया जाय ताकि पढ़लिखकर जब बच्चे निकलें तो व्यापार, खेती बारी और अन्य धन्धों में लग जायं । उनको यह न देखना पड़े की नौकरी नहीं मिली । जौनपुर गोमती की बाढ़ से एक दम त्रस्त था लेकिन उस समय सरकार ने जो सहायता की वह बड़ी सुन्दर सहायता थी लेकिन उसके बाद जो समस्या पैदा हुई उन समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है जैसे जानवरों के लिये चारा । वहां पर जानवरों के लिये चारे की सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की । वहां पर जो स्कूल या मकान गिर गये हैं उसके लिये जो सहायता दी जा रही है वह इतनी कम है कि उससे न तो स्कूल बन सकता है और न तो मकान मैं चाहता हूं सरकार जो काम करें उसको सम्पूर्ण योगदान करें ताकि सहायता अच्छी हो सके ।

एक बात मैं अस्पताल के बारे में कहना चाहता हूं केराकत हेड क्वार्टर पर पुरुषों का एक अस्पताल है महिला अस्पताल भी खोला गया है लेकिन वहां पर कोई लेडी डाक्टर नहीं है । स्वास्थ्य मंत्री ने आश्वासन दिया था कि वहां लेडी डाक्टर भेज देंगे लेकिन आज तक वहां कोई लेडी डाक्टर नहीं पहुंची। वहां पर कुछ स्थान ऐसे हैं जो इन्टीरियर में हैं ? दरिया की वजह से वहां लोगों को जाने में कठिनाई होती है । जैसे गद्दी बजरंग, देवकली आदि । यहां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोल दिये जायें ।

इस वर्ष ऐसी शिकायतें भी मिली हैं कि सरकार, जहां 50 प्रतिशत से अधिक का नुकसान बाढ़ या सूखे की वजह से हुआ है, वहां लगान की वसूली न करें लेकिन मेरे क्षेत्र में मान्यवर, इस वक्त वसूली हो रही है । जो किसान बाढ़ या सूखे से त्रस्त हैं, लगान नहीं दे सकते हैं उनकी वसूली बन्द की जाय ।

बाढ़ के समय मान्यवर, केराकत के लोगों ने और हम लोगों ने मिलकर प्रार्थना–पत्र दिया था कि वह बाढ़ से बच जाये । मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करूंगा कि वहां एक ठोकर बनायी जाय ताकि केराकत कस्बा बच जाये । मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया ।

श्री धरमपाल––

मान्यवर, बजट के अवसर पर मुझे बोलने का मौका दिया, मैं इसके लिए व्यक्तिगत रूप से आपका आभारी हू । बड़े अरमानों से जनता ने कांग्रेस को गद्दी पर बैठाया था, उसके अरमानों का गला इन्होंने घोंट दिया है । इस बजट की पुस्तिका को देखने के बाद यह मालूम होता है कि कागज के खेत पर कलम की हल चला कर स्याही से सिंचाई की गई है । वैसे तो कहने के लिए बहुत सी बातें हैं लेकिन मैं बजट के अलावा कुछ नहीं कहूंगा ।

पुलिस प्रशासन की बात कही गयी, उसमें सुधार की बात कही गयी लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इस बजट के अन्दर कहीं भी यह स्पष्ट नहीं है कि प्रत्येक थानों में रहने के लिए स्थान उपलब्ध होगा या नहीं । मात्र कुछ स्थान दर्शाये गये हैं । आज के आधुनिकीकरण में अपराधियों के पास आधुनिक हथियारों के साथ–साथ आधुनिक वाहन भी हैं । इसमें कहीं भी यह नहीं कहा गया कि हर थानों में जीप भी उपलब्ध करा देंगे या टेलीफोन की व्यवस्था करा देंगे। इसके बाद बात आती है कारागार की । यह वह स्थान है जहां अपराधी रखे जाते हैं लेकिन वहां की पुलिस के लिए, उनके वेतन को बढ़ाने के लिए कोई बात नहीं कही गयी

[श्री धरम पाल--]

है । इसके आगे सामान्य प्रशासन में, स्वायत्त शासन में कल मुख्य मंत्री ने दावे के साथ घोषणा की थी कि हमने यह आदेश कर दिये हैं कि पहली तारीख को प्रत्येक नगर पालिका कर्मचारियों को वेतन दिया जायेगा । लेकिन इस पुस्तिका में कहीं भी इस चीज की गारन्टी नहीं दी गयी है कि पहली तारीख को वेतन मिलेगा ही । जिस तरह से शासन के कर्मचारियों के सीधे बैंकों के माध्यम से वेतन मिलता है उसी तरह से उन्हें भी मिलना चाहिए, ऐसा इसमें नहीं है सार्वजनिक निर्माण विभाग के बारे में दर्शाया गया है कि बहुत से वायदे थे, अभी कुछ समय पूर्व सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री ने एक बयान दिया था कि घाघरा का पुल स्वीकृत हो गया है, [* * *] तो और लोगों पर कैसे जनता को विश्वास होगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य कृपया संसदीय भाषा का प्रयोग करें ।

श्री धरमपाल--

क्षमा चाहता हूं मान्यवर, उस शब्द को निकाल दिया जाय ।

श्री धरम पाल--

मान्यवर, असत्य कह कर गुमराह करते हैं जनता को माननीय मंत्री लोग तो फिर बाकी कांग्रेस के लोगों का कौन विश्वास करेगा । कम से कम असत्य तो ये लोग न बोलें । इसमें बड़े गर्व के साथ बतलाया गया है कि प्रदेश में कितनी सड़कों का निर्माण होगा । प्रदेश की जनसंख्या तथा सड़कों की लम्बाई को देखिये तो कुल 1800 मिलीमीटर सड़कों का सेंक्शन हुआ है । प्रत्येक सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र में मात्र 4 1/2 (4.5 कि० मी०) मिलीमीटर भी नहीं आयेगा, इससे कैसे प्रदेश का विकास हो सकेगा । ऐसी स्थिति में प्रदेश की जनता हमको और न आपको माफ करेगी । हमें इसलिये माफ नहीं करेगी कि हमने आवाज नहीं उठाई, उनको इसलिये माफी नहीं करेगी कि कुछ काम नहीं किया । (व्यवधान) इस बजट के अन्दर एक बहुत बड़ा होल छोड़ दिया गया है । इसमें पृष्ठ 33 पर देखें 'बकायों की वसूली' के अन्तर्गत लिखा है 30 सितम्बर, 1980 को कर एवं करेतर देयों का अवशेष 283.72 करोड़ रु० था । इसी तिथी को उन ऋणों का ब्याज सहित अवशेष जिनका लेखा विभागाध्यक्षों द्वारा रखा जाता है, 70.51 करोड़ रु० था । राज्य सरकार ने इन देयों की जांच के लिये कदम उठाये हैं ताकि न वसूल होने योग्य देयों को पृथक् किया जा सके तथा शेष देयों की वसूली के लिये प्रभावशाली प्रयास किया जा सके जिससे आयोजना के संसाधनों में वृद्धि हो सके । इसका कौन फैसला करेगा । यह देय वास्तव में सरकार देनदार है जो दीवालिया घोषित हो चुकी है । इसका निर्णय ट्रायबुनल या कोर्ट कर सकती है लेकिन दीखता यह है कि वित्त मंत्री ने इसमें अपना हिस्सा लगा लिया है ।

मेरा स्पष्ट आरोप है, आप देख लीजिये अगले वर्ष तक अगर इसके लिये कोई कमेटी नियुक्त नहीं की गयी तो इसमें कम से कम सवा सौ करोड़ रुपया बट्टे खाते मे डाल दिया जायेगा । सब खातेदारों से 10 प्रतिशत के हिसाब से साढ़े 12 करोड़ रुपया वित्त मंत्री की जेब में चला जायगा । प्रदेश के धन की सुरक्षा करना हमारा नैतिक कर्त्तव्य है । इसके लिये मैं पहले चेतावनी देना चाहता हूं कि कम से कम प्रदेश की गाढ़ी कमाई को इस तरह से बरबाद न किया जाय । इसके लिये एक कमेटी नियुक्त करके विशेष अधिकार दिये जायं । उसके लिये मेरा सुझाव यह है कि जिन लोगों का रुपया बट्टे खाते में डाला जाय उनकी नागरिकता समाप्त

नोट--[* * *] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

कर दी जाय, उनको मताधिकार से वंचित कर दिया जाय वहां लगता यह है कि जिनका रुपया बट्टे खाते में डाला जायगा, वह चुनाव लड़कर इस सदन में आयेंगे और मंत्रि परिषद् में किसी पद को सुशोभित करेंगे । माननीय, मुझे यह सन्देह है कि इस तरह के होल जानबूझ कर छोड़े गये हैं (व्यवधान) अब ला एंड आर्डर के सम्बन्ध में मुझे एक बात कहनी है कानून व्यवस्था की दुहाई देने वाली सरकार से मुझे यह कहना है कि कानून व्यवस्था अगर सुधर गयी है तो आप अपने शेडो को वापस कर दें । मंत्री लखनऊ में ही विधायक हो अथवा मंत्री इधर से उधर जाने में घबड़ाता है उनके क्षेत्र की बात छोड़ दीजिये । यह कैसी कानून व्यवस्था है ? पूरे बजट भाषण को आप देखेंगे तो यह देखने को मिलती है कि एक रद्दी का पुलिन्दा थमा दिया गया है । इन शब्दों के साथ में नेता विरोधी दल के संशोधन प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

मा० उपाध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने वर्ष 80-81 के बजट पर विचार प्रकट करने का मौका दिया । मैं वित्त मंत्री जी को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने इस बजट को समय से पहले पेश करने की कृपा की । साथ ही, यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारा पिछला बजट था, उसकी अभी तक बहुत से विभागों में स्वीकृति नहीं पहुंची है । हम आशा करते हैं कि 80-81 के बजट की स्वीकृति विभागों में यथाशीघ्र पहुंचेगी और जो कार्य जिस गति से होना चाहिये, उस गति से हो सकेगा ।

श्रीमन्, मैं जिस जिले से चुनकर आया हूं वह दो बड़े महानगरों, कानपुर और लखनऊ के बीच में बसा है । जैसे दो पाटों के बीच में जब पैर फंस जाया करता है वही स्थिति हमारे जिले की है । जनता सरकार ने उन्नाव को अपराधी जिला घोषित किया, चाहिये तो यह था कि उसे पिछड़ा जिला घोषित करती । कानपुर और लखनऊ से अपराधी प्रवृत्ति के लोग गंगा के किनारे खादर में बराबर शरण लेते रहते हैं । यदि इसे अपराधी जिला घोषित किया गया था तो अपराधी जिलों के साथ जो सलूक होना चाहिये था । पुलिस बढ़ायी जानी चाहिये थी, हथियार बढ़ाये जाने चाहिये थे, वह नहीं किया गया ।

श्री उपाध्यक्ष--

क्या आपकी मंशा है कि इसे अपराधी जिला बना दिया जाय ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

श्रीमन्, उन्नाव जिले की सबसे बड़ी समस्या की ओर पिछले 20 वर्षों से ध्यान नहीं दिया गया है, वह समस्या है गंगा के बांध की । चाहे जो सरकार रही हो उसने यह वायदा तो किया कि बांधे बनाना जरूरी है । हमारे मुख्य मंत्री जी ने एक करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है, यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे ओस से प्यास बुझाने की चेष्टा की जाय । यह आवश्यक है कि बांध बनाने की चेष्टा की जाय लेकिन 300 गांव जहां बरबाद हो गये हैं, उनके पुनर्वास और सुरक्षा का कोई प्रबन्ध न होना बहुत बड़ी चिन्ता की बात है । उन्नाव एक विकासशील जिला है । लखनऊ और कानपुर, जो बड़े नगर बनते चले गये हैं, वहां की भीड़ को कम करने के लिये वहां के दबाव को कम करने के लिये, उन्नाव का एक मास्टर प्लान तथा विकास बोर्ड बनाकर निर्माण कार्य कराया जाय, जिससे वहां का सुचारु रूप से विकास हो । इससे कानपुर तथा लखनऊ को भी राहत मिलेगी ।

माननीय, एक विशेष समस्या की ओर मैं आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं । लखनऊ से बांगरमऊ तक एक सड़क बनकर तैयार हो गयी है । बांगरमऊ से

[श्री गोपी नाथ दीक्षित--]

जगत नगर तक भी सड़क है यदि नानामऊ घाट पर एक पीपे का पुल बना दिया जाय तो इससे भी काफी फायदा होगा । इससे सरकार को भी लाभ होगा और व्यक्तिगत लोगों को भी फायदा होगा ।

श्रीमन्, बांगरमऊ से सन्डीला जाने वाली सड़क तैयार है । सई नदी की पिछली बाढ़ ने यह सिद्ध कर दिया है कि कितनी तबाही इस क्षेत्र में आयी है । सई नदी पर पुल बनाया जाय ।

बांगरमऊ में एक दुग्ध डेयरी की स्थापना हुई थी । लेकिन एक साल से कम अरसे में डेरी बंद हो गयी और आज तक बंद पड़ी है । सरकार का इस तरफ ध्यान जाना चाहिये और डेरी बन्द होने के कारणों का पता लगाकर उस डेरी को अविलंब खोलने की व्यवस्था की जाय ।

उन्नाव जिले में सदर अस्पताल है, 10 साल पहले बनना शुरू हुआ था, हम जानना चाहते हैं कि वह कौन सी पंच वर्षीय योजना में शामिल किया गया है और उसके बनने का समय कब आने वाला है ।

सन् 1967 में बांगरमऊ में महिला चिकित्सालय का उद्घाटन श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था लेकिन आज तक वहां लेडी डाक्टर, एम0 बी0 बी0 एस0, नहीं है । इस तरफ शासन का ध्यान अविलम्ब जाना चाहिये । उन्नाव जिले में सिंचाई विभाग की तरफ से उन्नाव की घनघोर उपेक्षा हुयी है । मान्यवर, जनपद में केवल 50 नलकूप बन पाये हैं जबकि पड़ोसी जिलों में नलकूपों की संख्या कई-कई सौ पहुंच गयी । हम आपके माध्यम से सिंचाई विभाग से अनुरोध करेंगे कि उन्नाव जिले का कोटा जो पिछले वर्षों में पूरा नहीं हुआ है उसकी पूर्ति अविलम्ब की जाय । वहां किसानों में इस उपेक्षा और पक्षपात से गम्भीर असंतोष है ।

श्रीमन्, शिक्षा विभाग की तरफ सरकार का ध्यान आपके माध्यम से ले जाना चाहता हूं । उन्नाव जिले में सफीपुर तहसील सबसे बड़ी तहसील है लेकिन अभी तक वहां पर कोई भी राजकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल उस तहसील में नहीं है । इसके अलावा बांगरमऊ में भी राजकीय कन्या हायर सेकेंडरी विद्यालय नहीं है । इसलिये मैं शिक्षा विभाग से आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि सफीपुर और बांगर मऊ में कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल की स्थापना की जाय । हमें विश्वास है कि शासन के हमारे मंत्रीगण इस ओर ध्यान देंगे ।

श्रीमन्, अन्त में केवल दो बातें कहना चाहता हूं । आप सभी जानते हैं कि हिंदी जगत में हिन्दी संसार के प्रसिद्ध महाकवि निराला का जन्म उन्नाव जिले के गढ़ाकोला गांव में हुआ था । गढ़ाकोला गांव में निराला जी का कोई स्मारक नहीं बन सका है । आवश्यकता इस बात की है कि जिस तरह से इंग्लैंड में शेक्सपियर का स्मारक बना हुआ है उसी तरह से गढ़ाकोला में निराला जी का स्मारक बनाया जाय । वहां उनके मकान की सुरक्षा की जाय जहां पर बैठकर उन्होंने अपनी रचनायें रचीं । आवश्यकता इस बात की भी है कि निराला जी के गांव में एक निराला भवन बनाया जाय जहां पर निराला जी के साहित्य का शोध छात्र अध्ययन कर सकें और हिंदी जगत की सेवा कर सकें । श्रीमन्, निराला जी जीवन भर अपने पड़ोसी गांव सगरायर में जाकर अपनी डाक लिया करते थे । उनके गांव में डाकखाना नहीं खुल पाया । उत्तर प्रदेश सरकार इस ओर ध्यान देकर और केन्द्र सरकार पर दबाव डलवा कर इस बात की चेष्टा करे कि निराला जी के गांव गढ़ाकोला म एक पोस्ट

आफिस की स्थापना हो ताकि कम से कम स्वर्ग में बैठकर निराला जी को मालूम हो सके कि उनके गांव में पोस्ट आफिस खुल गया है ।

श्रीमन्, चन्द्र शेखर आजाद उन्नाव के बदरका गांव में पैदा हुये थे । भारत की भूमि पर ही नहीं शायद दुनिया भर म दूसरा चन्द्रशेखर आजाद पदा नहीं हुआ है । अभी तक उनका गांव एक पर्यटन केन्द्र नहीं बन पाया है । मैं आपके माध्यम से शासन से अनुरोध करूंगा कि बदरका को एक पर्यटन केन्द्र के रूप में परिवर्तित किया जाय । उन्नाव की यह छोटी समस्यायें हैं, इन पर तुरन्त ध्यान दिया जाय । इन शब्दों के साथ में बजट का समर्थन करता हूं । धन्यवाद ।

*श्री दलगंजन सिंह--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बजट पर सामान्य चर्चा के लिये आपने मुझको अवसर दिया इसके लिये मैं आपको आभार प्रकट करता हूं । इस बजट को अगर गौर से देखा जाय तो इससे यह स्पष्ट होता है कि यह बजट वास्तव में प्रदेश को पूंजीवाद की तरफ ले जा रहा है । इस बजट में इबेलेसेज हैं और इससे क्षेत्रीय असंतुलन पैदा होगा । उदाहरण के लिये इस सरकार ने उद्योगों को लगाने की एक योजना चालू की जिसमें बुन्देलखंड के केवल दो जिलों को लिया जिसमें झांसी भी है जो कि औद्योगिक दृष्टिकोण से ही विकसित है लेकिन जनपद जालौन और हमीरपुर को छोड़ दिया गया है जो यू० पी० के सबसे पिछड़े और गरीब जिले हैं ।

मान्यवर, जहां तक ग्रामीण विकास का सवाल है, ग्रामीण विकास मंत्री जो बैठे हैं, मेरा उनसे प्रश्न है कि वह आत्मालोकन करें कि इस बजट से और 10 करोड़ रुपये का जो ग्रामीण विकास के लिये एलोकेशन किया गया है उसमें क्या एक नया पैसा भी गांवों के विकास के लिये खर्च होगा ? मंत्री जी कहते हैं कि गांव तक सड़क हम ले जायेंगे लेकिन सड़क को गांव के अंदर नहीं ले जायेंगे । जब सड़क गांव के अन्दर नहीं जायेगी तो वहां ड्रेनेज सिस्टम नहीं होगा, गांव में सफाई की व्यवस्था नहीं होगी, वहां पार्क नहीं होंगे, बच्चों और स्त्रियों के लिये पाखाने नहीं होंगे तो मंत्री जी क्या बतायेंगे कि किस बात का ग्रामीण विकास है । इसलिये ग्रामीण विकास के लिये आज आवश्यकता है कि सड़कें गांवों में, जहां तक संभव हो सके, जायं । इसके बाद गांवों को लें और उनका पूर्णरूपेण विकास करें । वहां पर ड्रेनेज की व्यवस्था करें, बच्चों के लिये पार्क और खेल के मैदान इत्यादि चीजों की व्यवस्था करें तभी ग्रामीण विकास संभव है और कोरे नारों से ग्रामीण विकास संभव नहीं है । आजादी के पहले जहां गांव थे वह उनसे पीछे चले गये और कोई भी गांव आगे नहीं बढ़ा है । जहां वाटर ड्रिंकिंग की योजनायें चालू की गयी हैं, वहां पर स्थिति यह है कि किसी गांव के अन्दर बैलगाड़ी, जीप और लोग पैदल नहीं जा सकते हैं । इसलिये मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि कम से कम उन गांवों में जहां पीने के लिये पानी की टंकियां लगायी गयी हैं वहां पर जरूरी है कि ड्रेनेज स्कीम लागू की जाय ।

जहां तक कानून व्यवस्था का प्रश्न है, इस बजट में कोई दूरगामी योजना नहीं ली गयी है जिससे कि इस प्रदेश की कानून व्यवस्था पर काबू पाया जा सके केवल थानों में जीप देने से या टेलीफोन देने से कोई समस्या हल नहीं होगी । हमको समस्याओं की जड़ में जाना होगा । पुलिस की सेवा शर्तों को देखना होगा । यह बात सही है कि जहां पुलिस कर्मियों से हर गांव और जिला शिकार है वहीं हमको दूसरी ओर भी देखना होगा कि पुलिस में वेतनमान क्या हैं । एक क्लर्क और चपरासी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री दलगंजन सिंह---]

का वेतन लें, नगरपालिका के सफाई कर्मचारी का वेतन लें तो वह वेतन पुलिस के सिपाही और दीवान के वेतन से अधिक है जब कि पुलिस की सेवायें 24 घंटे की हैं। रात में पानी गिर रही ह लेकिन पुलिस और दारोगा को मौके पर जाना पड़ेगा, उनके जाने के लिये न कोई साधन है और न रहने के लिये मकान। इसीलिये आज यह स्थिति पैदा हुई है। जिस तरह सरकार पुलिस कर्मियों पर अत्याचार कर रही है जिसका बदला पुलिस जनता से ले रही है। इसलिये मौलिक रूप से इसका निदान खोजना होगा और इसका हल तभी होगा जब कि दरोगा स्तर के वेतनमानों में बहुत परिवर्तन करेंगे। आज जो कर्मचारी कुर्सी पर बैठकर काम करते हैं उसको मिलता है बोनस और जो बैंक का कर्मचारी अपने निर्धारित समय से अधिक काम करता है उसको ओवर टाइम।

दूसरी ओर पुलिस कर्मी को 24 घंटे की ड्यूटी होती है लेकिन उसका वेतन-मान और उसकी सेवा की शर्तें इतनी अधिक त्रुटिपूर्ण हैं जिनको सुधारना होगा नहीं तो देश इस समय जिस अव्यवस्था से गुजर रहा है, सरकार इस व्यवस्था से उस पर काबू नहीं पा सकेगी। हमको कोसते हैं, जनता सरकार को कोसते हैं लेकिन समस्या का हल, समस्या का निदान तभी सम्भव है जब आप इन सब बातों की ओर ध्यान देंगे।

तीसरी बात इस बजट के सन्दर्भ में कहना चाहता हूं कि इसमें भ्रष्टाचार का कोई अवलोकन नहीं किया गया। सरकार ने 62 सौ करोड़ की प्लानिंग योजना दी और यह कहा गया कि यह रुपया योजना पर खर्च होगा। कहने के लिये 62 सौ करोड़ रुपया योजना के लिये हो गया लेकिन इसमें भ्रष्टाचार का कितना होगा? यह नहीं बताया। इसमें भ्रष्टाचार का होगा कम से कम 30 फीसदी, इसके बाद वेतन, टी० ए०, डी० ए० वगैरह-वगैरह। इन सब के खर्च के लिये केवल 40 फीसदी रुपया बच गया जो वर्तमान योजना पर खर्च होगा। इसलिये मेरा शासन से अनुरोध है कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिये यह सरकार अक्षम है। इसलिये इस बजट में भ्रष्टाचार के लिये कम से कम 40 फीसदी का प्राविधान किया जाना चाहिये।

इस सरकार ने जो बाढ़ के समय सहायता का रुपया जो गांव में वितरित किया गया उसका 60 फीसदी रुपया इस तरह से या उस तरह वितरण करने वाले एजेन्सियों की जेबों में चला गया और उनसे ग्रामों को कोई लाभ नहीं पहुंचा जो वास्तव में इनका अधिकार था।

जहां तक शक्कर के वितरण का सवाल है, तमाम प्रयासों के बाद भी ग्रामीणों को शक्कर नहीं मिल पाती है। 60 फीसदी से लेकर 80 फीसदी तक कोटादार या इन्स्पेक्टर मिलकर हजम कर जाते हैं और वस्तविकता यह है कि सही दाम पर शक्कर उपलब्ध नहीं हो पाती। ग्राम भरखू और थाना आटा में एक गड़रिया को बिना किसी बात के वहां की पुलिस पकड़ कर ले गयी और काउन्टर करके उसको गोली मार दी। श्रीमन्, आज तक उसका कोई कसूर सामने नहीं आ पाया। हरखूपुर का वह इन्सान किसी भी केस में नहीं इन्वाल्व था।

अब नम्बर दो---खजान थाने में हमारे यहां जो थानाध्यक्ष हैं उनके विषय चर्चा करना चाहता हूं। इस सदन में भी मैंने इस सवाल को उठाया है, इस सवाल को उठाया जा रहा है। जो रिपोर्ट सरकार को आयी और इन्सपेक्टर और सिपाहियों की जो दशा दी गयी है कि उनके खिलाफ दफा 62 की कार्यवाही चल रही है लेकिन फिर भी उनको थाने से नहीं हटाया गया। सम्भव है कि अभी तक न उसे हटाया गया हो।

मैं इस सदन का ध्यान अपने क्षेत्र की ओर ले जाना चाहता हुं, वहां पर एक शुगर मिल है कोआपरेटिव की ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री दलगंजन सिंह—

वह शुगर मिल इस सीजन में चालू नहीं की गयी । श्रीमन्, वहां पूरे जनपद में एक भी उद्योग नहीं है तब भी मान्यवर, वह चालू नहीं की गयी । मेरा इस सदन से यह आग्रह है कि वास्तव में यदि इस सूबे को आगे बढ़ाना है तो इन समस्याओं की ओर ध्यान देना होगा कि जो बकारी है, गरीबी है, पुलिस का आतंक है, भ्रष्टाचार है इन सब की ओर शासन को ध्यान देना चाहिये ।

श्री सुरेन्द्र कपिल—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बजट के ऊपर जो बहस चल रही है उस पर आपने मुझे भाग लेने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका तहेदिल से शुक्रिया अदा करता हूं ।

मान्यवर, यह जो बजट जो अगले साल के लिए हमारी सरकार नें रखा है, इस बजट के अन्दर बूढ़े और जवान, मजदूर और किसान, हिन्दू और मुसलमान सभी की भावनाओं का आदर किया है और सबको व्यवस्थित करने का भरसक प्रयत्न इस बजट के अन्दर किया गया है । इससे अच्छा बजट इन परिस्थितियों में जो हमारे शासन के सामने है, नहीं हो सकता था । आज इस बजट को लेकर के जितनी चर्चा है । शायद विरोधी दल के मेरे साथी इस बात को भूल गए हैं कि यह बजट उन विशेष परिस्थितियों में बनाया गया है जिन्हें उनकी सरकार ने इस प्रदेश के अन्दर पैदा किया था, प्रदेश की आर्थिक स्थिति किस तरह से जर्जर कर दी थी, उन्होंने प्रदेश की सामाजिक स्थिति किस तरह से बिगाड़ दी थी, प्रदेश की सामान्य व्यवस्था को किस प्रकार अस्त-व्यस्त कर दिया था । एसे समय में इस सरकार के द्वारा जो बजट रखा गया है यह बहुत ही सराहनीय बजट है । इस बजट के अन्दर शायद मेरे साथी यह देखना भूल गए होंगे कि जितनी व्यवस्थायें हर मद में की गई हैं उनके लिए वह जरूरत है या नहीं है । आज हमारे सामने यह प्रश्न पैदा होता है कि जब इस सरकार की बागडोर हमारी पार्टी के हाथ में आई थी, वर्तमान सरकार के हाथ में आई थी उस वक्त इस प्रदेश में विद्युत की स्थिति क्या थी । इस बात को अगर ईमानदारी से हमारे विरोधी दल के सदस्य देखें तो उनको यह बात सही रूप से माननी पड़ेगी कि उस समय यहां पर बिजली के स्थिति बहुत खराब थी और मान्यवर, यह किसी से ढका-छिपा नहीं है कि आज के युग में प्रगति का आधार विद्युत के बगैर नहीं हो सकता । इसीलिए हमारे सामने सब चीज की प्रगति के लिए चाहे वह कृषि हो, उद्योग हो, किसानों की प्रगति हो, श्रमिकों की प्रगति हो, सिंचाई के साधनों को बढ़ाने की बात हो, सबके लिए बुनियादी चीज बिजली थी और बिजली के लिए हमारी सरकार ने जो बजट के अन्दर प्रावधान किया है, वह सराहनीय प्रावधान है । जो जनता पार्टी की सरकार थी, तीन साल उसका शासन रहा, उस समय जो हमारे संयंत्र थे, विद्युत उत्पादन के संयंत्र थे उनको मरम्मत करने की कोई कोशिश नहीं की गई । सिर्फ जो उनकी बारी में सरकार के द्वारा संयंत्र मिले थे उनका ही यूज करते रहे, उनका ही रसास्वादन करते रहे, उनके मेन्टीनेन्स के बारे में, सफाई के बारे में कोई ध्यान

[श्री सुरेन्द्र कपिल---]

नहीं दिया गया । सबसे पहले हमारी सरकार ने यह बुनियादी कदम उठाया है कि अगर हम प्रदेश की विद्युत की स्थिति में सुधार ला सकते हैं, उसकी कैपे-सिटी को बढ़ा सकते हैं तो इससे हमारे प्रदेश का बहुमुखी विकास होगा । इसके सहारे हम अपने सिंचाई के साधनों को बढ़ा सकते हैं, इसी के सहारे हम अपने उद्योगों के आधार को आगे बढ़ा सकते हैं, इसीके सहारे हम अपने श्रमिकों के हाथों को काम दे सकते हैं । दिवाल पर नारा लिख देने से कि हर हाथ को काम हर खेत को पानी, इस पर हम विश्वास नहीं करते हैं । हम वहीं करते हैं जो कहते हैं । इस बजट के अन्दर देखें तो आप पायेंगे कि हमारे बिजली घर मरम्मत के लिए खुले हुए हैं । उनमें से आधे बिजली घर तो मरम्मत करके चालू कर दिए गए हैं और दूसरे यंत्र भी चालू होने जा रहे हैं ।

आज जरूरत इस बात की है कि हमारे मुख्य मंत्री महोदय जो ईमानदारी के प्रतीक हैं, उन्होंने बड़ी ईमानदारी और सादगी के साथ आप लोगों की तरफ सहयोग का हाथ बढ़ाया है । आप लोगों का कार्य यहां बैठकर इस बजट का जो हमारा पैसा है जिसकी रूप रेखा मस्तिष्क लगाकर तैयार की गई है, उसकी आलोचना करना और भर्त्सना करना रह गया है । यह विपक्ष की अच्छी भूमिका नहीं है । विपक्ष की तरफ से स्वस्थ भूमिका यह होनी चाहिए कि जब मुख्य मन्त्री ने उनसे सहयोग की बात कही और सादगी से उन्होंने हाथ बढ़ाया है तो विपक्ष को भी उसी तरह से सहयोग और सादगी का हाथ बढ़ाना चाहिए और जो रूप रेखा तैयार की गई है, जो प्रदेश में साधन उपलब्ध हैं उन्हीं को लेकर हमें प्रदेश का आर्थिक ढांचा खड़ा करना चाहिए । इसलिए आप उसमें सहयोग दें । मुझे विश्वास है कि अगर विपक्ष के साथी अपनी भूमिका सही ढंग से निभायें तो यह प्रदेश दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करेगा । मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि आज हम जिस स्थिति में खड़े हुए हैं अगर उसी तरह की खींचतान में हम लगे रहे तो हम जनता के साथ विश्वासघात करेंगे इसलिए हमें ईमान-दारी से बजट में सहयोग देना होगा । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से विपक्षी दलों के सदस्यों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि हमने जिस मद में बजट में जो व्यवस्था की है उस व्यवस्था के अन्तर्गत जो पैसा हम जहां खर्च करना चाहते हैं, हम लोग क्षेत्र में जाकर यह देखें कि वास्तव में उसी तरह से वह पैसा उसी मद में सही रूप में खर्च हो रहा है अथवा नहीं, तो प्रदेश की जनता की हम निश्चित रूप से भलाई कर सकते हैं ।

विपक्षी दल के हमारे एक साथी ने कहा और मैं दाद देता हूं कि पिछले तीन साल के अन्दर इस सदन द्वारा जो बजट बनकर गया है उसमें हमारे अफ-सरों और दूसरे अधिकारियों ने 10 प्रतिशत कमीशन के रूप में अपना पैसा आरक्षित समझा है । अभी मेरे एक पूर्व वक्ता कह रहे थे कि इस बजट में तीन साल में उसी बात को फिर से दुहराया गया है । इसका उन्हें अपने समय का कटु अनुभव है कि वे अधिकारी गण इस बजट को अपने बाप-दादा की जाय-दाद समझते हैं । आज हमारा अधिकार और कर्त्तव्य हो जाता है कि हम ईमान दारी के साथ इस बजट के प्रति आश्वस्त हो जायं और जो इस तरह की बातें यहां पर आती हैं कि 10 प्रतिशत कमीशन आरक्षित हो जाता है तो ऐसे अधि-कारियों को हम पकड़े और बताएं । इससे प्रदेश का भला होगा । मैं अन्त में इस सरकार के इस बजट का समर्थन करता हूं । जयहिन्द ।

*श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मान्यवर, मैंने बजट को देखा है और उसको देखने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह जो बजट है यह साम्प्रदायिकता को भड़काने वाला बजट है। हमारे वित्त मन्त्री पर्वतीय अंचल के रहने वाले हैं और उन्होंने जो बजट पेश किया है और उसके अन्दर जो उन्होंने हरिजनों, जनजातियों और अल्पसंख्यकों के लिए प्राविधान की बात कही है उससे जो सवर्ण जाति के लोग हैं उनके दिलों में उससे ठेस पहुंची है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं और जिसके बारे में मैं बार-बार कहता आ रहा हूं कि जो वास्तव में पिछड़े लोग हैं, हरिजन हैं, जो फुट-पाथ पर रहते हैं, जो पेड़ों के नीचे रहते हैं, जो वास्तव में गरीब हैं उनके बारे में इस बजट में कुछ नहीं कहा गया है। वोट लेने के समय भी ये लोग वहां नहीं जाते हैं और अपने मुखिया को गांवों में भेज देते हैं, उनको शराब पिलाते हैं और उनसे वोट दिलवाते हैं। आम आदमी को इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। मान्यवर, मैं भी एक कांग्रेसी रहा हूं। मैं भी सोचता हूं कि हिन्दुस्तान को एक नया रूप सामने आएगा। हम नेहरू जी के नजदीक रहे लेकिन हमने देखा कि यह भी गरीबों के हितैषी नहीं हैं, वे गरीबों को भड़काते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो माननीय सदस्य बता दें कि आज तक जो भी चुनाव हुआ है उसमें वे इतना करोड़ों रुपया कहां से लाते हैं। इसलिए मेरा चैलेंज है कि यह बजट सांप्रदायिकता को भड़काने वाला है और आप गरीबों में फूट डालने वाले हैं।

जो हरिजन मंत्री हैं, हरिजन विधायक हैं और जो ऊंचे अफसर हैं, यह सब एक हैं लेकिन गांव का जो गरीब है चाहे वह हरिजन है चाहे सवर्ण है जो एक साथ बैठकर तम्बाकू पीते हैं उनके लिए कुछ नहीं हो रहा है। आपने अखबारों में पढ़ा होगा यहीं उत्तर प्रदेश में सैकड़ों हमारे हरिजन भाई शीत लहर से मर गए हैं और अब गर्मी आ रही है उसमें भी वही मरेंगे। आप इस बजट से हरिजन और सवर्ण में झगड़ा करा रहे हैं इसलिए मैंने कहा कि यह सांप्रदायिकता का बढ़ाने वाला बजट है। उपाध्यक्ष जी, 16 ता0 को किसानों का प्रदर्शन होने वाला है। प्रधान मंत्री के आदेश पर यह चल रहे हैं इनको कोई आदमी नहीं मिल रहा है केवल दो ही आदमी इनके लिए हैं उत्तर प्रदेश में हमारे विश्व नाथ प्रताप सिंह जी और हिन्दुस्तान में इंदिरा जी इसके अलावा कोई नेता नहीं है। जो वह कहती हैं उसी का यह ढिंढोरा पीटते हैं क्योंकि इनके अन्दर अपनी कोई सूझबूझ नहीं है।

(व्यवधान)

बाजपेयी जैसे लोगों का पता नहीं क्यों दम नहीं घुट रहा है। जनता पार्टी द्वारा किए गए कार्यों को मैं मानता हूं वास्तव में उन्होंने कुछ किया। हिन्दुस्तान में प्रथम बार लोकतांत्रिक व्यवस्था जनता पार्टी ने दी मैं इसके लिए उनको बधाई देता हूं, चाहे वह 28 महीने में चले गए। जितना जन सम्मान उनके समय में मिला वह किसी समय नहीं मिल सकता है। उतना नेहरू जी के समय में भी नहीं हुआ जो कि सबसे ज्यादा समय तक शासन में रहे। बार बेटियों की एक ही आदत है कि जो आलोचना करता है उसको पार्टी से निकाल दो। इसीलिए मंत्री लोग दिन में 50 बार इंदिरा जी का नाम लेते हैं।

(इस समय 4 बजकर 44 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जसवन्त सिंह विष्ट—]

इस बजट के सम्बन्ध में एक बात कहना चाहता हूं । माननीय वित्त मंत्री पर्वतीय अंचल से आते हैं । आप देखें कि वहां पर चीड़ के बहुत जंगल हैं । उसके पत्ते जिसको हम पिरूल कहते हैं अगर खोज की जाय तो उससे वस्त्र बन सकते हैं । अगर यह किया जाय तो पर्वतीय अंचल के लोगों को रोजगार इससे मिलेगा । माध्यवर, आपने लाल बत्ती जला दी ।

श्री अध्यक्ष —

समय आप भी देखें ।

अध्यक्ष जी, मुझे थोड़ा और समय दीजिये । सब माननीय सदस्य मुझे समय देना चाहते हैं मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो पिछला बजट प्रस्तुत किया उसमें उन्होंने कुछ बातें पर्वतीय क्षेत्र के लिए कहीं उससे हमारे बुन्देलखंड और पूर्वांचल के लोग लालायित हुए और कहा कि सचमुच में पर्वतीय अंचल के लिए इतना बजट दिया जा रहा है तो उसी हिसाब से हमें भी मिलना चाहिए । वैसे अपनी जगह पर उनकी बात सही है । लेकिन असलियत में वहां कुछ नहीं हुआ । माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि जल निगम और जल संस्थान को एक किया जायेगा लेकिन अभी तक वह एक नहीं हुआ । उसी तरह से उन्होंने कहा था कि फल निदेशालय को जो चौपटिया से यहां ले आया गया था आपकी सरकार के जमाने में वहां पर एक अतिरिक्त निदेशालय बनाया जायेगा लेकिन वह भी नहीं हुआ ।

श्री अध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें ।

श्री जसवंत सिंह विष्ट—

मैं कुछ परीक्षाओं की बात करता हूं । मैं बधाई देता हूं कि समय से परीक्षायें कराई । लेकिन हमारे यहां ऐसे विद्यालय हैं जहां दो-दो वर्षों से अध्यापक नहीं हैं, हम लिखते लिखते थक गये माननीय शिक्षा मन्त्री और मुख्य मंत्री जी से भी कहा और इस सदन में कई बार कहा कि लगभग 6 हजार वहां पर ऐसे अध्यापकों के स्थान रिक्त हैं पर्वतीय अंचलों में, जिन पर नियुक्ति नहीं की गई है । सभी स्तर के स्कूलों, कालेजों और आई० टी० आई० में अध्यापकों के यह स्थान रिक्त पड़े हैं । तो जब अध्यापक नहीं हैं तो लड़के पढ़ेंगे क्या और पढ़ेंगे नहीं तो वह परीक्षा किस बात की देंगे ।

(व्यवधान)

श्री सुन्दर सिंह—

उत्तर प्रदेश का यह बजट जो माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने पेश किया है ।

श्री धरमपाल—

वित्त मन्त्री ने प्रस्तुत किया है, मुख्य मन्त्री ने नहीं ।

[श्री सुन्दर सिंह--]

ठीक है, माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत जो बजट है, वह बहुत ही सन्तुलित और प्रदेश के हित में है, मैं उसका समर्थन करता हूं । बजट प्रस्तावों में प्रदेश के विकास के लिए जो प्राविधान किया गया है वह जनता के सर्वांगीण विकास के लिए किया गया है । विद्युत के लिए, सिचाई के लिए सार्वजनिक निर्माण के लिए, उद्योग के लिए और हरिजन कल्याण के लिये तथा ग्रामीण विकास के लिए जो कुछ किया गया है, उसे देखें तो आप पायेंगे कि सभी के समान विकास की ओर पूरापूरा ध्यान दिया गया है । हर तरह से हमारा यह बजट बड़ा सन्तुलित है । गरीबों और विद्यार्थियों के लिए जो कुछ किया गया है यह सब कार्य सराहनीय हैं । अब मान्यवर, मैं अपने बहराइच जनपद के बारे में आपके माध्यम से कुछ कहना चाहता हूं । हमारे जनपद में 22 लाख की आबादी है और वह प्रदेश के बड़े जिलों में से एक है । लेकिन इन बजट प्रस्तावों में बहराइच जनपद के विकास के लिए जो ध्यान दिया जाना चाहिए था वह नहीं दिया गया है । बहराइच जिला नेपाल की तराई से मिला हुआ है तथा वहां पर घाघरा नदी एक ऐसी विशाल नदी है जो वहां हर साल अपनी विनाश लीला किया करती है । एक विशाल पुल घाघरा घाट पर बनाने की योजना पिछले 20 साल से बन रही है, लेकिन जनता सरकार के शासन में बिलकुल बन्द कर दिया गया था । मुझे विश्वास था कि इस बजट प्रस्ताव में उस पुल के निर्माण का उल्लेख होगा । लेकिन अभी तक उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं दी गई है । शासन उस घाघरा घाट के पुल को जल्दी से बनवा दे, जिससे बहराइच का विकास हो सके ।

मैं दूसरी चीज यह कहना चाहता हूं कि वहां के लिए एक जल निगम की योजना गई है, लेकिन मुझे जानकारी मिली है कि उस योजना को भी वहां से हटाकर दूसरी जगह ले जाया जा रहा है, वह किसी दूसरे जिले को स्थानान्तरित की जा रही है । मेरा निवेदन है कि उस योजना को बहराइच से न हटाया जाए, वरना वहां की जनता में बड़ी निराशा आपसे हो जाएगी वह हमारा क्षेत्र हर दृष्टि से बहुत ही पिछड़ा हुआ है, कोई भी उद्योग हमारे यहां नहीं है केवल एक चीनी की इंडस्ट्री कैसरगंज क्षेत्र में है । मैंने गन्ना विकास मंत्री और मुख्य मन्त्री का इस ओर ध्यान आकर्षित किया था तो मालूम हुआ कि वह अभी दो साल में कुछ निर्माण होगा । हमारे यहां की तहसील नानपारा में कोई उद्योग नहीं लगाया गया है, वहां पर गन्ना मिल की स्थापना की जाए । जो प्रदेश में खनिज सम्पदा के आंकड़े हैं उससे प्रतीत होता है कि वहां पर यह सम्पदा बहुतायत से उपलब्ध है ।

प्राकृतिक देन की दृष्टि से भी यह जिला समृद्ध है, अनेक नदियां वहां पर हैं और कई उधर से गुजरती हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे बहराइच से सारी नदियां निकलती हैं, लेकिन पानी की एक बूंद भी हमें नहीं मिलती है । हमारे जिले के अन्दर सिंचाई की विशाल परियोजना बन गई है, लेकिन सहायक योजनाएं कोई नहीं बनाई गई हैं जिससे हमारे जिले से पानी जा रहा है, लेकिन बहराइच को पानी नहीं मिल रहा है । वहां विद्युत की भी बड़ी कमी है । वहां कोई भी यन्त्र नहीं लगाया गया है, केवल एक साढ़े पांच मेगावाट का स्टेशन लगाया गया है। विद्युत की वहां पर बड़ी कमी है ।

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं शासन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं वहां पर विद्युत का कोई मेगावाट का केन्द्र लगाया जाय जिससे बहराइच जनपद के किसानों को सुविधा हो सके । मान्यवर, जहां तक खाद्यानों के उत्पादन का सम्बन्ध है, हमारा जनपद खाद्यान्नों के उत्पादन के लिए श्रेष्ठ माना जाता है

[श्री सुन्दर सिंह--]

लेकिन यहां पर कोई बड़ा उद्योग नहीं लगाया गया है। मैं आपके माध्यम से बहराइच जनपद के विकास के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वन सम्पदा पर आधारित कोई बड़ा उद्योग इस जनपद में लगाया जाय। यह बजट जो माननीय वित्त मन्त्री द्वारा प्रस्तुत किया गया यह प्रदेश के विकास के लिए एक लम्बा कदम है। मान्यवर, हमारे विरोध पक्ष के साथी जो विरोध पक्ष में बैठते हैं केवल जनता को गुमराह करना जानते हैं और जनता की आंख में धूल झोकना जानते हैं। केवल बुराई करना जानते हैं। अगर इनके दृष्टिकोण में कोई रचनात्मक बात होती तो आज शासन को अपने अनुभवों और अपने सुझावों से अवगत कराते। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह केवल आलोचना करना जानते हैं। मान्यवर, अगर, कांग्रेस का शासन, अगर इन्दिरा जी का नेतृत्व प्रदेश के लिए कुछ नहीं कर सकता है तो इन्होंने क्या किया। आज सौभाग्य की बात है कि हमको ऐसा मुख्य मन्त्री मिला है। उत्तर प्रदेश की विकास योजनाओं में कितना उनका ध्यान है यह बात किसी से छिपी नहीं है। जिन योजनाओं को कांग्रेस आई की सरकार ने शुरू किया था उन योजनाओं को अपने 3 वर्ष के जनता पार्टी के शासन काल में जनता पार्टी ने समाप्त कर दिया। आप अपने 3 वर्षों के शासन काल में कोई नई योजना नहीं बना पाये बल्कि जो भी योजनायें शुरू थीं, उन्हें भी आपने समाप्त कर दिया। मान्यवर, जिस वातावरण में हमारे कांग्रेस आई की सरकार ने कार्य संभाला है, सर्वप्रथम हमारे माननीय मुख्य मन्त्री ने जिस प्रकार दिल्ली के शासन से और भारत सरकार से पूरा प्रयास करके बड़ी-बड़ी विशाल योजनायें प्रारम्भ की हैं उससे देश का बड़ा हित हुआ है। मान्यवर, मुझे पूरा विश्वास है कि विकास के कार्यों के लिए गरीबों के लिए, किसानों के लिए विद्यार्थियों के लिए यह बजट बहुत उपयोगी है। मैं चाहता हूं कि विकास के साधन हमारी कांग्रेस (आई) की सरकार द्वारा बढ़ें। हमें पूरा विश्वास है कि प्रदेश की सरकार पिछड़े वर्ग के लोगों पर अधिक ध्यान देगी। मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे जनपद बहराइच को पिछड़ा जिला घोषित किया जाय। यहां फैजाबाद और गोन्डा जैसे जिले पिछड़े हुए घोषित किए गए हैं, वहीं बहराइच जनपद को भी पिछड़ा हुआ घोषित किया जाय और यहां विकास की कोई योजना नहीं है। यहां विकास कार्यों के लिए योजना की रूपरेखा बनाई जाय, जिससे यहां रहने वाली 22-23 लाख की आबादी को लाभ मिल सके। आपने विकास के बहुत साधन दिए हैं, उनमें से बहराइच जनपद में भी कुछ सुविधा मिलनी चाहिए। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि हमारे जनपद में विकास के कार्य कराये जायं और विकास की योजनायें चलाई जायं।

जय हिन्द।

(समय अपराह्न 4 बज कर 52 मिनट।)

श्री विद्यासागर नौटियाल--

मैं आपका कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे सामान्य बजट पर बोलने का अवसर दिया। कुमायूंनी में एक कहावत है कि मेरे ब्याह के बाद और सब भला हुआ बस बोही न रहे। जिस व्यक्ति के लिए एक महिला की शादी होती है, वही नहीं रहा। वह मिल गया। मैं तो सोचता था कि इस समय यदि माननीय मुख्य मंत्री जी सदन में होते तो मैं उनको भी अपनी फरियाद सुनाता। इस समय न तो मुख्य मन्त्री जी मौजूद हैं और न ही श्री चन्द्र मोहन सिंह, पर्वतीय विकास मन्त्री

जो मौजूद हैं, जिनकी सूरत देखने को हम तरस जाते हैं एक पलक देखा तुम्हें एक जमाना जीत गया । पिछले सत्र के समय उनको देखा था जब वे अपने विभाग का बजट पेश कर रहे थे, लेकिन तब से उनकी सूरत देखने को तड़प रहे हैं । गत वर्ष 76 करोड़ रुपये का बजट था, लेकिन माननीय मन्त्री जी 86 करोड़ रु० का बजट बता रहे थे । उस समय माननीय शिवानन्द नौटियाल ने आत्मविश्वास के साथ जोरदार शब्दों में पूछा कि यह 10 करोड़ रु० कहां से बढ़ा है तो माननीय विकास मन्त्री यह नहीं बता पाये थे कि यह धनराशि 86 करोड़ रुपया कैसे हो गई, क्योंकि बजट तो 76 करोड़ रु० का था । केन्द्रीय सरकार ने 10 करोड़ रु० की धनराशि दी थी, लेकिन कहीं उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था । रिवाइज्ड एस्टीमेट भी सदन के सामने पेश नहीं हुआ था । बजट पास हो गया । मन्त्री जी पूरी रकम जो कि पर्वतीय जिलों के लिए थी, उसको अपने सिरहाने रख हुए हैं । पता नहीं वह पैसा सरकारी खजाने में है या मन्त्री जी के जेब में है । उसमें से एक भी पैसा पर्वतीय जिलों के अन्दर आज तक नहीं पहुंचा है । जब हम सिंचाई विभाग के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास जाते हैं, शिक्षा विभाग के अधिकारियों के पास जाते हैं पर्वतीय जिलों के किसी भी विभाग के अधिकारियों के पास जाते हैं, तो वे कहते हैं कि लखनऊ से हमारे पास कोई आदेश नहीं आये हैं । पिछले वर्ष का जो बजट पास हुआ, उससे एक भी पैसा जिलों के अन्दर नहीं गया । मैं जानना चाहता हूं कि कौन सी पद्धति है, जिसके अन्दर जो इस समय बजट पास करवायेंगे इसका पैसा और पिछले वर्ष के बजट का पैसा एक साथ व्यय करने की सामर्थ्य विभागों के अन्दर पैदा हो जायेगी किसी एक विभाग में थोड़ा-थोड़ा करके पैसे को व्यय करने की क्षमता होती है । यह नहीं होता है कि एक दम से गत वर्ष का 86 करोड़ रु० और इस वर्ष का जो भी रुपया पास होगा, स्पष्ट रूप से अभी तक तो पता नहीं कितना होगा, एक दम खर्च कर लिया जाता । माननीय पर्वतीय विकास मन्त्री के विभाग में एक बात बैठी रहती है और मैं चाहता हूं कि कांग्रेस के सदस्य मेरा साथ दें, क्योंकि वे लोग हमारे साथ बाहर तो रहते हैं, लेकिन सदन के अन्दर हैं या नहीं मुझे सही नहीं मालूम । जो कोई व्यक्ति अपनी विकास योजना के लिए पर्वतीय विकास मन्त्री जी के पास जाता है तो वे कहते हैं कि आपके गांव में हमारी पार्टी को कितने वोट मिले और अगर यही स्थिति रही तो चूंकि मैं कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से चुना गया हूं तो क्या आप हमारे क्षेत्र को इस बात की सजा देंगे कि वहां पर कोई स्कूल, कोई सड़क, कोई पुल नहीं बनेगा । वहां पर पीने के पानी, सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलेगा और विकास के कार्य ठप कर दिये जायेंगे । यह एक बहुत बड़ा सवाल है । पहले विधान सभा के सदस्य को कहा जाता था कि आपको 3 बेसिक स्कूल दिये जायेंगे, 2 जूनियर हाई स्कूल दिये जायेंगे और उससे उन स्थानों का नाम बताने को कहा जाता था, जहां वह उन्हें खोलना चाहता था, लेकिन आज यह सब नहीं हो रहा है । मैंने जो लिस्ट दी हैं, वे शायद लिस्ट गायब हो गई हैं । माननीय क्या माननीय पर्वतीय विकास मन्त्री ने पिछले महीने के अन्दर मेरे चुनाव क्षेत्र के अन्दर एक पैसा भी खर्च किया है ? मान्यवर, एक पैसा भी नहीं खर्च किया । हमारे क्षेत्र में विकास के नाम पर एक टका भी खर्च नहीं हुआ है । क्या इसलिए कि मैं कम्युनिस्ट पार्टी का मेम्बर हूं ? क्या इसलिये कि मैं माननीय मन्त्री जी की पार्टी मेम्बर नहीं हूं ? मान्यवर, जनता पार्टी को बहुत कोसा जाता है । मोरार जी भाई अपनी योजना के बच्चे का ढाई साल तक पालना झुलाते रहे, रोलिंग योजना थी उनकी परन्तु आप की तीस साल की लगातार व्यवस्थित योजना रही । आपकी बेटी बड़ी हो गई शादी शुदा हो गई । तीस वर्ष की योजना के बाद भी अगर टाटा, बिड़ला, सिंहानियां आपके शासन पर हिन्दुस्तान

[श्री विद्यासागर नौटियाल—]

के अन्दर हावी होते हैं और हिन्दुस्तान के अन्दर गरीबी के नीचे रहने वाले आदमी क. सख्या बढ़ी है तो यह योजना में खराबी है ।

मान्यवर बाकी कल के लिए रख दिया जाय ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

नियम 51 में कुल तेरह सूचनायें प्राप्त हुई थी, जिसमें से एक सूचना श्री हरिवंश सहाय, श्री नन्द किशोर सिंह श्री कुबेर भंडारी की दिनांक 30-10-8 को बुद्ध पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, कुशीनगर जिला देवरिया के छात्रों पर पुलिस द्वारा बर्बर लाठी चार्ज से तमाम छात्रों के गम्भीर चोटें आने तथा जनप्रतिनिधियों को थाने में जाने से रोकने के फलस्वरूप व्याप्त आक्रोश के विषय में थी, उसे स्वीकार किया है ।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, आज की तारीख के लिए स्टेटमेन्ट रखा गया था ।

श्री अध्यक्ष—

आज के लिए जो स्टेटमेन्ट रखा गया था, उसमें माननीय मन्त्री जी तारीख के लिये पोस्टपोनमेन्ट चाहते थे, इसलिये वह आज नहीं रखा गया।

श्री रियासत हुसैन—

उसमें मान्यवर, सुखपाल पान्डेय वाला भी था ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सुखपाल पान्डेय वाला भी था और रजा टेक्सटाइल भी था ।

अब हम उठते हैं, कल 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 5 बज कर 2 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक लिए स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :

4 फरवरी, 1981 ।

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

पी०एस०यू०पी०-6 वि०सभा—4—6—81—835(पी०डी०) ।